खण्ड-264, अंक-10
गुरूवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(17 मार्च, 1966 ई0)

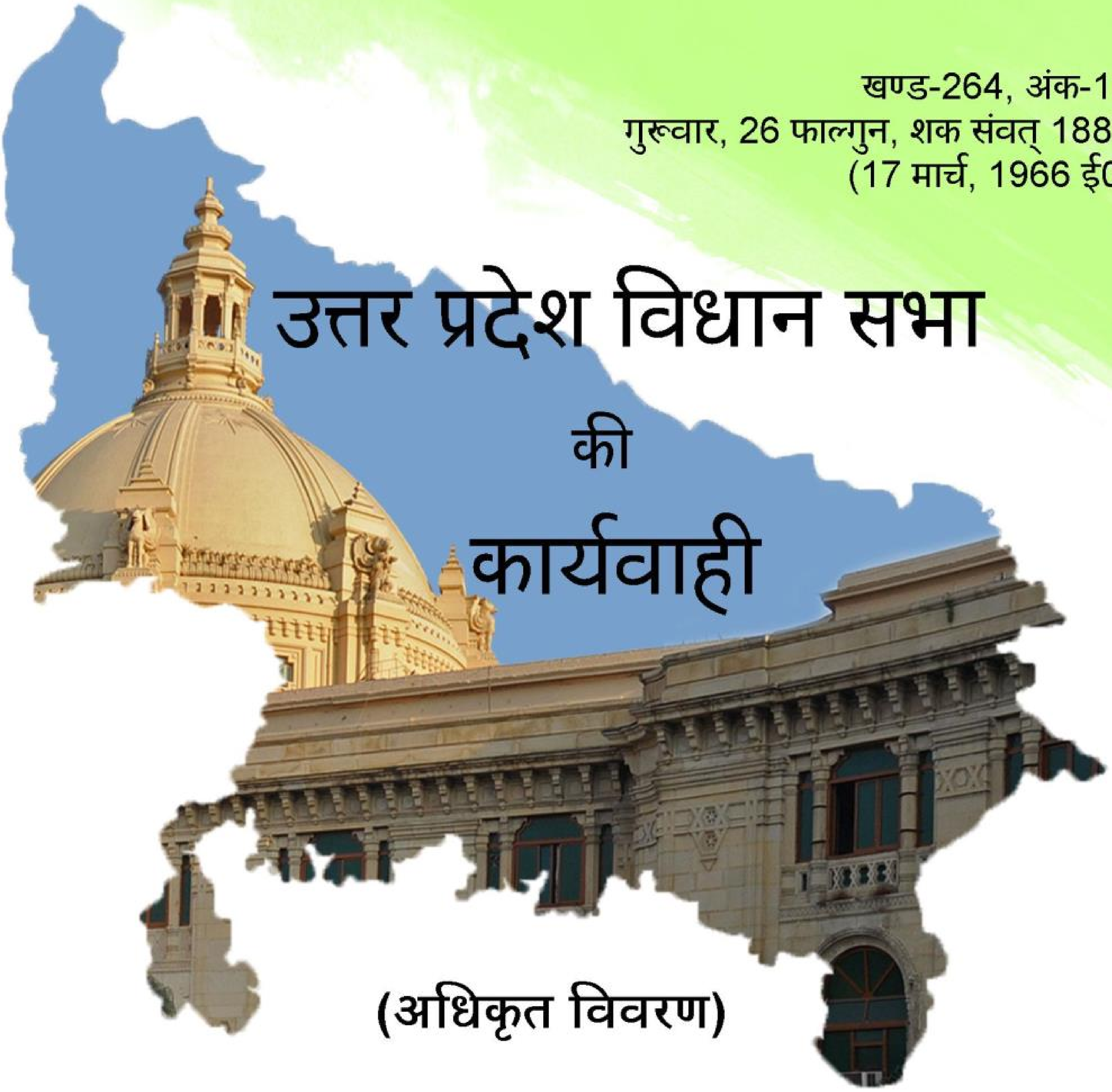

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 264 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY
AUG 1969
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १७ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३७५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसादपालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैजनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोलाजाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुदगल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री

रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सहाय कैथ वार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र बिकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामभूति, श्री
रामभूति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मन्त्री, श्री हरगोबिन्दसिंह तथा वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १७ मार्च, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिलाधीश, शाहजहांपुर को बन्दूक के लाइसेंस के पत्र

**१—श्री नरेन्द्रसिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

प्रथम सत्र १९६६ के पांचवें गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ४८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पुलिस कप्तान द्वारा गृह मन्त्री किए हुए अस्लाह के प्रार्थना-पत्र इतने लम्बे समय से क्यों विचाराधीन हैं जबकि राज्य में शासना का साफ जी० ओ० है कि ऐसे प्रार्थना-पत्र जन-सुरक्षा के हित में तुरन्त स्वीकृत किए जावें? क्या जनहित तथा प्रदेश एवं देश की सुरक्षा के हित में गृह मन्त्री शीघ्र और तुरन्त कार्यवाही करेंगे?

गृह मन्त्री (श्री हरगोबिन्दसिंह)—

प्रार्थना-पत्र इसलिए लम्बित हैं कि उनकी छानबीन की जा रही है।

प्रार्थना-पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए शासनादेश अवश्य हैं पर इसका अर्थ यह नहीं कि जहां आवश्यक समझा जाय वहां भी बिना छानबीन के लाइसेन्स दे दिया जाय क्योंकि इस बारे में असावधानी जनहित की सुरक्षा के बजाय जनहित एवं देश हित के विरुद्ध साबित हो सकती है।

सरकारी कर्मचारियों को हाउस एलाउन्स

**२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद), श्री गिरधरप्रसाद (जिला एटा), श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा), श्री रामपालसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पे रेशनलाइजेशन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को हाउस एलाउन्स देना सरकार ने स्वीकार कर लिया है तो उसके सम्बन्ध में जी० ओ० अभी तक जारी न करने का क्या कारण है? क्या सरकार कृपया बताएगी कि उक्त जी० ओ० किस निश्चित तारीख तक जारी हो जाएगा?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

पे रेशनलाइजेशन कमेटी ने विभिन्न शर्तों के साथ सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने की सिफारिश की थी। सरकार उन शर्तों पर विचार कर रही है अतः अभी तक इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित नहीं हो सके। यह आदेश शीघ्र ही प्रसारित हो जायेंगे।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि वर्ष का फाइनेन्शियल ईयर का अन्त आ रहा है शीघ्र ही इस महीने के अन्त तक ये आदेश प्रसारित किए जाएंगे?

श्री जयराम वर्मा—

ये आदेश आज ही प्रसारित हो जाएंगे।

अंग्रेजी में परिपत्र होने पर आपत्ति

**३—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या उसका ध्यान श्री बी० एल० श्रीवास्तव, सहायक सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र-संख्या १२३७-ई० एल० सी०/तेइस—पी० बी०-२-सी० ई०-एल०-६५, दिनांक २८ फरवरी, १९६६ की ओर गया है जोकि प्रत्येक जिलाधीश तथा बिजली बोर्ड तथा बहुत से अन्य अधिकारियों के नाम भेजा गया है वह अंग्रेजी भाषा तथा रोमन लिपि में है? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां। शीघ्रता के कारण यह पत्र अंग्रेजी में जारी हो गया इसके लिए दुःख है। हमने आदेश दे दिए हैं आइन्दा ऐसा नहीं होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमान, उत्तर मिला है शीघ्रता के कारण अंग्रेजी में इस परिपत्र को भेजा गया, परिपत्र में यदि आप देखें तो सिंचाई के बारे में है कि सिंचाई योजना में जल्दी की जाय ताकि रबी फसल की सिंचाई कायदे से हो जाय। इसलिए यह परिपत्र जारी किया गया है और जारी किया गया है २८ फरवरी को जब कि रबी की फसल कटने को हो गयी। परन्तु कहा जाता है कि शीघ्रता के कारण अंग्रेजी में जारी कर दिया गया तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शीघ्रता का बहाना लेकर हिन्दी की उपेक्षा की गयी है। शीघ्रता अंग्रेजी में हो सकती है तो हिन्दी में क्यों नहीं हो सकती? यह कार्यक्षमता की कमी के कारण है। हिन्दी के प्रति कोई ध्यान नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने विभाग पर थोड़ी कड़ाई करने का प्रयास करें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी ने जिन माननीय उपसचिव महोदय ने यह उत्तर दिया है उनके प्रति कड़ाई करेंगे जिससे आइन्दा ऐसी गलतियां न हों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने खेद प्रकट कर दिया। मैं देखूंगा कि अंग्रेजी में ऐसी चीज कभी न हो।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह कहा गया कि अंग्रेजी में कर देने से शीघ्रता हो जायगी और हिन्दी में करने से शीघ्रता नहीं होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुझे अपने आप सन्तोष नहीं हुआ। शीघ्रता उन्होंने इसलिए कहा कि पहले सब पत्र अंग्रेजी में जाया करते थे। उस बात को देख कर कह दिया। मैंने अपने आप रोष प्रकट किया है और उनसे कहा है कि भविष्य में ऐसी बात न करें।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बहराइच)—

[८वें गुरुवार के लिए स्थगित किए गए।]

काशी विश्वविद्यालय काण्ड की न्यायिक जांच

*३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित), श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया), श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया), श्री बांकेलाल (जिला देवरिया), श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर), श्री लखीसिंह (जिला मथुरा), श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी), श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी), श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी), श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद), श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़), श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर), श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा), श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा), श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर), श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर), श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़), श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़), श्री अवधेश कुमार सिनहा (जिला सीतापुर) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि काशी विश्वविद्यालय काण्ड की रपट माननीय राजस्व मन्त्री को उन्हें प्राप्त हो गई है जो ३ फरवरी, सन् १९६६ के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय राजस्व मन्त्री स्थिति को आंकने के लिए ७/८ फरवरी, १९६६ को वाराणसी गए थे और स्थिति की जानकारी कर के आए हैं। इस मामले की न्यायिक जांच हो रही है।

*४—श्री उग्रसेन, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री मैनेजरसिंह, श्री काशीनाथ मिश्र, श्री बांकेलाल, श्री केशरीप्रसाद पांडेय, श्री लखीसिंह, श्री रघुनाथसिंह, श्री उमाशंकर तिवारी, श्री गयाप्रसाद, श्री जगदम्बाप्रसाद, श्री मंगलदेव, श्री शिवनाथसिंह, श्री होरीलाल यादव, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री टम्बेश्वर प्रसाद, श्री कल्याणचन्द मोहिले, श्री भीमाप्रसाद, श्री दौलतलाल, श्री अवधेशकुमार सिनहा तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय शिक्षा मन्त्री, केन्द्र, श्री छागला ने नियुक्त हुए अवकाश प्राप्त जज की जांच के सम्बन्ध में सहमति प्रकट किया है ? यदि हां, तो उस पर उनकी ओर से कार्यवाही हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

न्यायिक जांच कमीशन की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जा चुकी है। यह उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। अन्य किसी की सहमति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जो माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जांच की, उसका क्या परिणाम रहा? क्या माननीय मन्त्री जी इसे बताने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी एक न्यायिक जांच हो रही है, मामला सब-जुडिरू है, इसलिए इसको बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह सब चीजें उनके सामने हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसमें सब-जूडिस होने का कोई प्रश्न नहीं है, यह तो तथ्य उनके सामने हैं।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

राजस्व मन्त्री जी को इसलिए भेजा गया था कि वहां की परिस्थिति आंक कर वह हमें बताएं, उनके द्वारा कोई आफिशियल रिपोर्ट देने का सवाल नहीं था।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या यह सही है कि राजस्व मन्त्री की जांच के बाद बनारस के सिटी कोतवाल और डी० वाई० एस० पी० का स्थानान्तरण कर दिया गया है? या नहीं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनके स्थानान्तरण से राजस्व मन्त्री की जांच का कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्हें हमने ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर हटाया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्व मन्त्री की जांच रिपोर्ट में यह भी उद्धृत है कि उन्होंने कितने व्यक्तियों का साक्ष्य लिया था? तो वह तादाद क्या है और उनमें मुख्य-मुख्य सज्जन कौन हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जैसा कि मैंने पहले कहा राजस्व मन्त्री जी की कोई रिपोर्ट नहीं है, जो कुछ उन्होंने जाना वह मुझे कांफिडेन्शियली आकर बताया।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जो जांच वहां पर हो रही है, क्या उसे ओथ पर बयान लेने के अधिकार हैं? यह जूडिशियल इन्क्वायरी है या साधारण इन्क्वायरी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह बाकायदा जूडिशियल इन्क्वायरी है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

जो जांच हो रही है वह कब तक पूरी हो जायगी? और क्या माननीया मुख्य मन्त्री जांच के परिणाम माननीय सदस्यों के हेतु सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

तीन महीने का समय उसके लिए दिया गया है। यदि हो जायगी और उस समय जरूरत होगी तो अवश्य रखी जाएगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

किसी स्थान के ला एंड आर्डर की प्राइमरी व्यवस्था की जिम्मेदारी जिलाधीश पर होती है। तो जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड पर सिटी मैजिस्ट्रेट का तबादला किया गया है। तो उस ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउन्ड के ऊपर आपने जिलधीश के खिलाफ क्या कार्यवाही की इस घटना में, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने बताया कि इसका जांच से कोई सम्बन्ध नहीं है, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा देखकर यह किया है, जैसे और सारे ट्रांसफर्स वगैरह होते रहते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में ठीक उसी समय मुख्य मंत्री जी ने जांच कमीशन की बात करी थी और आज जब उत्तर में मालूम हो रहा है कि राजस्व मंत्री जी के जाने का वहां का कोई तात्कालिक लाभ रिपोर्ट के आधार पर सरकार नहीं उठा रही है। तो कमीशन की नियुक्ति होने के उपरान्त ही उनको वहां पर भेजने का क्या कारण था? और उसका लाभ क्यों नहीं उठाया जा रहा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जब कोई विशेष कारण पैदा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कोई वहां जाए और लोगों को समझाए और परिस्थिति को संभाले, उसी सिलसिले में यह भी हुआ।

श्री झारखण्डे राय—

जब ऐडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर कुछ अधिकारी हटाये गये हैं तो क्या जिलाधीश और एस० एस० पी० के भी हटाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय ऐसा विचार नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय राजस्व मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से वहां गये थे और उन्होंने लाजिमी तौर पर अपने विचार मुख्य मंत्री जी से कहे होंगे। सरकार कहती है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, तब अखबार में उनके विचार कैसे छप गये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस संबंध में मैं कह चुकी हूं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

माननीय मुख्य मंत्री के पास दो विरोधी दल के नेताओं ने इस संबंध में जो पत्र दिया था उसको उन्होंने पढ़ा है और जो रिपोर्ट राजस्व मंत्री जी ने दी है, इन दोनों रिपोर्टों में सामंजस्य है या हर जगह विरोधाभास है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने माननीय सदस्यों की रिपोर्टों को और सभी रिपोर्टों को बहुत गौर से पढ़ा है। इसमें सामंजस्य असामंजस्य है। सभी रिपोर्ट अभी जांच समिति के सामने हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न

चीन को अन्न भेजने के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर को सूचना

*१—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि मिर्जापुर जिले के निवासी श्री भुवनेश्वर प्रसाद गुप्त ने नवम्बर, १९६५ में जिलाधीश, मिर्जापुर को एक ज्ञापन देकर यह सूचित किया है कि जिले के कौन-कौन क्षेत्र के पुलिस की साठ-गांठ से भारत का अन्न चीन भेजा जाता रहा है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

नवम्बर, ६५ में श्री भुवनेश्वर प्रसाद गुप्त ने जिला मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि पुलिस की साठ-गांठ से भारत का अन्न चीन भेजा जा रहा था। सरकार द्वारा इसकी जांच कराई गई किन्तु जांच से आरोप की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं मिला।

श्री राजेन्द्रसिंह—

इस बात को देखते हुए कि पुलिस की उनसे साठ-गांठ थी क्या आपने उसकी जांच सी०आई०डी० से करवायी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हर गोविन्दसिंह—

नहीं। इसकी जांच वहां डी० एस० पी० के जरिये से हुई और एस० पी० के जरिये से भी हुई।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या इन अधिकारियों ने आवेदनकर्ता का भी साक्ष्य लिया था? यदि हां तो उन्होंने क्या बताया था?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसमें डी०एस०पी० ने बड़े ब्योरे से जांच की और भुवनेश्वर प्रसाद गुप्त जिन्होंने तीन चार दरख्वास्तें दी थीं उनसे पूछा तो उन्होंने कभी कहा कि यह एप्लीकेशन मेरी है, कभी कहा मेरी नहीं है और अन्त में वे इसी बात पर पहुंचे कि उनके पास कोई सबूत नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

डी० एस० पी० और दरोगा में कोई फर्क नहीं है। तो क्या डी० एस० पी० की रिपोर्ट को गलत मानकर वे जांच सी० आई० डी० द्वारा करवायेंगे?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

एस० पी० ने भी भुवनेश्वर प्रसाद गुप्त जी से पूछा था उन्होंने यही कहा था कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं जिससे वे इसे साबित कर सकें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैंने जो पूछा था उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि एस० पी० की तसदीक पर भी वह गलत निकली। इससे उनका मतलब यही है कि अब सी० आई० डी० जांच की आवश्यकता नहीं समझते हैं।

श्री जन्मेजयसिंह (जिला देवरिया)--

भुवनेश्वर प्रसाद जी ने जो रिप्रेजेंटेशन जिलाधीश, मिर्जापुर को दिया है उसमें पुलिस अधिकारियों के सांठ-गांठ करने का आरोप है? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी वह बहुत बड़ी है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष--

थोड़ा-सा उसमें से बता दें।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

इसमें दरोगा की भी शिकायत है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार की शिकायतें बहुत हो रही हैं कि बहुत जगहों से अन्न चीन को जाता है तो इस सारे काण्ड की जांच क्या माननीय गृह मंत्री सी० आई० डी० द्वारा कराने पर विचार करेंगे, जिससे सरकार को पूरी जानकारी हो जाय?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

इस पर इस समय सरकार का कड़ा नियंत्रण है।

श्री झारखण्डेराय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करेगी कि इस सम्बन्ध में कुछ सही व्यवस्था करे जिससे हमारे प्रदेश से कोई माल बाहर न जा सके और न प्रतिबन्धित सामान वहां से आ सके, क्योंकि दिल्ली के बाजारों में बड़े पैमाने पर चीन का सामान बिक रहा है और सस्ते दामों पर बिक रहा है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह केन्द्रीय सरकार के अधिकार का सवाल है। जहां तक मुझे मालूम है मैं इतना कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस पर कुछ कदम उठाये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस विषय में जो जांच की गई उसकी रिपोर्ट में यह है कि किन रास्तों से माल चीन जाता है तो मंत्री जी ने इसकी जांच केवल मिर्जापुर में ही कराई या जहां-जहां से चीन को माल जाता है वहां भी कराई कि वास्तव में जाता है या नहीं या केवल डी० एस० पी० की रिपोर्ट पर कह दिया कि प्रमाण नहीं मिलता?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मिर्जापुर से कोई बार्डर चीन का नहीं मिलता है और नैपाल का भी नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा था कि भूटान के इलाके से माल चीन जाता है उसकी जांच की गई। उसका दूसरा रास्ता हो सकता है कि बिहार से जाय। बिहार से चीन कैसे जा सकता है इसकी जांच की गई और जांच से ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई साक्ष्य नहीं मिलता तो मालूम हुआ कि यह निराधार है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय बंशीधर पाण्डेय ने अपनी लम्बी लिस्ट से कुछ नामों का जिक्र किया। जिन संस्थाओं के प्रति आरोप लगाये गये हैं कि इनकी सांठ-गांठ से चावल चीन जाता है उसमें भारत सेवक समाज का भी नाम आया है। भारत सेवक समाज इस देश में एक अजीब फ्राड है, तो माननीय मंत्री जी उसके देश द्रोहात्मक कार्य की जांच करायेंगे कि ऐसी समाज सेवी संस्थायें इस प्रकार के देश द्रोहात्मक कार्य में लगी हुई हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी कोई जांच नहीं करायी जा सकेगी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

दरख्वास्त में उन्होंने पढ़ा था। आप उसे फिर से देख लें।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

क्या गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया है कि इसी सदन में मैंने स्वयं चीन का बना हुआ सामान मंत्री जी को दिया था और हमारे नौगढ़ के व्यापारी एसोसियेसन ने लिख कर प्रस्ताव दिया था और उसकी नकल मैंने खाद्य मंत्री जी को दी थी कि यहां से सामान स्मगिल होकर अमुक-अमुक आदमियों द्वारा नैपाल के जरिये चीन जा रहा है और विस्तृत तरीके से बात हुई थी। मैंने स्वयं मुख्य मंत्री जी से इसके संबंध में बात की थी और उन्होंने बतलाया था कि कुछ कानूनी अड़चनें हैं जिनके कारण हम इसे रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा था कि हम केन्द्रीय सरकार से इस बारे में बात कर रहे हैं कि नियमों में कुछ परिवर्तन कर के इस पर रोक लगायी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में अब तक भारत सरकार से आपने क्या पत्र व्यवहार किया ताकि इस स्मगलिंग को रोकने की व्यवस्था की जा सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस विषय पर कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है। उसके बाद हमारे अपने एस० पी० और डी० एम० बार्डर एरिया में घूमे हैं और मैंने सी० आई० डी० से भी जांच करवाई है। इसके लिये मैंने जवाहरलाल जी से बात की थी, फिर लाल बहादुर जी से बात की थी और होम मिनिस्टर से बात की है कि इसके लिये कोई रास्ता निकलना चाहिये जिससे यह स्मगलिंग रुके। नैपाल की तरफ से भी बात करने का प्रयास किया है। स्टेट का जितना अधिकार है उसके अन्दर हम लोगों का प्रयास जारी है लेकिन कस्टम ला से कुछ परेशानी है और उसके लिये कुछ कहना हमारे लिये मुश्किल है।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या गृह मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि शिकायती-पत्र में भारत सेवक समाज के कार्यकर्त्ताओं के साथ डी० एस० पी० और दरोगा की भी शिकायत है, इसलिये सरकार को क्या दिक्कत है कि सी० आई० डी० से जांच करा ली जाय ? इसमें उसे आपत्ति क्या है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

शिकायतों की जो नेचर है उसे देखते हुए सी० आई० डी० की जांच की आवश्यकता नहीं है। एस० डी० ओ० ने जांच कर ली है, डी० एस० पी० ने और एस० पी० ने जांच करा ली है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सिपाही और अफसर बार्डर पर तैनात हैं-वे वहां आज बरसों से ४, ६ या १० वर्षों से तैनात हैं और इसलिये स्वाभाविकतया उनकी सांठ-गांठ स्मगलर्स से हो जाती है। तो क्या वे इस बात पर विचार करेंगी कि इन सिपाहियों और अफसरों का वहां से स्थानान्तरण कर वहां नये आदमियों को पोस्ट किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस समय डी० आई० जी० खुद वहां पर घूम रहे हैं और जो आवश्यक कार्यवाही इस संबंध में है वह कर रहे हैं।

[१७ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गन्ने की डेफर्ड प्राइस का भुगतान

*१--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्त उत्तर प्रदेश में किस-किस गन्ना मिल की तरफ किसानों का कितना-कितना रुपया डेफर्ड मेन्ट का पड़ा है और उसके मिलने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

शुगर केन (कंट्रोल) आर्डर, १९५५ जैसा समय-समय पर संशोधित हुआ है, के खण्ड ३-ए के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा वर्ष १९५८-५९ से १९६१-६२ तक के गन्ने का अतिरिक्त मूल्य, यदि उन पर देय पाया जाय, गन्ना उत्पादकों को डेफर्ड प्राइस के रूप में भुगतान किया जाना है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त शुगरकेन (एडीशनल) प्राइस फिक्सेशन अथारिटी ने १९५८-५९ व १९५९-६० के वर्षों का अतिरिक्त गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है। अधिकांश चीनी मिलों ने उक्त अथारिटी द्वारा अतिरिक्त गन्ने का मूल्य निर्धारण किये जाने के फैसले के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर दी है। अतएव यह निश्चयपूर्वक बताना संभव नहीं है कि डेफर्ड प्राइस का भुगतान कब तक हो सकेगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐडीशनल फिक्सेशन अथारिटी ने जो १९५८-५९ और ५९-६०, दो सालों का जो प्राइस एमाउन्ट फिक्स किया वह कितना है और १९६०-६१ और ६१-६२ का फिक्स न कर सकने का कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो मेरे पास सूचना नहीं है, क्योंकि वह अपील में सब के सब चले गये और इसका कारण वही जानते हैं क्योंकि वह ५८ मिल का ही कर सके हैं और वह भी १९५८-५९ का १९५९-६० और ६०-६१ का उन मिलों का भी नहीं कर सके हैं। चारों तरफ से फिगर्स लेने पड़ते हैं और किन्हीं फिगर्स को गवर्नमेन्ट आफ इंडिया तय करती है। अपील हुई है जब फैसला होगा तो यह पता लगेगा कि इतना रुपया है।

श्री रियासत हुसैन--

आपने कहा कि चीनी मिल मालिकों ने उस प्राइस अमाउन्ट के खिलाफ अपील कर दी है तो वह कितना अमाउन्ट है जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी फिगर तो मैंने जैसा बताया, नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा आपने बताया कि ३ क्रशर्स लगाये गये हैं तो देवरिया जिले के दक्षिण पश्चिम कोने में क्रशर लगाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो अगला सवाल है, आपने पहले ही कर दिया ।

केन क्रशर्स के लाइसेन्स

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४ और १९६५ में किन-किन लोगों को रिजर्व्ड और एसाइन्ड एरिया में केन क्रशर के लिये नये लाइसेंस जारी किये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वर्ष १९६४–६५ में सुरक्षित क्षेत्रों में ७० प्रार्थियों को पावर क्रशर के नये लाइसेंस दिये गये जिनका विवरण कार्यालय में देखा जा सकता है ।

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सा एरिया केन क्रशर के लाइसेंस जारी करने के लिये एक्जेम्टेड एरिया माना गया है और उस एक्जेम्टेड एरिया में किस-किस की दरख्वास्त १९६४ और १९६५ में मंजूर की गई और कितनी दरख्वास्तें रद्द की गईं, किन कारणों से ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वर्ष १९६४–६५ में निम्नलिखित क्षेत्रों में गन्ने की अधिकाई (Sur Plus) घोषित की गई थी :

(१) काशीपुर चीनी मिल का सुरक्षित क्षेत्र, (२) बहेड़ी चीनी मिल का सुरक्षित क्षेत्र,

(३) गोला चीनी मिल का सुरक्षित क्षेत्र, तथा (४) हल्द्वानी केन यूनियन के अन्तर्गत आने वाला सुरक्षित क्षेत्र ।

ऐसे क्षेत्रों में जिन प्रार्थियों को पावर क्रशर के नये लाइसेंस प्रदान किये गये थे उनके सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण तथा जिन प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये थे उनके प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार करने के कारणों का विवरण भी कार्यालय में देखा जा सकता है ।

श्री रियासत हुसैन—

१९६४–६५ में पालिसी निर्धारित करने के लिये गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था, उसी के अनुसार कुछ एरियाज को एग्जेम्प्ट किया जहां गन्ने की तादाद ज्यादा थी, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस फैसले में उनके अलावा कुछ एक्सेप्सनल केसेज में एक्जेम्शन देने के बारे में भी कोई पालिसी निर्धारित की थी ? यदि हां, तो क्या शर्तें रखी थीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कोई खास पालिसी तो नहीं थी एक्जेम्शन देने की ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ३ गन्ना फैक्टरीज के एरिया में एक-एक नया लाइसेंस दिया गया है—हरगांव, मेरठ और रामपुर के एग्जेम्पटेड एरिया में, तो क्या यह बतायेंगे कि जब कोई पालिसी इसके लिये निर्धारित नहीं थी, तो इन लोगों को लाइसेंस क्यों दिये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बात यह है कि एक लाइसेन्स तो यूं दिया गया कि हमारे पास गलत रिपोर्ट आ गयी कि वह रिजर्व एरिया में नहीं है। उस रिपोर्ट पर वह दे दिया गया। बाद को जब पता चला तो जिस क्लर्क की गलती थी, जिसने गलत रिपोर्ट दी थी, उसको सजा दी गयी, उसके करेक्टर रोल में एन्ट्री कर दी गयी। जहां तक रामपुर वाला सवाल है, वहां ज्यादा गन्ना रह गया था और उनको अपना गन्ना पेरने की इजाजत दे दी गयी थी। हरगांव वाला भी इसलिये दिया गया क्योंकि वह सर्पलस एरिया था।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह तो स्पष्ट है कि कैबिनेट ने कोई फैसला इस तरह का नहीं लिया था कि किन-किन हालत में कुछ छूट दी जायगी। यह जो छूट दी गयी वह किन्हीं व्यक्ति विशेष की सिफारिश पर दी गयी। क्या यह सही है, और वह किसकी सिफारिश पर दी गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

व्यक्ति विशेष की बात कहां थी, वह तो गलत रिपोर्ट के आधार पर दे दिया गया जिसका बाद में पता चला।

*४-५—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

[६ठे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६७-६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

म्योर मिल, कानपुर

*६—श्री झारखण्डेराय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार ने कानपुर की म्योर मिल के राष्ट्रीयकरण का निर्णय अन्तिम रूप से ले लिया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

राज्य सरकार ने कानपुर के म्योर मिल के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री झारखण्डे राय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह म्योर मिल जो लम्बे अरसे से बन्द है और जिसके कारण २० हजार मजदूर बेकार हैं, इसको चलाने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये और उसमें वह कहां तक सफल हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकार ने इसके लिये भारत सरकार से बात की। भारत सरकार ने इसकी जांच करायी। जांच के बाद यह निश्चय हुआ कि एक अथाराइज्ड कंट्रोलर बना दिया जाय जो इस मिल को चलाने आदि का काम करेगा, और वह बना दिया गया है। वह यह देख रहे हैं कि मिल जल्दी से जल्दी चले।

श्री झारखण्डे राय--

अथाराइज्ड कंट्रोलर की कब नियुक्ति हुई और उनकी नियुक्ति के बाद से अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अथाराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति दिसम्बर में हुई थी और पहली जनवरी से उन्होंने अपना काम शुरू किया है। उन्होंने वहां जाकर सारे अन्दरूनी मामलों को देखा और यह परिस्थिति सामने आयी कि उसको चलाने के लिये काफी पैसा चाहिये। करीब ६० लाख रुपये का प्रश्न था। वह रुपया लेने का प्रयास कर रहे हैं। रुपया मिलने में बैंकों ने भी काफी अड़चनें डालीं। बैंक आसानी से रुपया रिलीज नहीं कर रहे हैं। अथाराइज्ड कंट्रोलर देहली और बाम्बे भी इसके लिये गये और उनके प्रयास से कुछ पैसा रिलीज हुआ भी है। उसके बाद भी कुछ और अड़चनें लगी हुई हैं जिनको मीट करने की कोशिश की जा रही है। वर्कर्स की बेचैनी से आप भी वाकिफ हैं और हम भी हैं। मगर कुछ मजबूरी है, हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वह चले। लेकिन प्लान की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद ही वह चल सकती है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

मान्यवर, ८ महीने से यह मिल बन्द है। लेबरर्स की तरफ से जितनी दिक्कतें थीं हमने उसको दूर किया, अपने सदन का काम रोक कर, अरजेन्ट मीटिंग करके, उसे पूरा किया। अब मिलवालों की तरफ से बराबर झगड़ा खड़ा होता है सरकारी लोन मिलने के लिये। यह मुझे कपूर साहब से मालूम हुआ है कि यह यू० पी० सरकार दे या गवर्नमेंट आफ इंडिया दे उसमें दिक्कत हो रही है। मैं बीस हजार मजदूरों की दुर्दशा देख कर यह प्रार्थना करता हूं कि इसमें आप खुद इंटरवीन करके वह रुपया उनको दिलवाने की कृपा करें ताकि वह मिल चालू हो सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं यूसुफ साहब को काफी शुक्र गुजार हूं कि इन सबने मिल में अच्छी परिस्थिति लाने में मदद की। पर पैसा रिलीज करने में बैंकों को सैटिसफाई करना पड़ता है। वहीं अड़चनें हो रही हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि बैंकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये जनहित में यही सर्वोत्तम मार्ग है कि उस मिल का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और क्या इस प्रश्न पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वह स्टेज अभी नहीं आयी है। अभी तो अथाराइज्ड कंट्रोलर का फैसला ही केन्द्रीय सरकार ने किया है।

श्री ए० सी० प्राईस (नाम निर्देशित, आंग्ल-भारतीय)--

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरा मिल चालू करने में वे जल्दी कर सकती हैं ? वह जल्दी चालू हो सकता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं इतना तो डिटेल में नहीं बता सकती हूं। चालू करने का हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है। हमारी खुद इच्छा है कि वह जल्दी से जल्दी चाल हो ताकि वर्करों को बेचैनी पैदा न हो। इसमें पैसा ही एक रुकावट है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगी कि जैसा कि कंट्रोलर ने रिपोर्ट दी है कि जितना धन उस मिल को चलाने में अन्तर्ग्रस्त होगा राष्ट्रीयकरण उस मिल का हो सकता है। तो क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने ऐसा कोई सुझाव मुख्य मंत्री को दिया है कि केन्द्रीय सरकार से इस बात का प्रयास किया जाय कि इस बात को देखते हुये कि धन का ज्यादा खर्चा होगा, इसका राष्ट्रीय करण केन्द्रीय सरकार कर ले ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

राष्ट्रीयकरण का सवाल तो कभी पैदा ही नहीं हुआ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---

पौने दो करोड़ रुपया सरकार को कर्जा मिल का देना है। मिल ने हर तरह का प्राफिटियरिंग किया है। साठ लाख रुपये के कपड़े पर ७५ लाख रुपया ले लिया है। बकर्स का साठ लाख रुपया बाकी है। यह सब कर्जा दे देंगे फिर मिल वालों को हैंड ओवर कर देंगे। मैं यह जानता हूं कि यह एक मिल का नहीं विक्टोरिया मिल का भी यही सवाल उठा है कि यह सरकारी अफसर अप्वाइंट हो और मजदूरों से कहा जाय कि वे कुर्बानी करें।

श्री अध्यक्ष---

यह बहस न हो।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---

यह नीति कहां तक सही है। सरकार और मजदूर दोनों कुर्बानी करें वही समाज के लिये ठीक है।

श्री अध्यक्ष---

यह तो अच्छा खासा व्याख्यान हो जाता है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जो माननीय सदस्य ने बात उठाई है उससे मुझे काफी सहानुभूति है। मगर जिस ऐक्ट के अन्तर्गत अथाराइज्ड कंट्रोलर भेजा है वह काम सम्हाल ले। फिर हम सोच सकते हैं। मगर यह ऐसा मसला है कि इसका हम अकेले निर्णय नहीं कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल कर इसका निर्णय कर सकेंगे।

सरकारी कर्मचारियों की छटनी

* ७---श्री सन्तसिंह यसुफ---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों की छटनी किस आधार पर की जा रही है और कर्मचारियों के काम का बोझ किस आधार पर बढ़ाया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सरकार ने कर्मचारियों की सामान्य रूप से छटनी करने का कोई आदेश नहीं दिये हैं। प्रशासन पर होने वाले खर्च को कम करने की दृष्टि से यह आवश्यक था कि सरकारी कर्मचारी जितना अधिक संभव हो सके, कार्य करें। अतएव जहां संभव समझा गया कार्य का बोझ बढ़ा

दिया गया। जहां काम का बोझ उसकी लागत से आंका जाता था, वहां कीमतें बढ जाने के कारण बोझ को आंकने की पुरानी सीमा बढ़ा दी गई है ।

* ८—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

सरकारी कर्मचारियों के काम के बोझ सम्बन्धी जांच कब और किसके द्वारा की गई ? इस जांच में कर्मचारियों की राय ली गई या नहीं ? क्या सरकार उपरोक्त जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकारी कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक द्वारा विभिन्न विभागों के मुआइने की रिपोर्टों और सचिवालय में किये जाने वाले काम को देख कर कुछ कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ाने की गुंजाइश पायी गयी । अतएव उन कर्मचारियों का बोझ बढ़ा दिया गया । औपचारिक रूप से कर्मचारियों की राय नहीं ली गई थी । इस सम्बन्ध में कोई विशेष रिपोर्ट नहीं है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

५० परसेंट चपरासी और १० परसेन्ट दूसरे कर्मचारी काम करने का आदेश सरकार का निकला है जिसमें से कुछ कानपुर भेजे गये हैं, तो यह छटनी हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

छटनी नहीं है । सरप्लस आदमी वहां भेजे गये हैं ।

श्री सन्तसिंह यसुफ—

क्या उनका नया एप्वाइंटमेंट हो रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

परमानेंट आदमी की सर्विस खत्म करने की बात नहीं है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

राशनिंग विभाग में भर्ती नये आदमियों की हुई या सरप्लस किये हुये लोगों की हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरप्लस लोगों में ४११ आदमी राशनिंग डिपार्टमेंट में कानपुर में लिये गये हैं ।

श्री झारखण्डे राय—

क्या मंत्री जी की छटनी की परिभाषा यह है कि एम्पलायी बेकार होकर सड़क पर भूखों फिरने लगें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बचत के लिहाज से कुछ का काम बढ़ाया, तो कुछ सरप्लस होने ही थे । निकाला कोई नहीं गया है कि बेकार हो कर सड़क पर घूमे ।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या उन कर्मचारियों की कंटीनुइटी आफ सर्विस रहेगी और पुरानी सर्विस काउन्ट होगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात विचाराधीन है ।

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[८वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

महाराजगंज थाना क्षेत्र में अपराध

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने के ग्रामों में जुलाई, १९६४ से १ अक्तूबर, सन् १९६५ तक डकैती, कत्ल, चोरी और राहजनी की कितनी घटनाएं हुई हैं और अदालत में कितने मुकदमें गये और कितने की फाइनल रिपोर्ट लग गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

१ जुलाई, १९६४ से १ अक्तूबर, १९६५ तक आजमगढ़ जिले के थाना महाराजगंज के अन्तर्गत ७ डकैती, ४ कत्ल, १ राहजनी तथा ८८ चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट हुई जिनमें डकैती के ४, कत्ल के २, राहजनी के १ व चोरी के २३ मामले अदालत में चालान हुए।

डकैती के १, कत्ल के २ तथा चोरी के ५४ मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमें अदालत में गये हैं उनमें किसी का फैसला भी हुआ है और यदि हुआ है तो किसी में सजा हुई या सारे छूट गये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

डकैती के ४ केस चालान किये गये जिनमें से ३ सेशन में विचाराधीन हैं, एक में फाइनल रिपोर्ट लगी, २ मामले एक्सपंज हो गये। कत्ल के २ मामले अदालत में गये। १ में सजा हुई और एक छूट गया। शेष दो मामलों में, वे कुंयें में कूद गये थे, उनमें फाइनल रिपोर्ट लगी है। चोरी में ८८ में से २३ चालान हुये, ५४ में फाइनल रिपोर्ट हुई, ४ एक्सपंज हुये और ७ में जांच नहीं हुयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

डकैती के जो २ और चोरी के ११ बचे उनमें क्या हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

८८ का हिसाब बता तो दिया है। बचे कहां ? ५४ में फाइनल रिपोर्ट हुई, ४ एक्सपंज हुये, २३ का चालान हुआ और ७ की जांच नहीं हुई। जोड़ लीजिये।

श्री रघुनाथसिंह—

पुलिस ने मौके पर कोई मामला पकड़ा या सब रिपोर्ट से ही मालूम हुए ?

श्री बंशीधर पांडेय—

नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार कृपा करके इसकी जांच करायेगी कि माननीय गृह मंत्री के जिले जौनपुर में और उसके सरहदी जिलों में इतनी कत्ल, डकैती और चोरी की वारदातें होती हैं उनकी रिपोर्ट होती है, लेकिन अधिकांश मामलों में जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगायी जाती है ज्यादातर मामले फर्जी साबित हो जाते हैं और छूट जाते हैं या वह घटना ही गलत होती है या सही मामलों में लोग छूट जाते हैं और गलत लोगों को फंसा दिया जाता है, इसका कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिन कारणों से लोग अदालत से छट जाते है उन्हीं कारणों से यहां भी छूट जाते होंगे।

श्री रघुनाथसिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि पुलिस की दिन रात अपने इलाके में गश्त लगाने की ड्यूटी है, लेकिन पुलिस अपने थाने में ही बैठी बैठी रिपोर्ट लिखा करती है। यह प्रश्न जब पूछा गया था तो मंत्रीजी ने कह दिया कि सूचना की आवश्यकता है ? तो आपके खयाल से क्या उनका उत्तर उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

दो चीजें होती हैं । नियम २७-२८ में यह दिया हुआ है कि प्रश्न सूचना प्राप्त करने के के लिये हों अथवा कार्यवाही में सुझाव देने के लिये हों आलोचनात्मक प्रश्न उसमें नहीं आते। आपके प्रश्न में न तो कोई सुझाव है और न कोई सूचना ही मांगी गयी है ।

कुम्भ मेला में पुल टूटने की कथित दुर्घटना

*११--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के कुम्भ मेले के अवसर पर बनाये गये पीपे के पुल न० ८ के टूट जाने के कारण अमावस्या, २१ जनवरी, १९६६ को उस पीपे के पुल पर खड़ी हुई जनता को हटाने के लिये पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसके फलस्वरूप बहुत से आदमी घायल हुये ? यदि हां, तो उस पुल के टूटने तथा बन्द कर देने तथा पुलिस द्वारा लाठी चलाने के क्या कारण थे तथा उस घटना में कितनी क्षति हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इलाहाबाद के कुम्भ मेले के अवसर पर दिनांक २१-१-६६ को पुल नं० ८ के टूटने तथा पुल पर खड़ी हुई जनता को हटाने के लिए पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने आदि की कोई घटना नहीं हुई। पुल नं० ६ पर झूंसी की तरफ से आई हुई यात्रियों की भीड़ को उक्त तारीख को पुलिस ने अवश्य पीछे हटाया था, किन्तु पुलिस ने इस सिलसिले में कोई लाठी चार्ज नहीं किया। कुछ व्यक्तियों को, भीड़ को पीछे हटाने तथा रोकने में गिरने के कारण, मामूली चोटें आई थीं, परन्तु न तो कोई व्यक्ति अस्पताल में ही भरती हुआ और न किसी को फर्स्ट एड ही की आवश्यकता प्रतीत हुई ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार को पता है कि वह पुल जिसकी यह घटना बतायी जाती है, वह टूट गया था और वहां लाखों आदमी मौजूद थे, क्या पुलिस ने उन लोगों पर लाठी नहीं चलाई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि कोई पुल नहीं टूटा और लाठी चार्ज भी नहीं हुआ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि भीड़ हटाने में लोगों के चोट आई तो मैं जानना चाहता हूं कि भीड़ को लाठी से पीछे हटाया गया था या केन से या ढकेल कर हटाया गया जिससे लोगों के चोटें आईं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब कुम्भ मेला भी खत्म हो गया और हर तरह की सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट भी निकल गई कि बहुत शांति से काम समाप्त हो गया केवल जिस दिन भीड़ ज्यादा थी उस दिन व्यवस्था करने में कुछ लोगों के मामूली सी चोटें आईं और बराबर हम लोग इधर मेजा और करछना में जाते हैं तो लोग हमसे मिल रहे हैं किसी ने आज तक वहां की किसी

दुर्घटना की बात नहीं कही सबने तारीफ ही की है। किसी के पुल टूटने से चोट लगी यह बिल्कुल गलत सूचना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसमें नाराज होने की बात क्या है, पहले शांति से बात कीजिये, इसमें मेजा या करछुना का सवाल नहीं है, सवाल पुल टूटने का था..

श्री अध्यक्ष—

पुलिस मंत्री जी बता दें कि भीड़ को कैसे पीछे हटाया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

संगम पर आने के लिये नं० ६, ७, ८ तीन पुल थे, जब इन पुलों पर बहुत अधिक भीड़ हो गई और खयाल है कि उस वक्त वहां ७०—८० लाख की भीड़ थी, उस वक्त कंट्रोल टावर से कहा गया कि संगम पर और भीड़ को न आने दिया जाय वर्ना दुर्घटना की आशंका है। लिहाजा पुलिस ने जो मेला झूंसी से ६, ७, और ८ नम्बर पुल की तरफ आ रहा था उसको समझा बुझाकर रोका और एलान किया कि अब ढाई बजने पर जब संगम पर भीड़ कम होगी तब आगे बढ़ने दिया जायगा, तो जब भीड़ वहां से लौटी तो हो सकता है कि उसमें किसी के चोट लगी हो, लेकिन न कोई अस्पताल में गया और न किसी को चोट लगी। हुआ यह कि चूंकि झूंसी की तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गयी थी तो हो सकता है कि उसमें किसी को चोट लग गयी हो।

मोदी स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स के लिए अधिगृहीत भूमि

*१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्द शहर) तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोदी पान फैक्टरी, मोदीनगर, जिला मेरठ के लिये लगभग १९० बीघा पुख्ता भूमि ग्राम सभा बेगमाबाद व गांव सभा औरंगाबाद गदाना व ग्राम सभा बिसोखर अत्यन्त उपजाऊ भूमि किन कारणों से सरकार ने एक्वायर की है जबकि इस भूमि से मिली २५० बीघे भूमि ग्राम सभा बेगमाबाद व ग्राम, सभा औरंगाबाद गदाना की कल्लर पड़ी हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि उल्लिखित बंजर भूमि का स्तर बहुत नीचा है और वह पक्की सड़क तथा नहर के बीच में होने के कारण तीन टुकड़ों में बटी हुई है, अतः नायलोन प्लान्ट (मोदी पान) जैसी बड़ी फैक्ट्री की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं समझी गई। फलस्वरूप कथित कृषि योग्य भूमि जो कि मोदीनगर के प्रस्तावित मास्टर प्लान में बृहत् उद्योगों के लिए निर्धारित क्षेत्र में पड़ती है और जिसका किसी न किसी उद्योग की स्थापना के लिए प्रयुक्त होना अवश्यम्भावी था, सरकार को उक्त सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् प्रतिरक्षोन्मुख (डिफेन्स ओरिएन्टेड) नायलोन प्लान्ट की स्थापना के लिए अधिग्रहण करनी पड़ी।

*१३—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक निजी कम्पनी के लिये सरकार ने नियमों के विरुद्ध कृषकों के अहित में उक्त भूमि को क्यों एक्वायर किया और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मोदी स्पिनिंग ऐन्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जिसके लिए लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ और लैण्ड एक्वीजीशन (कम्पनीज) रूल्स, १९६३ के अनुसार भूमि अधिग्रहण की गई है, एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है न कि निजी कम्पनी जैसा कि प्रश्न में कहा गया है।

नोट—तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ जिलों में उद्योगों का स्थापन

*१४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री दिनांक ३० जुलाई, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २० के उत्तर में दी तालिका के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तीनों जिलों की योजनायें पूरी हो रही ह ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९०७ पर)

महाराजगंज थाने में बस कण्डक्टर को लूटने की रिपोर्ट

*१५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १८ मई, १९६५ को आजमगढ़ जिले के सरायकाजी (परशुरामपुर), थाना महाराजगंज नामक स्थान पर राजकीय रोडवेज के कन्डक्टर ने कुछ लोगों के द्वारा लूटे जाने तथा मारे जाने की शिकायत स्थानीय थाने में की थी ? यदि हां, तो उसकी शिकायत क्या थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कन्डक्टर ने कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध मारने, राजकीय व निजी धन को छीन लेने तथा टिकट फ़ाड़ देने की शिकायत की थी।

*१६—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उसने यह भी शिकायत किया था कि उसके पास से कुछ टिकट और नकद रुपये जो सरकारी राशि थी, को भी लोगों ने छीन लिया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे :

(क) उसमें पुलिस ने क्या कार्यवाही की, किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई, किन-किन गवाहों का बयान लिया गया और उन गवाहों का क्या बयान है ?

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के समय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त मामले की पुनः सी० आई० डी० द्वारा जांच का आदेश देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां।

(क) मामले में थानाध्यक्ष महाराजगंज तथा सर्किल इन्स्पेक्टर मऊ द्वारा जांच कराई गई। मामला अदालत में भेजने योग्य नहीं पाया गया, अतः अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय से स्वीकृत हुई। थानाध्यक्ष तथा सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा जिन व्यक्तियों का बयान लिया गया उनकी सूची संलग्न है। गवाहों के बयानों को सदन में बताना जनहित में नहीं होगा।

(ख) इस मामले में पुलिस अधीक्षक से स्वयं जांच पड़ताल करने को कहा जा रहा है, परन्तु सी० आई० डी० की जांच की आवश्यकता इस समय प्रतीत नहीं होती है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०८–९०९ पर)

*१७—श्री उमाशंकर—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त मामले की जांच सर्किल इन्स्पेक्टर मऊ ने भी किया था, और उसकी जांच में अविश्वास करते हुये पहले ही कन्डक्टर ने डी० जी० एम० की संस्तुति के साथ उनसे जांच न कराने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो उक्त सर्किल इन्स्पेक्टर से जांच क्यों कराई गई और जांच में उन्होंने किन किन लोगों से सम्पर्क किया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह सत्य है कि कंडक्टर ने सर्किल इन्स्पेक्टर मऊ द्वारा की जा रही जांच से आपत्ति प्रकट की थी तथा इस सम्बन्ध में डी० जी० एम० आज मगढ़ द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया था। सर्किल इन्सपेक्टर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सर्किल अफसर द्वारा की गई, परन्तु उन्होंने इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं पाई। अतः सर्किल इन्सपेक्टर से इस मुकदमें की जांच वापस नहीं ली गई? सर्किल इन्सपेक्टर मऊ ने जिन जिन व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०८--९०९ पर)

पटियाली थाने में गंगू डाकू की सशस्त्र गिरफ्तारी

*१८--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा के थाना पटियाली में दिसम्बर, १९६५ में महाबीरा डाकू के गिरोह का गंगू नाम का डाकू पकड़ा गया जिसके पास राइफल के कारतूस तथा हैन्ड ग्रेनेड निकली थी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, थाना पटियाली जिला एटा में दिसम्बर, १९६५ में महाबीरा डाकू के गिरोह का गंगू नामक डाकू पकड़ा गया जिसके पास से रायफल के कारतूस तथा एक हैन्डग्रेनेड बरामद हुआ था।

*१९--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री कृष्णपालसिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस गंगू नाम के डकैत ने गिरोह के ठहरने की जगहों, शरण देने वाले आदमियों एवं कारतूस व बारूद सप्लाई करने वाले लोगों की पूरी जानकारी पुलिस कप्तान व जिलाधीश एटा के सामने दी तथा यह बताया कि जिले के ५० अन्य लोगों को भी जान से मारने के लिये गिरोह कोशिश करता रहा है और अब भी कर रहा है? यदि हां, तो उसके बयान की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह--

गंगू के बयान की प्रति मेज पर रखना अथवा उसका विवरण देना जनहित में नहीं होगा।

*२०--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री कृष्णपालसिंह--

क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि इस गंगू नामक डकैत के बयानों की एक कापी आई० जी० पुलिस उत्तर प्रदेश को भी पुलिस कप्तान एटा ने भेजी थी? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह--

उसके बयान की प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक को नहीं भेजी गई, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई थी।

*२१--श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)--

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

तुलसीपुर थाने में पाई गई लाश

*२२--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में ग्राम नैकनिया, थाना तुलसीपुर में १८ जून, १९६५ को एक आदमी की लाश पाई गई? यदि हां, तो प्रारम्भिक रिपोर्ट क्या है और किसन, कब लिखाई है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, प्रारम्भिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१० पर)

*२३—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त लाश की जांच के दौरान कौन-कौन से अधिकारियों ने किस-किस तारीख को कौन-कौन से लोगों के चालान किये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अभी किसी का चालान नहीं हुआ है। जांच जारी है।

चुर्क सीमेंट का भाव

*२४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी चुर्क में उत्पादन सीमेंट का भाव पिछले तीन साल के अन्दर क्या रहा है और उसमें यदि कोई वृद्धि हुई तो कब-कब और कितनी-कितनी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९११ पर)

*२५—श्री नेकराम शर्मा—

यदि समय-समय पर सीमेंट की कीमत में वृद्धि की गयी है तो क्या उसकी सूचना डीलरों को भी दी गयी थी ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(अ) जी हां।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

*२६—श्री नेकराम शर्मा—

क्या इस समय डीलरों से पिछली बढ़ी हुई कीमत अलग से वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो किस नियम व कानून के आधार पर ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत तथा बुलन्दशहर जिले में ग्राम सेविकायें तथा महिला ए० डी० ओज

*२७—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल), श्री मोहनलाल आचार्य (जिला पीलीभीत) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर तथा पीलीभीत जिले में कितनी महिला ग्राम सेविकायें हैं और कितनी महिला सहायक विकास खण्ड अधिकारी हैं और क्या उनका कार्य आमतौर से सन्तोषजनक है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जिला बुलन्दशहर में १२ महिला सहायक विकास अधिकारी तथा ३५ ग्राम सेविकायें हैं और जिला पीलीभीत में ४ महिला सहायक विकास अधिकारी तथा ११ ग्राम सेविकायें हैं। जी हां।

शाहजहांपुर में औद्योगिक आस्थान

*२८—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि शाहजहांपुर में जो इन्डस्ट्रियल इस्टेट बन रही थी उसका कार्य गत माह से रुक क्यों गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शाहजहांपुर में जो औद्योगिक आस्थान बन रहा है वहां पानी के लिये टयूबवेल तथा इसके लिये टंकी को छोड़कर सभी कार्य पूर्ण हो चुका है। वहां कोई इमारत सरकार को नहीं बनानी थी, केवल विकसित भूमि ही साहसियों को देनी थी। वहां बिजली के खंभे, सड़क, नाली तथा पुलिया इत्यादि का कार्य पूर्ण हो चुका है। ट्यूबवेल तथा एक टंकी के लिये अधिशासी अभियन्ताने अतिरिक्त धन की मांग की है। यह टंकी और ट्यूबेल उद्योग निदेशालय तथा डाइरेक्टरेट आफ इम्पलायमेंट एण्ड ट्रेनिंग द्वारा आधा आधा खर्चा देकर बनवाया जायेगा जिसके व्यय का अभी पूर्ण ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ है। उसके मिलते ही उचित कार्यवाही शीघ्र ही की जावेगी।

*२९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त इन्डस्ट्रियल इस्टेट को आवश्यक लाइसेन्स डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के यहां से कब मिले ? यदि अभी तक नहीं प्राप्त हुए तो क्या वे तुरन्त कार्यवाही इस विषय में करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी जो प्लाटों का एलाटमेन्ट साहसियों को किया गया है उनमें से किसी ने उन प्लाटों पर कब्जा नहीं लिया है। कब्जा लेने के बाद वहां पर स्वयं साहसी अपनी अपनी फैक्टरियों का निर्माण करेंगे। जब वह लोग अपनी फैक्टरियां वहां स्थापित कर लेंगे उसके बाद ही उन्हें आवश्यकता सर्टिफिकेट (Essentiality certificate) की आवश्यकता होगी। औद्योगिक आस्थान के इकाइयों के लिये तब तक उद्योग निदेशालय से किसी भी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है जब तक वहां फैक्टरियां स्थापित न हों। इस लिये अभी आवश्यकता सर्टीफिकेट का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में औद्योगिक आस्थान

*३०—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में इन्डस्ट्रियल इस्टेट बन रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश के निम्न जिलों में औद्योगिक आस्थान बन रहे हैं :

बृहत् औद्योगिक आस्थान:

१—अलीगढ़, २—मेरठ, ३—वाराणसी, ४—लखनऊ।

मध्यम औद्योगिक आस्थान:

१—गोरखपुर २—देहरादून, ३—मिर्जापुर, ४—बरेली तथा ५—रुड़की (सहारनपुर)

छोटे औद्योगिक आस्थान—

१—आजमगढ, २—मुरादाबाद, ३—उन्नाव ४—फर्रुखाबाद, ५—खैराबाद (सीतापुर) खुर्जा (बुलन्दशहर) ।

विकसित खन्ड औद्योगिक आस्थान—

१—मुजफ्फरनगर
२—हाथरस (अलीगढ़)
३—फिरोजाबाद (आगरा)
४—लखीमपुर खीरी
५—शाहजहांपुर
६—बाराबंकी ।
७—मैनपुरी
८—मथुरा
९—फैजाबाद
१०—रामपुर

ग्रामीण औद्योगिक आस्थान

१—जोथा (मुरादाबाद)
२—अतरौली (अलीगढ़)
३—चौहड़पुर (देहरादून)
४—गोला गोकरन नाथ (खेरी)
५—सुल्तानपुर
६—नगीना (बिजनौर)
७—श्याम मन्डी (बुलन्दशहर)
८—जसवन्तनगर (इटावा)
९—ललौरी खेड़ा (पीलीभीत)
१०—बांदा
११—सलीमपुर (देवरिया)
१२—महोबा (हमीरपुर)
१३—उरई
१४—बहराइच
१५—बीकापुर (फैजाबाद)
१६—भोजीपुरा (बरेली)
१७—घोसी (आजमगढ़)
१८—फूलपुर (इलाहाबाद)
१९—ललितपुर (झांसी)
२०—मटहट (गोरखपुर) तथा
२१—जौनपुर ।

देवरिया जिले में गन्ने का मूल्य

*३१—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शक्कर, गुड़ तथा खांडसारी उद्योगों के विकास के लिये बनी उच्चाधिकार सलाहकार समिति १९६४ ने अपने प्रति वेदन में गन्ने का दाम गन्ने का बावग बोआई शुरू होने के तीन माह पूर्व घोषित करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो उसके अनुसार (जब कि बावग का समय डेढ़ माह से भी कम रह गया है) साल १९६५–६६ के लिये गन्ने का दाम क्या होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६५–६६ सीजन के लिये गेट पर सप्लाई किये जाने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य १०.४ प्रतिशत या उससे कम रिकवरी होने की दशा में रुपये ५.३६ प्रति कुंटल निश्चित किया गया है ।

*३२—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ने की कीमत ३ रु० मन और चीनी की कीमत ४८ रु० मन करने के लिये देवरिया के गन्ना किसानों ने अभी हाल ही में विशेषकर गौरीबाजार, बैतालपुर, देवरिया, कप्तानगंज, खड्डा के किसानों ने कई दिनों तक मिलों को गन्ना देना बन्द कर दिया था ? यदि हां, तो गन्ने का बावग बोआई के समय निकट जान कर इस ओर सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्राप्त सूचनानुसार देवरिया जिले की केवल दो चीनी मिल अर्थात् गौरीबाजार और बैतालपुर मिलों में गन्ना किसानों ने सुरक्षा कोष में कटौती आदि के विरोध में २०-१-६६ से २२-१-६६ तक आंशिक रूप से गन्ना सप्लाई किया। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६६-६७ सीजन के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य वर्तमान दर के स्तर पर ही निश्चित किया गया है।

मैनपुरी जिले में श्रीमती महादेवी की हत्या

*३३--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि मुहल्ला पुरोहिताना मैनपुरी थाना कोतवाली के अन्तर्गत श्रीमती महादेवी, पत्नी पं० सीताराम दुबे जो कि श्री रमेशचन्द्र दुबे, डिप्टी कलेक्टर आगरा की मां है, का कत्ल दिनांक १ अक्तूबर १९६५ को समय लगभग १०-३० व १२ बजे दिन में कर दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस आशय की एक रिपोर्ट दी गयी थी कि श्रीमती महादेवी पत्नी पं० सीताराम दुबे की हत्या दिनांक १-१०-६५ को दिन में की गई।

*३४--श्री गनेशीलाल चौधरी--

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस मामले में अब तक एक व्यक्ति के विरुद्ध चार्ज शीट भेजी जा चुकी है और जांच अभी जारी है।

*३५--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कत्ल में किन-किन व्यक्तियों की साजिश बताई जाती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--

क्योंकि मामले में जांच हो रही है। अतः इस संबंध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

जिलाधीश फतेहपुर के विरुद्ध आरोप

*३६--श्री रघुबीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या यह बात सही है कि मुख्य मंत्री के पास १६ दिसम्बर, १९६५, २१ दिसम्बर, १९६५ तथा १० जनवरी, १९६६ को जिलाधीश फतेहपुर के विरुद्ध प्रश्न कर्त्ता द्वारा भीषण आरोप लगाते हुए खुली जांच की मांग की है ? यदि हां, तो मुख्य मुख्य आरोप क्या हैं ? और जिलाधीश के विरुद्ध क्या क की जर्यवाही।ा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न कर्त्ता से जिलाधीश फतेहपुर के विरुद्ध उल्लिखित तीन शिकायती पत्र प्राप्त हुए। मुख्य आरोपों की सूची संलग्न है। आरोप निराधार पाये गये।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ९१२-९१३ पर।)

*३७--३८--श्री इन्द्रासन सिंह, श्री उमा शंकर, तथा श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)--

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

बसखारी थाना निवासी श्री बिश्वनाथ सिंह की कान्स्टेबिल के विरुद्ध शिकायत

*३९—श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री विश्वनाथ सिंह, पुत्र कुंजबिहारी सिंह, निवासी ग्राम माधोपुर दिघौटा, थाना बसखारी जिला फैजाबाद का इस आशय का आरोप पत्र दिनांक ८ नवम्बर, १९६५ व २२ नवम्बर, १९६५ को पुलिस चौकी रफीगंज, जिला फैजाबाद के कांस्टेबिल श्री मुरलीसिंह ने ५ नवम्बर, १९६५ को मुबलिग ५० रुपये रिश्वत जबरदस्ती वसूल किया, गृह मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री विश्वनाथ सिंह, निवासी ग्राम माधोपुर, दिघौटा थाना बसखारी का एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र दिसम्बर, १९६५ में प्राप्त हुआ था जिसमें कान्स्टेबिल मुरली सिंह के विरुद्ध जबरदस्ती ५० रु० घूस लेने की शिकायत की गई थी। जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*४०–४१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल ऐडवोकेट (जिला बरेली)—

[६वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ५१–५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—

[५वें शुक्रवार (११–३–६६) को प्रश्न संख्या ८७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है]

*४३—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

मटौंध गांव में अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी

*४४—श्री रतीपाल (जिला राय बरेली), श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री लखीसिंह, श्री गिरजाप्रसाद तथा श्री भगवान दीन (जिला राय बरेली)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा, थाना मटौंध के अन्तर्गत ग्राम मटौंध में पुलिस कप्तान के दिनांक २८ अक्तूबर, १९६५ के आदेशानुसार श्री सन्त कुमार, थाना इंचार्ज मटौंध ने ३१ अक्तूबर, १९६५ को कुछ व्यक्तियों के घर पर छापा मारा ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के पास नाजायज अस्लहा बरामद हुए और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक ३१–१०–६५ को थाना इंचार्ज मटौंध ने मटौंध ग्राम में तलाशी ली जिसके फलस्वरूप श्री रामेश्वर सिंह के घर से ३१५ बोर की एक रायफल मिली जब कि उनके पास लाइसेंस २४० बोर का था। श्री विशाल सिंह के घर से एक टोपीदार, बन्दूक, कुछ बारूद और एक लाइसेंस जो भूतपूर्व चौकीदार श्री बद्री प्रसाद के नाम था, मिले। मामले में जांच की जा रही है।

*४५—श्री रतीपाल, श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री लखीसिंह, श्री गिरजाप्रसाद तथा श्रीभगवानदीन—

क्या यह सही है कि डी० आई० जी०, कानपुर ने अपने विशेष आदेश से थाना इंचार्ज मटौंध को बिना जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगे इलाहाबाद पद अवनति करके स्थानान्तरण कर दिया और साथ ही साथ मामले की कार्यवाही स्थगित करने का भी आदेश दिया जिसकी सूचना

तार द्वारा बांदा के किसी सम्मानित व्यक्ति ने आपको, आई० जी० पुलिस को तथा मुख्य मंत्री को दिनांक १९ नवम्बर, १९६५ को दिया और ऐसा न करने की मांग की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हर गोविन्द सिंह—

यह सही है कि थाना इंचार्ज मटौध का स्थानान्तरण डी० आई० जी० ने इलाहाबाद किया पर यह सही नहीं है कि उनकी पद अवनति करके स्थानान्तरण किया गया अथवा जिला अधिकारियों से सलाह नहीं ली गई। ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया कि मामले में कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। इस संबंध में एक तार प्राप्त हुआ था पर इस पर अलग से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि मामले में पहले ही आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिए गए थे।

*४६—श्री रतीपाल, श्री चन्द्रबलीसिंह, श्री लखीसिंह, श्री गिरजाप्रसाद तथा श्री भगवानदीन—

क्या यह सही है कि मुलजिमों से एक को उसका असलहा जो उसके पास से नाजायज बरामद हुआ था, परगनाधीश बांदा ने उसे वापस कर दिया ? यदि हां, तो असलहा किस नम्बर का था और जो वापस किया गया उसका नम्बर क्या है तथा ऐसा किस नियम के आधार पर किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री रामेश्वर सिंह के यहां से प्राप्त ३१५ बोर की रायफल का लाइसेंस श्री विशाल सिंह के पास था और वही उसके स्वामी थे। अतः उनकी प्रार्थना पर यह रायफल एस० डी० एम० बांदा की आज्ञानुसार जमानत व मुचलका लेकर उन्हें वापस कर दी गई। उक्त रायफल का नं० ०९७१ है।

गन्ने की पेराई

*४७—श्री बांकेलाल तथा श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि गुड़ का दाम १४–१५ रुपया मन हो जाने के कारण गुड़ का बनना खत्म होने लगा है और जिससे प्रदेश में करोड़ों मन गन्ना के बिना पेरे रह जाने की हालत पैदा हो गई है ? यदि हां, तो संपूर्ण गन्ने के पेरने की पूरी व्यवस्था करने के लिये क्या कोई अहम कदम उठाया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्तमान सीजन में यद्यपि गुड़ का भाव कम हो जाने से गुड़ का बनना बन्द नहीं हुआ है तथापि जिस मात्रा में गन्ने की खपत गुड़ में होने की संभावना थी वह नहीं हो रही है। फलस्वरूप प्रदेश में जिन चीनी मिलों के क्षेत्रों में गन्ने की अधिकाई हो गई है उस अतिरिक्त गन्ने को गन्ना आयुक्त द्वारा पड़ौसी चीनी मिलों को डाइवर्ट करने की व्यवस्था समय समय पर की जा रही है। आशा की जाती है कि प्रदेश की चीनी मिलों तथा पावर क्रशर्स में समस्त पेराई के लिये उपलब्ध गन्ने की खपत सीजन के अन्त तक हो सकेगी।

सहावर में "आन दि मार्च" न्यूज रील का प्रदर्शन

*४८—श्री बेदराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ५ फरवरी, १९६६ को कस्बा सहावर, जिला एटा में भारत पाकिस्तान युद्ध संबंधी सरकारी फिल्म एक सिनेमा में प्रदर्शित किया जा रहा था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कस्बा सहावर जिला एटा में लगे न्यू वेस्ट टूरिंग टाकीज में दिनांक ५ फरवरी, १९६६ को "आन दी मार्च" शीर्षक न्यूज रील प्रदर्शित की जा रही थी।

*४९—श्री बेदराम—

यदि हां, तो क्या यह सच है कि वह एकाएक पुलिस अधिकारियों के आदेश पर बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो वह पूर्ण विवरण क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, वहां की स्थानीय पुलिस ने उक्त न्यूज रील के प्रदर्शन को बन्द नहीं कराया। सिनेमा में कुछ कहा सुनी न्यूज रील के बीच में ही टूट जाने के कारण दर्शकों में आपस में हो गई थी जो पुलिस ने दर्शकों को समझा कर शांत करा दी।

एटा जिले में पुलिस अत्याचार के विरोध में बस हड़ताल

*५०—श्री लोकपाल सिंह, श्री गिरवरप्रसाद, श्री बेदराम, श्री श्रीराम, (जिला बिजनौर) श्री मतोलासिंह (जिला बांदा) श्री हेमराज, (जिला बरेली), श्रीराम सिंह तथा श्री अवैद्यनाथ (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सच है कि एटा जिले के थाना अलीगंज के थानेदार तथा अन्य सिपाहियों के अत्याचार के विरोध में ३ फरवरी, १९६६ को अलीगंज से जाने वाली सभी लारियों ने हड़ताल रखी? तो क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

एटा जिले के थाना अलीगंज के थानेदार तथा अन्य सिपाहियों के कथित अत्याचार के विरोध में ३ फरवरी, ६६ को एटा-अलीगंज रूट की तथा एटा-कायमगंज दरयावगंज रूट की बसों ने हड़ताल रक्खी।

पुलिस के विरुद्ध अत्याचार की शिकायत जांच से सत्य साबित नहीं हुई अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधीश, शाहजहांपुर द्वारा आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स की स्वीकृति

*५१—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश शाहजहांपुर को १५ मई, १९६५ से ३१ जनवरी, १९६६ तक कितने प्रार्थना पत्र असलहों के लाइसेन्स के कप्तान पुलिस द्वारा रिकमेंडेड प्राप्त हुए और उनमें से कितने जिलाधीश ने स्वीकार किय?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस अवधि में पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने कुल २३५ आग्नेयास्त्र के लाइसेंस के लिये प्रार्थना पत्र रिकमेन्ड करके जिलाधीश को भेजे। इनमें से ७८ प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये।

*५२—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असलहा के प्रार्थना पत्र जो एस० पी० के रिकमेंडेड प्राप्त हुये उनमें से कितने विलेज डिफेंस स्कीम के अन्तर्गत हैं और क्या शासन का ऐसा जी० ओ० भी है कि विलेज डिफेंस स्कीम को तुरन्त स्वीकार होना चाहिये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति आग्नेयास्त्र के लाइसेंस के प्रार्थना-पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुये उनमें से ७५ ग्रामीण सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हैं।

शासन ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि ग्रामीण सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिये ।

बस्ती जिले में ए० डी० एम० जेल

*५३—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में कितने ऐसे ए० डी० एम० (जे) हैं जिनके इस जिले में कार्यकाल ३ वर्ष या उससे ज्यादा हो गया है ? तीन साल से ज्यादा समय तक एक स्थान पर रखे जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बन्दियों की प्रोबेशन पर रिहाई के मामले

*५४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ३१ जुलाई, १९६५ को हुयी प्रोबेशन बोर्ड की बैठक में रिकमेंड हो कर गये मामलों से सम्बन्धित कैदी अभी तक जमानत पर रिहा नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

केवल ७ बन्दियों की रिहाई के आदेश अभी जारी नहीं हुये हैं क्योंकि उनके मामले अभी विचाराधीन हैं ।

पुलिस अधीक्षक झांसी को श्री चुन्नीलाल का प्रार्थना पत्र

*५५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक २९ नवम्बर, १९६५ को श्री चुन्नीलाल, पुत्र श्री कामता कोरी, ग्राम बड़ा गांव, जिला झांसी द्वारा कप्तान पुलिस, झांसी को इस आशय की कोई शिकायत की गई है कि उसके भाई की मृत्यु बस नं० ४५९० यू० पी० आई० झांसी, जिसे कि बस का मालिक चला रहा था, के द्वारा की गई ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्रार्थना-पत्र में थानेदार के विरुद्ध गम्भीर आरोप उक्त शिकायत में किये गये ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

२९ नवम्बर १९६५ को श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री कामता कोरी, ग्राम बड़ा गांव, जिला झांसी के पुलिस अधीक्षक झांसी को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि उसके भाई को बस नं० ४५९० यू० पी० द्वारा, जिसे कहा जाता है कि मोटर का मालिक खुद चला रहा था, मार डाला गया । विवेचना से इस घटना के सम्बन्ध में मोटर चालक रमेशचन्द्र का दोष पाया गया । अतः उसका चालान भारतीय दन्ड विधान की धारा २७९/३०४ ए के अन्तर्गत कर दिया गया है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं वे जांच से सिद्ध नहीं हुये ।

कलेक्ट्रेट संघ, फतेहपुर द्वारा सुरक्षा कोष के लिए नाटक का आयोजन

*५६—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलेक्ट्रेट संघ, फतेहपुर, द्वारा ३ फरवरी, १९६६ को राष्ट्रीय सुरक्षा कोष हेतु किसी नाटक का आयोजन किया गया ? जिसके लिये सरकारी

रास्ट्रीय सुरक्षा कोष की रसीद बहियों का उपयोग न करके उक्त सरकारी कर्मचारियों के संघ द्वारा "राष्ट्रीय सुरक्षा कोष हेतु" नाम के अनियमित टिकटों द्वारा अल्प बेतन भोगी कर्मचारियों से हजारों रुपया एकत्रित किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

नाटक आदि द्वारा धन एकत्र करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की रसीद बहियों का उपयोग नहीं किया जाता है इनमें केवल टिकट ही बेचे जाते हैं ।

यह कहना गलत है कि ये टिकट अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को बेचे गये थे बल्कि इन टिकटों को दर्शकों ने अपनी इच्छा से खरीदा था ।

*५७—श्री राम किशोर वर्मा—

उक्त रसीद बही किस अधिकारी के आदेश से छपवा कर अनुचित एवं अनियमित ढंग से रुपया वसूल किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त नाटक के आयोजन में किसी प्रकार की रसीद बहियां नहीं छपवाई गईं थी, बल्कि संघ ने अपने टिकट छपवाये थे जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई ।

भदोही स्टेशन पर श्री शास्त्री के पुत्र से धक्का मुक्की

*५८—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २७ जनवरी, १९६६ को अपर इंडिया से लौटते हुये प्रधान मंत्री शास्त्री के परिवार के उनके पुत्र तथा दामाद की घड़ी तथा दूसरे सामान भदोही स्टेशन पर कुछ लोगों ने उनके डिब्बे में घुस कर छीन लिया और झगड़ा किया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

दिनांक २७ जनवरी, १९६६ को भदोही स्टेशन पर अपर इंडिया के प्रथम श्रेणी के सुरक्षित डिब्बे में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री शास्त्री के परिवार के लोग यात्रा कर रहे थे, कुछ लोगों ने चढ़ने का प्रयास किया और धक्का मुक्की हुई इसी में श्री शास्त्री के सुपुत्र की घड़ी कहीं निकल पड़ी । कोई सामान छीना नहीं गया ।

इस सम्बन्ध में ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

ग्राम सराय पांडेय में पुलिस गारद

*५९—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत थाना लोनी कटरा के ग्राम सराय पांडे में पुलिस गार्ड किस सन् से नियुक्त है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला बाराबंकी के थाना लोनी कटरा के अन्तर्गत ग्राम सराय पांडे में सन् १९६३ से पुलिस गार्ड तैनात हैं ।

*६०—श्री गुप्तारसिंह—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर पुलिस गार्ड रखने का व्यय गांव वालों से वसूल होता है या सरकार देती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त गार्ड पर समस्त व्यय शासन ही देता रहा है। कोई धनराशि इस सम्बन्ध में ग्राम वासियों से नहीं वसूल की जाती है।

*६१—श्री गुप्तारसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुलिस गार्ड का कुल खर्च प्रारम्भ से आज तक कितना हुआ और माहवार खर्च क्या होता है, और कब तक यह पुलिस गार्ड रहेगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त गार्ड पर दिनांक २८ फरवरी, १९६६ तक २०,३५९ रु० ६१ पैसे कुल व्यय हुआ। मासिक व्यय औसत ५७५ रु० होता है। उपरोक्त ग्राम में शान्ति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना बनी हुई है, अतः पुलिस गार्ड रखना अभी आवश्यक है।

*६२—श्री बेदराम—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

गोंडा जिले में गन्ने का सट्टा

*६३—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में गन्ने का सट्टा प्रति एकड़ किस दर से किया गया है और किसानों को उसी दर से पर्चियां न देने के कारण गन्ना खड़ा है ? यदि हां, तो शीघ्र उचित कार्यवाही सरकार करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश के अन्य जिलों की भांति गोंडा जिले में भी गन्ने का सट्टा कृषकों के पांच साल के औसत सप्लाई अथवा अनुमानित उपज की ८५ प्रतिशत की सीमा तक किया जाता है। सट्टे की मात्रा निर्धारित होने के बाद कलेन्डर बनाये जाते हैं। इसके पश्चात् मिलों द्वारा पेराई के लिये गन्ने की मांग तथा गन्ना समितियों द्वारा किये गये गन्ने के आफर (जो सट्टे किये गये गन्ने की मात्रा से कम होता है) के आधार पर किसानों को पुर्जियों का वितरण कलेन्डर के अनुसार किया जाता है। १९६५–६६ सीजन में सट्टा किये गये गन्ने की पेराई की व्यवस्था का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९१४ पर)

मुरादाबाद जिले में श्री गंगा प्रसाद, लेदर इन्सट्रक्टर के विरुद्ध कार्यवाही

*६४—श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने बहुकम नम्बरी २१२५६/५६-आर—४-ए० डी०—५५, दिनांक २१ अक्तूबर, सन् १९६३ ई० श्री गंगा प्रसाद, असिस्टेन्ट लेदर इंस्ट्रक्टर को जो इस वक्त (जोया) इंडस्ट्रीज किलस्टर, जिला मुरादाबाद में काम कर रहे हैं, ६ मई, सन् १९५२ से अपनी मुलाजिमत पर रिइंस्टेट कर दिया है ? अगर कर दिया है, तो क्या उनकी तनख्वाह और भत्ता वगैरह उनको अदा कर दिया गया है, तो कितना ? अगर नहीं, किया गया, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

श्री गंगा प्रसाद के विरुद्ध सरकारी माल में भारी कमी पाये जाने के कारण विभागीय कार्यवाहियां की जा रही हैं। इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप जो निर्णय लिया जायेगा उसके आधार पर ही श्री गंगा प्रसाद के अवशेष धनराशि के भुगतान पर विचार किया जायेगा।

कुम्भ मेले में चोरियां

*६५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में गत कुम्भ मेले के अवसर पर उस मेले के अन्तर्गत कितने स्थानों पर चोरी की सूचना कुम्भ मेले के पुलिस थानों पर लिखाई गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९१५ पर)

*६६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि गत कुम्भ मेले में जो झूंसी क्षेत्र में भी कैम्प लगाया था झूंसी क्षेत्र में उसी अवधि में जो पंचायती अखाड़े का कैम्प था उसी कैम्प से १ लाख रुपये की सोने की मूर्ति गायब हो गई और उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को की गई ? यदि हां, तो उसमें कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २१ जनवरी, १९६६ को कुम्भ मेले में थाना अखाड़ा के क्षेत्र में एक सोने की मूर्ति जिसका मूल्य २०,००० रुपया बताया जाता है बड़े पंचायती अखाड़े के कैम्प से चोरी हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले में अभी तक एक व्यक्ति पकड़ा गया है ।

वाराणसी निवासी श्री रामकृष्ण की आर्म्स लाइसेन्स क्लर्क के विरुद्ध शिकायत

*६७—श्री रघुनाथसिंह तथा श्री गिरधारीलाल (जिला बिजनौर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के प्रतिष्ठित नागरिक श्री रामकृष्ण, जो हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर के वंशधर हैं, का दिनांक १२ फरवरी, १९६६ का लिखा पत्र बनारस कलेक्टरेट के आर्म्स लाइसेंस क्लर्क के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, इस आशय का एक पत्र मिला है। जिला मैजिस्ट्रेट वाराणसी से रिपोर्ट मांगी गयी है ।

मड़ियाहूं तहसील में उद्योगों के लिए सहायता

*६८—श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लघु उद्योग विभाग की ओर से सन् १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ में जौनपुर जिले की मड़ियाहू तहसील में किन-किन व्यक्तियों के किन-किन उद्योगों के लिये कितना कितना धन दिया गया ? उसमें से कौन-कौन उद्योग प्रारम्भ हुआ तथा कितना धन उद्योग न प्रारम्भ करने वालों से वसूल करना शेष है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और उद्योगों के नाम तथा ऋण की धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

दिये गये ऋण के फलस्वरूप कृषि यंत्र, हौजरी, फर्नीचर, शीशे के मोती बनाना, ऊनी कालीन, ऊनी काती, खांडसारी सैनीटरी फिटिंग्स उद्योग प्रारम्भ हुये।

ऋण का उद्योग न करने और उद्योग न प्रारम्भ करने वालों से १०,५०० रु० मूलधन और ६६३ रु० १०पैसे ब्याज के मद में वसूल करना शेष है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९१६–९१७ पर)

*६९—श्री सूरजपालसिंह यादव—

[७वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

थानाध्यक्ष, महाराजगंज के विरुद्ध कुंजल यादव के आरोप

*७०—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम यूसुफपुर, पो० नेवादा, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के निवासियों की ओर से दिनांक ८ जनवरी, १९६६ का लिखित कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें तथा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को प्राप्त हुआ है, जिसमें थाना इंचार्ज के विपरीत इस आशय की शिकायत है कि परिवार सहित इक्के पर यात्रा करके किराया मांगने पर हवालात में बन्द किये और ३० रुपये घूस लेने के बाद थाने की हवालात से छोड़े गये ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा प्रार्थी के बयान और साक्ष्य लिये गये ? यदि हां, तो परिणाम क्या हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री कुंजल यादव, ग्राम युसुफपुर, पोस्ट नेवादा थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ का इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । आरोपों की जांच क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कराई गई और उन्होंने प्रार्थी तथा अन्य साक्षियों के बयान लिये परन्तु आरोप सही नहीं सिद्ध हुये ।

थानाध्यक्ष, मधुबन के विरुद्ध आरोप

*७१—श्री मंगलदेव—

क्या गृह मंत्री को मालूम है कि श्री हसन खां, ग्राम सियाह इब्राहीमाबाद, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ ने दिनांक २७ जनवरी, १९६६ को इस आशय का प्रार्थना-पत्र जिला पुलिस कप्तान आजमगढ़ और आई० जी० लखनऊ को दिया है कि उक्त थाने के थानेदार ने उसे पकड़ कर थाने में बन्द कर तथा ७५ रु० घूस ले कर छोड़ा है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री हसन खां, ग्राम सिपाह इब्राहिमाबाद, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ का २७ जनवरी, १९६६ का प्रार्थना-पत्र , जिसमें थानाध्यक्ष मधुबन के विरुद्ध उनके लड़के को पकड़ कर थाने में बन्द किये जाने तथा ७५ रु० घूस ले कर छोड़ने के आरोप थे, प्राप्त हुआ था ।

प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों के बारे में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जांच की गई परन्तु आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

*७२–७३—श्री बालोजी अग्रवाल—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले में जुडीशियल अफसर

*७४—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कुल कितने जुडीशियल अफसर हैं जिनका कार्यकाल इस जिले में तीन वर्ष से ज्यादा हो गया, इनको इस प्रकार एक ही जगह रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*७५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

थानेदार, हथगांव के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*७६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

९ सितम्बर, १९६५ के तारांकित प्रश्न ८ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या गृह मंत्री दिनांक २२ अक्तूबर, १९६४ के प्रार्थना-पत्र को सदन की मेज पर रखते हुये बतायेंगे कि क्या उसमें श्रीमती कमला देवी को रोजनामचे में आमद कर के थाने में रोकने व उसके साथ थानेदार द्वारा व्यभिचार करने के भी आरोप हैं और उसका बयान अदालत में हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह आरोप भी सही नहीं हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २२ अक्तूबर, १९६४ के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें पुलिस द्वारा श्रीमती कमला देवी को अपने आधिपत्य में रखने व व्यभिचार करने के आरोप लगाये गये हैं। श्रीमती कमला देवी का बयान अदालत में हुआ । उक्त आरोप भी जांच से सही नहीं पाये गये ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९१८ पर)

*७७—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

उक्त दिनांक ९ सितम्बर, १९६५ के प्रश्न ८ के ही उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त दिनांक २२ अक्तूबर, १९६४के प्रार्थना पत्र किसने किसके माध्यम से जिलाधीश को दिया और जिलाधीश ने जो रिपोर्ट उक्त महिला सहित तीन दिन के अन्दर पेश करने का आदेश पुलिस कप्तान को दिया था वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २२–१०–६४ का प्रार्थना पत्र श्री भोला नाथ पुत्र नन्देश्वर ने स्वयं जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान पर तीन व्यक्तियों के साथ व प्रश्न कर्ता महोदय व श्री रक्षपाल सिंह विधायक के साथ दिया था जिसके संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट ने पुलिस कप्तान से शीघ्र रिपोर्ट मांगी थी । पुलिस कप्तान की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को दिनांक १०–९–६४ को धारा ६० आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और श्रीमती कमला देवी को जो प्रार्थी के साथ थी पहले ग्राम के एक व्यक्ति व बाद में उनके पिता की सुपुर्दगी में दिया गया । पुलिस के विरुद्ध श्रीमती कमला देवी के साथ व्यभिचार करने के आरोप के संबंध में पुलिस कप्तान ने श्रीमती कमला देवी के बयान के बाद जांच करने की बात कही थी । श्रीमती कमला देवी के बयान के बाद अतिरिक्त जिला अधिकारी (न्याय) द्वारा जांच की गई और आरोप सही नहीं पाये गये ।

कानपुर जिले में मोरम की खदानें

*७८—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत मोरम की खदानें कहां-कहां पर हैं और सरकार ने उन्हें अपने कब्जे में कब लिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला कानपुर के अन्तर्गत मोरम की खादानें अधिकतर तहसील भोगनीपुर तथा तहसील घाटमपुर के निम्नलिखित मौजों में हैं :

नाम तहसील	नाम मौजा
(१) भोगीपुर, पुखरायां	डिलौसिया बांगर, चौरा, करियापुर, भोगनीपुर, दौलतपुर, देवरहट, महेशपुर, सिहरौली, बुबेर, खस्तला, उदईपुर ।
(२) घाटमपुर, हरदौली, समुही, तहरापुर ।	

२—उप खनिजों का नियंत्रण करने के लिए सरकार ने अगस्त १९६३, में उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियामावली बनाई जो १४ सितम्बर, १९६३ को सरकारी गजट में प्रकाशित की गई थी। सरकार इसी नियमावली के अन्तर्गत मोरम का नियंत्रण कर रही है। इसे कब्जे में लेने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह अन्य खनिजों की भांति सरकार की सम्पत्ति है।

अतारांकित प्रश्न

खानपुर ग्राम मे पुलिस चौकी की आवश्यकता

१—श्री मोहन लाल आचार्य, श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री अनीसुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्रस्थान, जिला बुलन्दशहर के ग्राम खानपुर में एक चौकी स्थापित करने पर ध्यान देगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी नहीं ।

पुलिस आयोग की शिफारिशों के आधार पर बुलन्दशहर जिले के थानों के प्रस्ताव में स्थाना क्षेत्र के थाना औरंगाबाद के वर्तमान क्षेत्रफल में कमी करने का प्रस्ताव है और इसको ध्यान में रखते हुए वहां पर कोई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

सहायक विकास अधिकारी, हापुड़ का स्थानान्तरण

२—श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सहायक विकास खण्ड अधिकारी (उद्योग) का हापुड़ जिला मेरठ का स्थानान्तरण लगभग दो मास पूर्व ज्वाइन्ट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज मेरठ द्वारा किया गया था? यदि हां, तो उक्त सहायक अधिकारी को आज तक रिलीव क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। उनका स्थानान्तरण सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) देहरादून श्री बी० के० अग्रवाल की जगह पर किया गया था जिन्हें देहरादून से हापुड़ जाना था। परन्तु इसी बीच श्री अग्रवाल का स्थानान्तरण उद्योग निदेशालय के आदेश द्वारा बरेली हो गया। इस प्रकार श्री रामचन्द्र माटी सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) हापुड़ का स्थानान्तरण रद्द हो गया।

प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मेरी एक प्रार्थना है और आप उस पर व्यवस्था दें....

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, वहां पर लाखों आदमी इकट्ठे थे--

श्री अध्यक्ष--

अभी माननीया मुख्य मंत्री ने कहा है कि वहां पर ५० या ६० लाख आदमी इकट्ठे हुए तो जहां पर इतनी भीड हो अगर कोई ऐसी घटना हो भी गयी तो यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस द्वारा इन्तजाम ठीक नहीं किया गया था।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मैंने स्वयं देखा था कि वहां पर पुल० नं० ६ टूटा था। चूंकि माननीय मंत्री ने गलत उत्तर दिया है. मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि आप प्रायः गृह मंत्री को गृह मंत्री के नाम से पुकारते हैं और जिस समय गृह मंत्री कह कर पुकारते हैं तो सारे सदन का ध्यान शनीचर की ओर चला जाता है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप व्यवस्था दें कि कौन सा सही है ?

श्री अध्यक्ष--

आइन्दा के लिये मैं समझ गया हूं कि गृह के मायने विग्रह हैं।

श्री बैजनाथ पान्डेय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय सदस्य जो २१ जनवरी की दुर्घटना की बात कह रहे हैं वह सही नहीं है। यह सही है कि जब पूर्व की ओर से अर्थात् झूसी की ओर से भीड़ इकट्ठी हो गयी तो उन्हें रोका गया, लेकिन ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुयी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, प्रश्न संख्या १२-१३ के बारे में आपने मुझे पुकारा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद में आपने फरमाया कि प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इन प्रश्नों के ऊपर माननीय मंत्री जी को उत्तर देना चाहिये था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

हम लोग सब एक ही परिवार के हैं। अगर कोई बात उठती है तो कभी-कभी सुननी पड़ती है और कभी २ नहीं भी सुनी जाती। जरा तम्मुल होना चाहिए।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

लेकिन श्रीमन्, मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं आये हैं। जब आपने मुझे बुला लिया तो इन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर तो लिखकर आ गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

श्रीमन्, मैं सदन के अन्दर ही उत्तर चाहता हूं।

आगरा के जूता मजदूरों द्वारा हड़ताल तथा अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय बनवारी लाल विप्र और माननीय बालोजी अग्रवाल की आयी है। उसको वक्तव्य के लिये दे दिया है। सूचना इस प्रकार है कि आगरा नगर के जूते के कारखानेदार जूता मजदूरों को नियमानुसार "कम्पलसरी बोनस" नहीं दे रहे हैं जिसके कारण लगभग ५ हजार मजदूरों ने इस मांग को लेकर हड़ताल तथा भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है। हड़ताल के कारण नगर के सभी कारखाने बन्द हो गये हैं और जूते का सारा कारोबार ठप्प हो गया है। विशेष बात इसमें यह है कि कारखाने बन्द हो जाने के कारण रूस को जाने वाले जूतों का भी बनना बन्द हो गया है और विदेशों को माल की सप्लाई पूर्णतया रुक गयी है : जिसका प्रभाव राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ रहा है।

मैंने इसको वक्तव्य के लिये रखा है।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पान्डेय)---

श्रीमन, २१ तारीख को रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मैंने विशेष ध्यान के लिये माननीय शिक्षा मंत्री के पास एक सूचना भेजी है जो सर्वश्री चन्द्रबलीसिंह, बांके लाल, कृष्णा नन्द राय तथा शिव चरण लाल की है और इसी प्रकार से माननीय सूरजलाल गुप्त की भी सूचना को संबंधित माननीय मंत्री के पास विशेष ध्यान के लिये भेज दिया है।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोन्डा)---

श्रीमन्, बीज का दाम सूद दर सूद के हिसाब से वसूल किया जा रहा है। जब तक इनक्वायरी हो रही है उसको रोक दें कि सूद दर सूद के हिसाब से उसे न वसूल करें। यह मेरी प्रार्थना है।

सर्वश्री चन्द्रजीत यादव तथा सुरजनराम विशारद की कम्युनिस्ट दल से सम्बन्ध विच्छेद के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

मुझे एक सूचना देनी है। माननीय चन्द्रजीत यादव तथा माननीय सुरजनराम विशारद जी सूचना देते हैं---

"निवेदन है कि हम लोगों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों पर मतभेद होने के कारण उस दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है अतः विधान सभा में हमने उस दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है।"

वह सदन में अब निर्दलीय सदस्य के रूप में काम करेंगे।

इलाहाबाद जिले में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में मंत्री का वक्तव्य

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

कल से इलाहाबाद के संबंध में वक्तव्य आज होने को था, मेजा और करछना तहसील के लिये। तीन बजे का समय निर्धारित किया था, लेकिन आज फिर एजेन्डे पर नहीं है। मेरा निवेदन है कि वह वक्तव्य आज हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है मैं आप की बात समझ गया। मद नम्बर ७ पर वही विषय है। माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य दें।

विद्युत उप मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)--

१३७३ फसली में आम तौर से बारिश की कमी रही। इलाहाबाद जिले में कमी ज्यादा रही और इस जिले की तहसील करछना और मेजा में इसका विशेष प्रभाव रहा। वर्षा की कमी के कारण खरीफ की फसल को इन तहसीलों में काफी क्षति पहुंची। रबी की बोबाई के पूर्व थोड़ी वर्षा हो गई थी इसलिए रबी की बोबाई सम्भव हो सकी। थोड़ी-थोड़ी वर्षा दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में भी हुई परन्तु वह पर्याप्त नहीं थी।

सरकार का इस जिले की ओर शुरु से ही विशेष ध्यान रहा है और समय समय पर लोगों की कठिनाई दूर करने के लिये यथाशक्ति आवश्यक कार्यवाही करती रही है। पिछले माह में परिषद के एक अधिकारी को मेजा, करछना, हंडिया तथा फलपुर तहसीलों का दौरा करके स्थिति का अध्ययन करने के लिये भेजा गया था। कृषि मंत्री श्री गेंदा सिंह जी तो एक दो दिन पूर्व ही वहां होकर आए हैं।

लोगों की सहायता के लिये सरकार ने खरीफकी वसूली १५ नवम्बर, १९६५ तक पूरे जिले में स्थगित कर दी थी। रबी में भी नहर शुल्क तथा मालगुजारी की वसूली मेजा और करछना में ३१ मार्च, १९६६ तक स्थगित कर दी है। फूलपुर और हंडिया तहसीलों में भी वह वसली अब ३१ मार्च, १९६६ तक स्थगित कर दी गई है।

टेस्ट वर्क जिले की करछना, मेजा, चायल मंझनपुर, फूलपुर और हंडिया तहसीलों में १ सितम्बर व २५ सितम्बर के बीच खोले गए थे। वे जब तक लोग आये चलते रहे। इसके लिये सरकार द्वारा २,९५,००० रु० की धनराशि अगस्त, १९६५ से लेकर अब तक स्वीकृत की जा चुकी है। हाल ही में सरकार ने टेस्ट वर्क पुनः चालू करने के लिये आदेश दे दिये हैं। कलेक्टर ने मेजा तहसील में ८ काम शुरु कर दिये हैं। तकावी और अहेतुक सहायता का वितरण भी बराबर चालू है। १०,६८,००० रु० तकावी के लिये और ८३,५१५ रु० अहेतुक सहायता के लिये सरकार द्वारा इस वित्तीव वर्ष के प्रारम्भ से अब तक स्वीकृत किया जा चुका है। लगभग ८,९३,००० रु० की तकावी अब तक वंट चुकी है जिसमें से ४,०६,००० रु० मेजा तथा करछना तहसील में बंटी है। १५,००० रु० अहेतुक सहायता का भी इन दो तहसीलों में बंटा है। भूसे की कमी को दूर करने के लिये रियायती दरों पर भूसा दिया गया है। ४९ वैगन भूसा जिले को दिया जा चुका है जिसमें २८ वैगन मेंजा और करछना तहसील में दिये गये हैं।

पीने के पानी की कमी का डर था। इसलिए स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जा रही थी। उसी में से एक योजना के अनुसार १३ गांवों में टंकी और ट्रक द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, इस पर लगभग २,५०० रु० प्रति दिन व्यय हो रहा है। आठ गांव तहसील मेजा में हैं और पांच तहसील करछना में। निकट भविष्व में और गांवों को भी पानी देने की जरुरत होगी। इसलिए १३२ गांवों को पानी देने के लिये पाइप लाइन बिछाई जा रही है जिस पर लगभग १४ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त २५ गांवों में कुओं को गहरा करने और उनकी बोरिंग करने का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। बोरिंग के लिये रिग मशीनें भेजी जा रही हैं। नहरों का एक तिहाई पानी भी दिसम्बर में ही रोक लिया गया था ताकि फसल कटने के बाद उससे तालाब इत्यादि भर दिए जायं जो पशुओं के काम आते रहें।

पानी की कमी दूर करने के लिये दीर्घकालीन योजना भी बनी है जिसकी लागत लगभग ४० लाख रुपया आंकी गयी है। इस योजना के अनुसार ८८ गांवों को पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी। वह योजना भारत सरकार के पास लगभग एक वर्ष पर्व भेजी जा चुकी है परन्तु

उसकी स्वीकृति अभी नहीं आई है। ७७ गांवों के लिए ऐसी ही एक योजना और तैयार की जा रही है।

इस क्षेत्र में समय समय पर सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोली जाती रही हैं। वैसे प्रदेश में खाद्यान्नों का मूल्य अब धीरे धीरे गिर रहा है। इलाहाबाद में भी वह मूल्य कम ही हो रहे हैं। फिर भी ३४ सस्ते गल्ले की दूकानें मेजा और करछना तहसीलों में चालू कर दी गई हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि दो व्यक्तियों की मृत्यु भुखमरी के कारण हुई तथा एक अन्य व्यक्ति ने इसी कारण आत्म हत्या करने का प्रयास किया। इस विषय में पूर्णतः जांच की गई और भुखमरी का आरोप निराधार पाया गया।

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्थग का प्रश्न है। इलाहाबाद जिले की फूलपुर और हंडिया तहसीलों में सूखा पड़ने की रिपोर्ट तो आ गयी, लेकिन सोरांव तहसील की रिपोर्ट नहीं आई और न वहां कोई अधिकारी गया, और न कोई मिनिस्टर साहब गये। मैं अभी वहां दौरा करके आया हूं और तमाम शिकायतें माननीया मुख्य मंत्री को दे दी गयी हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस संबध में वहां जांच क्यों नहीं करायी गयी और इसकी क्या वजह है? (उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से दो चार बातें मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने वहां की हालत का बयान करते हुए बतलाया है कि वहां पेय जल की जो व्यवस्था है उसमें ही २५०० रु० रोज का खर्चा है, लेकिन मालगुजारी ३१ मार्च तक ही स्थगित है। तो माननीय मंत्री जी से मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी नीयत यह है कि ३१ मार्च के बाद वहां के किसानों से मालगुजारी वसूल की जायगी? जब वहां की हालत ऐसी है कि न पीने को जल है और न खाने को अन्न है, तो ३१ मार्च, के बाद इतनी बड़ी रकम उनके पास कहां से आ जायेगी? इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी ने इस संबंध में अपनी क्या रिपोर्ट दी है?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

३१ मार्च के बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

माननीय कृषि मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में अपनी क्या राय दी है? राजस्व विभाग को जो कुछ देना था वह तो उसने दे ही दिया है, लेकिन यहां माननीय कृषि मंत्री की रिपोर्ट के ऊपर प्रश्न है।

श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ तो जायं।

आग्रह यह था कि माननीया मुख्य मंत्री वक्तव्य दें। कृषि मंत्री ने वहां जाकर देखा और उसके ऊपर वक्तव्य उन्होंने दिया। अब आपको अधिकार है कि आप जिस प्रकार से चाहें, उस वक्तव्य के ऊपर बाद में प्रश्न कर सकते ह। इस समय तो यह वक्तव्य के लिये था और आपको सारी सूचना मिल गयी। अगर आप समझते हैं कि इस वक्तव्य में कुछ और बातें जोड़नी हैं तो उसको आप बाद में कह सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, अपने वक्तव्य में फसल के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही, और न जितने लोग पीड़ित थे उनके बारे में ही कोई बात वक्तव्य में कही गयी। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री ने अपने वक्तव्य में क्या राय दी है?

श्री अध्यक्ष—

आप क्या बात जानना चाहते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

३१ मार्च तक जो मालगुजारी स्थगित है, उस सम्बन्ध में उन्होंने क्या राय दी है ? दूसरी बात यह कि रिपोर्ट में निश्चित रूप से यह नहीं दिया हुआ है कि वहां कितनी हानि हुई है।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

(श्री सालिग्राम जैसवाल के खड़े होने पर) श्रीमन्, इसके पहले कि माननीय राजस्व मंत्री अपनी कोई बात कहें, माननीय सालिग्राम जैसवाल जी खड़े हैं, उनकी बात आप पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सालिग्राम जी के बयान देने का कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि एक वक्तव्य आपके सामने हुआ। प्रश्न करने का कोई सवाल नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई और सूचना भी मिल जाय तो आप बाद में कह सकते हैं कि ये चीजें और मालूम होनी चाहिये। (श्री सालिग्राम जैसवाल से) आप बाद में बोल लेंगे। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद का प्रश्न है। (मंत्री से) वे यह जानना चाहते हैं कि जो वक्तव्य दिया है इसके अतिरिक्त कोई और सूचना आपके पास है ?

मुख्यमंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

वक्तव्य में हमने प्रयास किया कि सारी सूचना सविस्तार दे दें। मैं और भी बतला दूं कि माननीय गेंदा सिंह जी वहां की स्थिति देख कर आये और मेरे कमरे में एक मीटिंग हुई जिसमें इलाहाबाद के मेम्बर भी मौजूद थे। माननीय सालिग्राम जैसवाल जी थे, और लोग भी थे। सब ने बैठ कर सोच-विचार किया कि जहां लोगों को इस तरह की तकलीफ है उनके लिये क्या किया जाय। वक्तव्य के कई महीने पहले ही वहां टेस्ट वर्क खोले गये, तकावी रिलीफ आदि के आर्डर दिये गये और आज भी गवर्नमेंट इस कोशिश में है कि किस तरह से वहां के लोगों को रिलीफ पहुंचाई जाय। इससे मुश्किल बात यह है कि वहां लोगों को पीने के पानी की बड़ी तकलीफ है। वहां पानी के कुवें वगैरह बनाना भी सम्भव नहीं है। वहां कुवें बनवाने में बड़ी परेशानी है। गवर्नमेंट वहां एक एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल बनवा रही है और गवर्नमेंट के सामने यह स्कीम है कि जो पुराने कुवें वगैरह हैं उनमें बोरिंग वगैरह करके पानी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाय। वहां पीने के लिये पानी लोगों को बहुत दूर से लाना पड़ता है। पीने के लिये पाइप लगाने की १४ लाख रुपये की स्कीम है और साथ ही जहां माफी की जरूरत होगी वहां माफी होगी, जहां वसूली रोकने की जरूरत होगी, उसे रोका जायगा, जहां तकावी की जरूरत होगी, तकावी दी जायगी। एक इनफारमेशन यह भी है कि टेस्ट वर्क कई जगह चालू किये गये, लेकिन लोग काम करने के लिये नहीं आये। फिर वहां टेस्ट वर्क चलाने की तजवीज ऐडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। यदि और कोई विकट परिस्थिति होगी तो देखा जायगा।

(श्री सालिग्राम जैसवाल के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में आप से मेरा निवेदन यह है कि यह वक्तव्य आपके सामने आया और जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि इलाहाबाद के भी सब सदस्य बैठक में थे और उनकी आपस में कुछ बातचीत भी हुई। जैसी परिस्थिति होगी व्यवस्था की जावेगी। इस वक्तव्य के अतिरिक्त अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो जो हमारे नियम हैं उनके अन्तर्गत आप सूचना दे दें, हम विचार करके आपको वक्तव्य दिलवा देंगे, अन्यथा इस समय प्रश्न करके न आप को सन्तोष हो सकता है और न यहां से सन्तोषजनक उत्तर दिया जायगा। इससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री सालिग्राम जैसवाल—

एक मिनट आप सुन लें। यह जो सवाल इलाहाबाद में भुखमरी का है यह विशेष महत्व का है। शायद पहली बार सदन में मुख्य मंत्री ने आदेश दिया किसी मंत्री को वहां जा कर तथ्य की जांच करने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो वक्तव्य यहां सुना...

श्री अध्यक्ष—

आप सुनिए तो। आप को अधिकार है आप इस वक्तव्य के आधार पर हमारे यहां इस प्रश्न को सूचना द्वारा उठाना चाहें तो उठा लें। लेकिन इस समय कहने का कोई नियम नहीं है।

श्री सालिग्राम जैसवाल—

यह प्रश्न बहुत महत्व का है, वह सवाल जवाब से हल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

वह कैसे हल होगा?

श्री सालिग्राम जैसवाल—

मैंने माननीय सदन के सामने इस बात को कहा कि इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलों में दर्जनों आदमी भूख से मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय जैसवाल, आप इतने पुराने सदस्य हैं। आप सूचनाओं द्वारा, प्रश्नों द्वारा जिस तरह चाहें इस विषय को सदन के सामने लाएं। इस समय नहीं होना चाहिए। आप ले आइयेगा, आप की सहायता करता रहा हूं, माननीय मोहिले जी की भी सहायता करता रहा हूं।

श्री सालिग्राम जैसवाल—

एक प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री गेंदासिंह जी को वहां भेजा कि वहां जाकर स्थिति को देखें और भुखमरी का जो सवाल उठाया गया है उसकी जांच करें। मैं माननीय कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उन स्थानों पर जाकर जांच की?

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा हूं कि आप कृपा करके प्रश्नों की सूचना दीजिये। मैं उनको स्वीकार कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री मेवालाल जैसवाल—

सोरांव तहसील में क्यों नहीं जांच करवायी? क्या वहां सूखा नहीं पड़ा है, क्या वहां भुखमरी नहीं हो रही है? वहां भी जांच करवाने की मंत्री जी कृपा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विषय में पूर्णतया जांच की गयी और भुखमरी की बात जांच में निराधार पायी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री ने भुखमरी की जांच किन-किन ग्रामों में की और किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि भुखमरी की बात निराधार पायी गयी? इसका उत्तर दिला दीजिये।

(कई सदस्य खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस समय जो व्यवस्था दी है वह यह दी है कि वक्तव्य आपके सामने आ गया। इस सम्बन्ध में अगर कोई प्रश्न करना है तो वह अल्पसूचित की तरह से या जिस तरह से आप चाहें सूचना दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, एक बार नहीं अनेक बार आपने ऐसे प्रश्नों के ऊपर स्पष्टीकरण का अवसर दिया है। तो इस समय क्या कारण है कि आप हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

लेकिन इस समय नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इलाहाबाद के मेजा और करछना तहसील में पूर्ण सूखे की स्थिति है और वहां पर बहुत से आदमी भूख के कारण मरे हैं लेकिन कृषि मंत्री जी कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरा है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, मुझे व्यवस्था तो देने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

एक निवेदन मेरा सुन लें। इतना समय इस सदन का जा रहा है, इनको एक बार सुन लिया जाय। वह वहां की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण विस्तार से देना चाहते हैं। वहां की स्थिति इतनी खराब है कि वहां की स्थिति के बारे में फारेन पेपर्स में भी निकला है।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, बनारस की भी हालत खराब है, वह भी सुन लिया जाए। इलाहाबाद ही नहीं बनारस में भी सूखे की स्थिति है, उस पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

मैंने एक व्यवस्था दे दी है, तो इधर और उधर के माननीय सदस्यों को किसी को १० मिनट या ५ मिनट का समय देने का प्रश्न नहीं है। मैं इस वजह से कहता हूं कि सुचारु रूप से इस पर विचार करने के लिये एक तरीका हो सकता है कि हमारे पास उपयुक्त रूप से सूचना आ जाए, जिससे हम उस पर विचार कर सकें। यह हमारी व्यवस्था है, अब यह प्रश्न समाप्त। श्री नेकराम शर्मा। (व्यवधान)

(श्री रामसुन्दर पांडेय के अपने स्थान पर खड़े रहने और बोलने का प्रयत्न करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। बस मैंने एक बार कह दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी वहां पर अभाव की स्थिति को देखने गये, तो उन्होंने वहां पर क्या देखा, जो यह कहते हैं कि भूख से वहां लोग नहीं मरे हैं ? यदि वह भूख से नहीं मरे हैं तो किस बीमारी से मरे हैं, किस कारण मरे हैं ? इसका श्रीमन्, उत्तर दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं समझता कि अपनी व्यवस्था के बाद में किसी व्यक्ति विशेष को दो प्रश्न करने दूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपकी इस व्यवस्था के विरोध में हम लोग पांच मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

आपके लिखित आश्वासन के बाद भी कि मुझे मेरी सूचना का उत्तर मिलेगा, नहीं मिला। मैंने करारी तहसील की स्थिति के बारे में आपको नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी, जिसे आपने मंत्री जी के पास वक्तव्य के लिये भेजा था और कहा था कि इसकी भी सूचना माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

राजस्व मंत्री जी, जो इन्होंने नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी, उसे आपके पास वक्तव्य के लिये भेजा गया था, वह आपके पास पहुंच जाना चाहिये। उस पर भी आप शिक्षक जी को सूचना दे दें। अब शिक्षक जी, आपके पास पहुंच जाएगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

आप बाद में कह दीजियेगा, मैं सुन लूंगा।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १०—आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन (आगत)*

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस सरकार के विरुद्ध और माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये। श्रीमन्, पहला आरोप यह लगाया गया कि जितना पोलिटिकल इन्टरफियरेंस इन दो तीन सालों में बढ़ा है उससे ज्यादा कभी इससे पूर्व नहीं था। यह भी चार्ज लगाया गया कि नौकरशाही जितनी हावी हुई है इन दो सालों में, उससे पूर्व कभी नहीं थी। यह भी आरोप इन पर है कि नौकरशाही पर खर्चा बढ़ता चला गया और उतना रिटर्न नहीं मिला। यह भी कहा गया कि जैसे-जैसे खर्चा इस प्रशासन पर बढ़ा उतनी ही तेजी से इनएफीशियेंसी बढ़ी, आफिसर्स पर रेकलेसनेस उतनी ही तेजी से आगे आयी। हां, एक बात के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने जो एचीवमेंट्स किये हैं उनमें से एक यह भी है कि उन्होंने परमिट्स और लाइसेंसेज दे देकर सारे अपोजीशन को डिमारलाइज कर दिया है। दूसरे जो लोग यह कहते थे कि तीन माह से ज्यादा सुचेता जी नहीं चला पायेंगी यह हुआ कि आज तीन साल से वे चली चल रही हैं और जो मुख्य मंत्रिपद के और उम्मीदवार थे वे आज सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। तीसरा इनका एचीवमेंट यह भी है कि इन्होंने जनता का मनोबल गिराया। जनता में अनसरटेन्टी फैली। पोलिटिकल हस्तक्षेप का जहां तक सवाल है मैं पूछना चाहता हूं कितने ट्रांसफर्स हुये? ट्रांसफर्स क्यों रोके गये? रिइम्प्लायमेंट हुये, एक्सटेंशन्स हुये उसके एक-एक उदाहरण गिना दूं तो पता चलेगा कि सरकारी अफसरों का मनोबल गिराने में कितना हाथ इनका रहा है। ए० डी० एम०, अलीगढ़, श्री शूरवीर सिंह को आपने लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिये। क्या टेक्नीकल अफसर थे या एफीशियेंसी पर थे? इसी तरह से हमारे प्रदेश में कितने ही सरकारी कर्मचारियों को एक्सटेंशन मिले? कितने अफसर पुनः रिइम्प्लाय किये गये? लेकिन जो अच्छे अफसर थे जहां जरूरत थी वहां अप्वाइन्टमेंट तक नहीं किये गये। डिसीजन डिले जान बूझकर किये जा रहे हैं। मिस्टर जैन, चीफ इंजीनियर रिटायर हुये। आज तक एक महीना हो गया, दूसरा चीफ इंजीनियर ऐप्वाइन्ट नहीं हो पाया। ओ० पी० गुप्त साहब। सब जानते हैं कि कितने योग्य इंजीनियर हैं लेकिन उनको नहीं किया जा रहा है। देर से निर्णय करने से क्या इन्एफीशियेंसी बढ़ेगी?

*१६ मार्च, १९६६ की कार्यवाही से।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, माननीय सुचेता कृपालानी जी ने कहा कि अपोजीशन से कोआपरेशन मिलना चाहिये। मैं उनको याद दिलाऊं कि पार्लियामेंट में जब यह विरोधी दलों में थीं तो सहयोग के बारे में इनके क्या विचार थे। नौकरशाही के बारे में उन्होंने क्या कहा ....

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

वह यह भूल गई होंगी।

श्री नेकराम शर्मा—

जी नहीं, भूली नहीं होंगी।

"We have got a national government. But in spite of.....

श्री अध्यक्ष—

यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

यह ११ मार्च, १९५३ की पार्लियामेंटरी डिबेट के पेज १८१८-१८१९ से मैं पढ़ रहा हूं।

"We have got a national government. But inspite of the national government the people do not feel, the man in the street does not feel that he is a citizen of the Free state and that there is a national government. What is the attitude of the bureaucracy ? The attitude of the bureaucracy towards the public is one of contempt, suspicion and not friendly. It is the attitude of the superior to the inferior. No one would like to take co-operation from an inferior. You take co-operation from an equal. If the Government wants the co-operation of the people, the attitude of the bureaucracy must change. If you want the co-operation of the people you cannot get it by show of lathi, by the show of bullets. You cannot get it by curbing the civil liberties. You have to protect the citizen and let them feel that you are here to lend a helping hand."

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सुचेता जी के वहीं विचार अब भी हैं या मुख्य मंत्री बन जाने पर बदल गये ? मेरी राय में आज आप नौकरशाही को अपने कार्यों से मजबूत करती जा रही हैं, काशी विश्वविद्यालय कांड इसका प्रमाण है।

आप लाठी और गोलियों की बौछार से जनता का कोआपरेशन नहीं पा सकते। कल माननीय कृष्णानन्द जी ने कहा था कि बंगाल में, पंजाब में, केरल में और दूसरी जगह देशद्रोही आन्दोलन हो रहे हैं और हमारी राजधानी दिल्ली में भी आन्दोलन हो रहा है पर आप देखिये कि उत्तर प्रदेश में कितनी शान्ति है। यहां पर जरूर शान्ति है लेकिन वह आपकी कृपा से नहीं। अगर यह प्रदेश बचा हुआ है तो वह केवल इस कारण बचा हुआ है कि इस गंगा और जमुना के डेल्टा में रहने वाली जनता और रामकृष्ण की भूमि में रहने वाली जनता केवल विश्वास करती है अपने भाग्य पर। उस जनता के अन्दर विद्रोह की भावना नहीं है, वह भगवान और भाग्य पर अधिक भरोसा रखती है मगर फिर भी इस प्रदेश की जनता का मनोबल टूटता जा रहा है और उसके अन्दर अविश्वास की भावना पैदा होती जा रही है। आपने देखा कि यहीं कौंसिल हाउस के सामने २५ हजार सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन करके और काले बिल्ले लगाकर इस सरकार के प्रति अपने रोष का प्रदर्शन किया है। इंजीनियर और आई० ए० ए स० का आपस में जो वैमनस्य है वह भी एक अन्दरूनी झगड़ा चल रहा है। आपने इधर किसानों के ऊपर लगान बढ़ाया, लेकिन गरीब किसानों से दोनों फसल रबी और खरीफ का वह लगान वसूल किया जा रहा है। आपने किसानों को तकावी दी लेकिन किश्तें होने के बावजूद भी आज उनसे वसूली की जा रही है।

उनके अन्दर भी असंतोष की भावना बढ़ती दिखाई दे रही है। कृष्णानन्द राय जी, वह दिन दूर नहीं है कि जब यहां इस प्रदेश में भी आग प्रज्वलित होगी जिसमें इस प्रदेश की वर्तमान सरकार भस्म होगी। जो जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं उनके ऊपर भी सरकार का विश्वास नहीं रह गया है। छागला साहब ने यहां की सरकार को लिखा कि काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वाइस-चान्सलर को, जनता को और बड़े-बड़े महापुरुषों को जांच के लिये मिटठन लाल जी के अप्वाइंटमेंट से खुशी नहीं है। उनको बदल दिया जाय। लेकिन मुख्य मंत्री जी उसको सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार भले ही पुलिस की मदद से शिक्षा संस्थाओं में, कालागढ़ में लाठी व गोलियों की वर्षा करे, सरकार भले ही मजदूर और किसानों पर अत्याचार करे लेकिन जब जनता का मनोबल टूट रहा है तो उनका असन्तोष खाली नहीं जायगा। हर तरफ असंतोष और अविश्वास का बोलबाला है। श्रीमन, मैं नहीं कहता लेकिन यहां के माननीय सदस्य कहते हैं कि सुचेता जी जा रही हैं और गुप्ता जी आ रहे हैं। जोरों से अफवाह थी कि सुचेता जी जा रही हैं तो गुप्ता जी के यहां अफसर सलाम के लिये जाने लगे। फिर नवलकिशोर जी के बयान के बाद माननीय त्रिपाठी जी के यहां भीड़ लगने लगी। सुचेता जी ने स्तीफे की बात का खंडन किया तो फिर सुचेता जी के यहां अफसरों का सलाम लगने लगा। इस प्रकार के वातावरण का प्रभाव प्रशासन पर पड़ता है। अतः इस तरह की अनसरटेन्टी है। उसको खत्म करना जरूरी है। अगर यहां पर सुचेता जी को रहना है तो एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जो इस तरह से भावना आ जाती है उसको खत्म करना चाहिये। कौन चीफ मिनिस्टर रहेगा, तय हो जाना चाहिये जिससे प्रशासन ठीक से चले। श्रीमन्, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। एक नहीं कई मुख्य मंत्री हैं। जब एक से ज्यादा बास होते हैं तो प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश में कोई सुपर मुख्य मंत्री हैं, कोई डि फेक्टो है तो कोई पर्दे के पीछे से दखल देता है इस प्रकार से न प्रशासन ठीक से चल सकता है और न कार्य कुशलता बढ़ सकती है। यह सब बन्द होना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि किन अफसरों के तबादिले हुये और फिर क्यों रोके गये? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले आप एक प्लान बनाइये और उसके अनुसार अफसर की पोस्टिंग बजाय ५ साल के तीन साल के लिये एक स्थान पर करिये और उसकी जिम्मेदारी फिक्स करिये। (लाल बत्ती होने पर)। श्रीमन, मुझे ५ मिनट का समय और दिया जाय। यदि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर सके तो सजा दी जावे।

श्री अध्यक्ष—

आपको ३ मिनट और मिलेंगे। आप दस मिनट बोल चुके हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

इसके बाद आप उनका रोज-रोज का ट्रांसफर बन्द करिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि वे आज रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, कल पी०डब्लू०डी० के सेक्रेटरी हो गये और परसों चुर्क फैक्टरी के मैनेजर बन गये। यह ठीक नहीं है। अगर वे अपने काम में फेल होते हैं अथवा सही राय देने में असफल होते हैं तो उनको उसके लिये दंड मिलना चाहिये। जैसा यूगोस्लेविया देश में यह कानून बन गया है कि जो अफसर सही सलाह नहीं देगा तो सजा मिलेगी। आप कम से कम उन पर डिपार्टमेंटल कार्यवाही करिये, उनको सजा दीजिये। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज हालत क्या है। सरकार के मिनिस्टर्स समय से दफ्तर नहीं आते। कमरे खाली पड़े रहते हैं। मिनिस्टर्स घर पर बैठे रहते हैं। उनके लिये समय निर्धारित होना चाहिये। मैं सुचेता जी से उम्मीद करता था कि वे कुछ प्रशासन में समाजवादी मोड़ की बात सोचेंगी, लेकिन उनके होते हुये आज चपरासियों से जबरदस्ती घर का काम लिया जाता है। मानो वे घर के नौकर हैं बजाय सरकार के। मंत्रियों के बहुत से चपरासी पैर दबाते हैं। वे घर का धंधा करते हैं। इसे आप फौरन बन्द करवाइये। चपरासियों का काम केवल दफ्तर ही में रहना चाहिये। इसका आप प्रबन्ध करिये। एक मिस्टर एप्पलबाई है एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट। उनका एक लेख नेशनल हेराल्ड में निकला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि :

[श्री नेकराम शर्मा]

"the surest way to ruin your boss is to do exactly what he tells you to do, that is, literally what he tells you to do, without intelligence, without discrimination, without judgment, without imagination." (N. H. March 13, 1966 p. 5)

यदि सरकारी कर्मचारी अपने बास की इच्छानुसार सारा काम करते जायेंगे तो यह प्रशासन उसे तबाह करने के लिये सब से निश्चित साधन सिद्ध होगा। उस से सारा काम चौपट हो जायगा। आज हमारे यहां आवश्यकता यह है कि फ्रांस की तरह भले ही चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, डी फेक्टो चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, कर्मचारी उन सब से अनएफेक्टेड रहना चाहिये। उसे अपना काम करते रहना चाहिये। लोग कहते हैं कि दास साहब ने बड़े गलत काम किये हैं, लेकिन मैं उनके बा में केवल एक बात जानता हूं और वह यह कि वह सुबह ९ बजे दफ्तर आ जाते हैं, और शाम को सात बजे घर जाते हैं। २४ घंटे प्रदेश की सेवा में लगे रहते हैं उनके कामों में कुछ गलतियां हों, लेकिन जो टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है उस में आप ऊपर से कमी करिये। नीचे के कुछ चपरासियों को निकाल देने से काम नहीं चलने का। आप देखें कि सेक्रेटरी लेजिस्लेचर की पोस्ट की क्या जरूरत है? १९६२ के बजट में वह पोस्ट कम कर दी गयी थी, लेकिन फिर भी उसे कायम रखा गया है। इस का कारण यह है कि वह सरकार की इच्छानुसार काम करता है। क्योंकि जज हाई कोर्ट बनने की इच्छा होती है अतः सरकार को सही सलाह न देकर जी-हुजूरी करता रहता है। इमरजेंसी है लेकिन वह गरीबों के लिये है, एम० एल० ए० के लिये है। हमारे नेताओं ने "आराम हराम" का नारा लगाया, क्या यह नारा जनता के लिये ही है या, समस्त अफसरों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं है? अफसर ठीक समय से आवें। लंच की छुट्टी बन्द करें और भी छुट्टियों की संख्या कम करिये। हाई कोर्ट जज की गर्मी की छुट्टियां बन्द करिये। अफसरों में फीलिंग की आदत पैदा करिये। सुपरवाइजरी स्टाफ कम करें।

श्रीमन्, छुट्टियां बहुत हो रही हैं। उनको कर्टेल कीजिये। हमसे व किसानों से कहते हैं कि आराम हराम है, लेकिन यह नारा माननीय मुख्य मंत्री जी, आप अपने मिनिस्टरों पर और सरकारी कर्मचारियों पर भी और सब पर लागू कराइये। इमरजेंसी में तो हमारे गरीब किसानों ने काफी काम किया, लेकिन आपके अफसरों ने कुछ नहीं किया। वोट मांगने आज गुप्ता साहब आगे बढ़ रहे हैं, स्वतंत्र पार्टी को आज उनके वोटों ने तहस-नहस कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त। माननीय नवल किशोर।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि सामान्य प्रशासन का बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है जिस पर कल भी समय कम मिला और आज तक इतना कम समय कभी नहीं मिला। इसलिये आज दो घंटे का समय इस पर विवाद के लिये बढ़ा दें ताकि सब लोग बोल सकें।

श्री अध्यक्ष—

जब शाम होने लगेगी तब देखा जायगा। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते तो विचार हो जायगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

मान्यवर, प्रशासन के संबंध में बहुत सी बातें कही गयीं और बहुत सी खामियां बतायी गयीं, काफी नुक्ताचीनी की गयी। यह हम सब जानते हैं कि हमारे प्रशासन का ढांचा हमारा बनाया हुआ नहीं है। यह ब्रिटिश सरकार की देन हमारे पास है और पिछले १८ वर्षों में देश की आजादी के

बाद बाकयात का तांता एक के बाद दूसरा इतनी तेजी से हमारे सामने आता गया कि यह बात सही है कि इस ढांचे में ठोस आमूल परिवर्तन नहीं हो सका। मैं जानता हूं कि सेंटर में भी एक नहीं कई कमेटियां बैठीं और अब भी मोरारजी भाई की चेयरमैनशिप में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी बैठायी गयी है। मेथड ऐंड आर्गेनाइजेशन, डिवीजन की बातें भी की गयीं। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं वह रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर एक समय में उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किये। मगर अन्त में नतीजा यही निकला कि कोई विशेष तब्दीली इस ढांचे के अन्दर अभी तक हम नहीं कर सके—यह अपनी जगह पर सही है। यह भी सही है कि जो ढांचा कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद को मजबूत करने के लिये इस देश के अन्दर बनाया गया था उसी से हम चाहे कि कोई विशेष तब्दीली हो जाय तो संभव नहीं है, क्योंकि कोलोनियल सिस्टम से समाजवादी व्यवस्था नहीं बनायी जा सकती। जब तक कोई तालीमी, बुनियादी तौर से तब्दीलियां न हों तो सोशल आब्जेक्टिव के अनुसार ऐडमिनिस्ट्रेशन का ट्यून अप करना संभव नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इस ढांचे की मदद से इन १८ सालों में ३ योजनायें करीब-करीब हमारी समाप्त होने को आ गयीं। उनको संपादित करने के लिये इस प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार ने इसी हथियार से काम लिया जो कि इस देश की डेवलपमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिये नहीं बनाया गया था। लेकिन यह मैं मानता हूं कि जो नौकरशाही की बात की जाती है वह सही है, वह काफी मजबूत और काफी हावी है। मगर उसकी जिम्मेदारी हमारे साथ-साथ विरोधी-पक्ष की भी है। इस देश के अन्दर जो हिंसात्मक घटनायें हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसको देखिये, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में जो कुछ हो रहा है उसको देखिये, मैं कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय एकता खतरे में है, देश की बुनियादें हिल रही हैं, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी आज खतरे में है। इसलिये, मान्यवर, मैं आपके द्वारा विरोधी पक्ष से कहना चाहता हूं कि उनको इन बातों से हटकर, ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे कि देश मजबूत हो।

मान्यवर, उधर शास्त्री जी ने केन्द्र में इस चीज को अपनाया था कि वे मुख्य-मुख्य बातों में विरोधी पक्ष को साथ लेकर, उनका विश्वास लेकर चलते थे। मुझे मालुम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी मुख्य मंत्री ने वही तरीका अपनाया है और वे यह कोशिश करती हैं कि बुनियादी बातों में विरोधी पक्ष का सहयोग प्राप्त हो। यह बड़ी अच्छी बात है।

मान्यवर, यह कहा गया कि कैबिनेट डिवाइडेड है। कांग्रेस में गुटबाजी है, मेरे दोस्तों ने मेरे स्टेटमेंट की भी चर्चा की। माननीय मैनेजरसिंह जी ने भी उसकी चर्चा की, यद्यपि उसका संबंध कुछ यहां की बातों से नहीं था। मैं मान्यवर, अपने विरोधी पक्ष के दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि वे कांग्रेस के अन्दर की, अन्दरूनी बातों को देखने की कोशिश न किया करें क्योंकि उनके दलों के अन्दर भी दरारें पड़ी हुई हैं। मान्यवर, जहां तक अपोजीशन का संबंध है, वह समझ लें कि माननीय मुख्य मंत्री आज भी कांग्रेस पार्टी की कान्सटीट्यूशनल हेड हैं और जब कभी भी अपोजीशन से मुकाबला आयेगा, हम सब ३४८ आदमी उनके पीछे हैं, हम सब एक हैं। विरोधी पक्ष में आज कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें दरार न हो। मान्यवर, मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, आपके द्वारा कि हम लोग लड़ते हैं, ठीक है, हमारे पास पावर तो है, मगर आपके पास क्या है, आप क्यों लड़ते हैं? आप लोग तो फ़ाकामस्ती में डंड पेलते हैं, आपस में लड़ते हैं। अभी स्वतंत्र पार्टी में आपने देखा क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी से भी दो माननीय सदस्य अलग हो गये, पी० एस० पी० तथा एस० पी० में बनारस में क्या हुआ, यह जब आपको मान्यवर, मालूम है।

मान्यवर, कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है। ब्योरोक्रेसी की बात भी कही गयी, मैंने भी उसका जिक्र समय-समय पर किया है। मगर जब तक देश में पोलिटिकल लीडरशिप मजबूत नहीं होगी, यूनाइटेड नहीं होगी ब्योरोक्रेसी अवश्य हावी रहेगी। इसमें जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों ही की है। मैं यह मानता हूं कि टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात अपनी जगह पर सही है और वह गलत भी है। सही इसलिये है कि हर साल बजट बढ़ता जाता है।

[श्री नवलकिशोर]

कुछ तो डियरनेस एलाउन्स के कारण बढ़ता है, कुछ कर्मचारियों की तादाद भी बढ़ती जाती है। और सही इसलिये नहीं है कि और स्टेट्स के मुकाबले में, एक दो को छोड़कर, हमारे यहां खर्चे का परसेन्टेज कम है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मगर हमारे यहां के आंकड़े सब से कम हैं। (व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं।

श्री नवलकिशोर—

आंकड़े देने का मेरे पास टाइम नहीं है, मगर सबसे कम ही है, एक दो को छोड़कर।

मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने साढ़े चार करोड़ की इकानामी की, मगर उन्होंने हमको कान्फीडेन्स में नहीं लिया कि यह साढ़े चार करोड़ की इकानामी किसमें की है। हमको पता नहीं कि इस इकानामी में आपने कौन-कौन-सी स्कीम्स काट दीं। इसके अलावा साढ़े तीन करोड़ की और इकानामी करने वाली हैं। हमें आप डिटेल में बतायें कि साढ़े सात करोड़ की इकानामी आपने कहां की है? मेरी सूचना यह है कि आई० ए० एस० आफिसर्स की तादाद पहिले के मुकाबले बढ़ी है। कमिश्नर्स की पोस्ट्स बढ़ती चली जाती हैं। मैं जानता हूं कि इस के बारे में आपका जवाब यह होगा कि चूंकि अच्छे आफिसर्स सेन्टर में न जायें इसलिये मजबूरन हमें उनको कमिश्नर बनाना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि सेक्रेटेरियट के अन्दर ऐसे आफिसर्स को कमिश्नर बनाने से अच्छा यह है कि जो तीन-तीन साल के लोग हैं उनको यहां से भेज दिया जाय। एक टेन्डेन्सी और भी है। अभी आपने पे रैशनेलाइजेशन कमेटी जो है उसकी सिफारिश को माना है। इसकी सिफारिश के अनुसार पन्द्रह करोड़ रुपया स्टेट पर पड़ गया। अगली चौथी पंचवर्षीय योजना में ११७ करोड़ रुपये का खर्चा पड़ेगा जिसमें से ८३ करोड़ रुपया सेन्टर देगा और ३४ करोड़ रुपया प्रदेशीय सरकार का होगा और हर साल इस तरह सात करोड़ का खर्चा पड़ा एडीशनल। पर आपने अभी साढ़े चार करोड़ की ही इकानामी की है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हर साल अपने पे बढ़ाती चली जाती है। कमिश्नर की पे ५०० रु० बढ़ाई और उस पर सौ रुपया और बढ़ गया। एक इतनी बड़ी बादरेशन है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से स्टेट गवर्नमेन्ट को। इसके अलावा एक और टैन्डेन्सी चल पड़ी है आल इन्डिया सर्विसेज क्रियेट करने की। वे भी इसलिये चाहते हैं कि वहां अलाउन्सेज बहुत होते हैं। मेरा अपना कहना यह है कि हमारी प्रदेशीय सरकार को चाहिये कि वह इस बात की कोशिश करे कि यह जो आल इन्डिया काडर है इसको कम किया जाय। इसके अलावा ब्योरोक्रेट्स और टैकनोक्रेट्स में टसल चल रही है। टैकनोक्रेटस कह रहे हैं कि हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिये और पे ज्यादा होनी चाहिये। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिन कन्ट्रीज में डेवलपमेंट होता है उनको पे के मामले में टैकनीकल हैन्डस को ज्यादा पे देनी चाहिये। यह आपका जो मसला है कि १५ करोड़ का खर्चा बढ़ा और उसके बाद भी डिमान्स्ट्रेशन हो रहे हैं, यह उसी का कारण है। एक टेन्डेन्सी और है कि डिपार्टमेन्टल हेडस आई० ए० एस० बनाये जायं। जेल विभाग का आई० जी०, आई० ए० एस०, कृषि विभाग तथा मछली विभाग के डायरेक्टर, व एडीशनल डाइरेक्टर आई० ए० एस०। होता क्या है, जब डिपार्टमेन्ट में आदमी को फ्यूचर प्रमोशन का चान्स नहीं मिलता है तो फ्रस्टेशन पैदा होता है। मैं इस बात को मानने से इन्कार करता हूं कि आई० ए० एस० कोई खास सुपीरियर सर्विस है। आई० सी० एस० को किसी जमाने में हैवेन बार्न सर्विस कहते थे। उस चीज को खत्म करना चाहिये और टेक्नीकल मैन को प्रिफरेंस देना चाहिये। मुझे ऐसा पता चला है कि जहां सीनियर आई० ए० एस० आफिसर्स हैड आव दि डिपार्टमेन्ट हैं वहां जूनियर आफिसर्स स्पेशल सेक्रेटरीज बनाये गये हैं। मैं यह एक्जाम्पिल इसलिये दे रहा हूं कि इस बात से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। आफिसर्स को फारेन कन्ट्रीज के अन्दर ट्रेनिंग को भेजा जाता है और जब वे वापिस आते हैं तो उनको दूसरी जगह पोस्ट किया जाता है। इस तरह से सारा पैसा बरबाद होता है। दो एक बातें मुख्य मंत्री जी और देखें। एक नियम है कि कोई आफिसर

चार साल से ज्यादा कहीं स्टेट से बाहर डैपुटेशन पर न रहे। पर कई आदमी ऐसे हैं जिनके डैपुटेशन चार साल से ज्यादा हो गया है, मान्यवर।

मान्यवर, सस्पेंशन कैसे होता है? जब कोई आदमी सस्पेन्ड किया जाय तो उसके खिलाफ प्राइमाफेसी केस मेक आउट होना चाहिये। सी० डी० ए० के ११४ आदमी सस्पेन्डेड हैं। कई साल हो गये। इस तरह के बहुत से केसेज हैं और अभी तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है।

जहां तक एकोनामी की बात है मेरा अपना अब भी यह मत है कि कमिश्नरों की पोस्ट्स बिलकुल सुपरफ्लुअस हैं। जहां तक सेक्रेटरीज के केडर का सवाल है—असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, अन्डर सेक्रेटरी, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडीशनल सेक्रेटरी और भी उसके बाद १–२ और हो सकते हैं। इसमें भी कुछ स्ट्रीमलाइनिंग की आवश्यकता है। उनके केडर में भी कुछ कमी करने की आवश्यकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में सिम्पलीफिकेशन की जरूरत है।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

आपने विजिलेन्स कमीशन कायम किया। अच्छी चीज रही लेकिन अभी वह बन ही नहीं पाया था कि उसके स्टेट्स को मिटा दिया गया।

एक बात एक्स्टेन्शन देने के बारे में भी है। यह मैं मानता हूं कि टेक्नीकल हैंड्स की कमी है। इसलिये अगर टेक्नीकल हैन्ड्स को एक्सटेंशन दिया जाता है तब तो मैं उसको मानता भी हूं लेकिन एक्जीक्यूटिव लोगों को एक्सटेंशन दिये जाने के बारे में हमें ज्यादा सख्त हो जाना चाहिये।

समाजवाद की बात भी एडमिनिस्ट्रेशन में आयी। यह स्पष्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को हम इस आब्जेक्टिव के लिये ट्यून-अप नहीं कर पाये। कामराज जी ने स्वयं कहा कि जब तक हमारे अधिकारियों की समाजवाद में आस्था नहीं होगी तब तक हमारा काम ठीक प्रकार से चल नहीं सकता। जैसा कि मैंने अपने भाषण के शुरू में कहा था जो बात पंजाब में चल रही थी उसका उत्तर प्रदेश में भी असर होने लगा है। कुछ ऐसी आवाजें आने लगी हैं कि यह हिस्सा काटा जाय, वह हिस्सा काटा जाय। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर जो विघटन की शक्तियां काम कर रही हैं, उनको मजबूती से दबाया जाना चाहिये। मैं उन लोगों में हूं जिनका विश्वास है कि फैडरल स्ट्रक्चर में जो यूनिट्स बनें उनको बड़ा होना चाहिये। इसके लिये हमें इस देश में डिसइंटीग्रेट करने वाली शक्तियों को चेक करना चाहिये।

आखिर में मैं एक बात यह कहूंगा कि जनता के प्रतिनिधियों को वारंट आफ प्रिसिडेन्स में उचित स्थान दिया जाना चाहिये। इस बात को गवर्नमेन्ट के सामने आये १४–१५ साल हो गये। अब जल्दी ही उस बारे में कोई फैसला हो जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा है माननीया मुख्य मंत्री केवल कान्स्टीट्यूशनल लीडर हैं। मैं उसी चीज को पोलीटिकल भाषा में कह देना चाहता हूं। इस उत्तर प्रदेश का डि-जुरे मुख्य मंत्री माननीया सुचेता कृपालानी हैं और डि फेक्टो मुख्य मंत्री सी० बी० गुप्ता हैं। यही चीज माननीय नवलकिशोर जी ने सदन के सामने रखी है। हमारी गुटबन्दी से सूबे को खतरा पैदा नहीं हो सकता, आज सारा खतरा इस प्रदेश को और इस राज्य को आप के अन्दर की गुटबन्दी से हो रहा है। जब सत्तादल में गुटबन्दी चलती है तो उसके साथ ही वह नीचे सेवाओं में भी पहुंचती है। जब इस सरकार का जन्म गुटबन्दी से हुआ तो यहां एक नई चीफ सेक्रेटरी ब्रान्च खुल गई, पहले वह कभी नहीं बनाई गई थी। अभी चीफ सेक्रेटरी ने अपनी मनमानी के लिये वह खुलवाई, उसमें अपने लोगों को भरकर सार

[श्री काशीनाथ मिश्र]

सचिवालय पर वह हावी है। जैसा कि नवलकिशोर जी ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने का एक सर्विसेज का ढांचा था जो विदेशी सत्ता के लिये ठीक हो सकता था लेकिन वह जनतंत्र के लिये फिट नहीं था, वह ऐसा नहीं था कि जिस से आम जनता की आकांक्षायें शासन में मुखरित हो सकें। आज हो क्या रहा है? जिस जाति का मुख्य मंत्री आया उसी जाति का चीफ सेक्रेटरी बिठा दिया गया और फिर उस ने अपनी ही जाति के लोगों को नीचे से ऊपर तक भरना शुरू कर दिया। आज से ही नहीं शुरू से ही कांग्रेस की हुकूमत में यह चीज चल रही है। जब पं० गोविन्द बल्लभ पंत यहां मुख्य मंत्री हुये तो उन्होंने पहाड़ी ब्राह्मणों को ऊंचे ओहदों पर भरना शुरू किया, जब डा० सम्पूर्णानन्द मुख्य मंत्री हुए तो उन्होंने कायस्थों को बड़े ओहदों पर भरा और जब श्री सी०बी० गुप्ता मुख्य मंत्री हुये तो उन्होंने आज तक बनियो को ऊंचे ओहदों पर फिट कर रखा है। इस तरह से यहां जातिवाद चला आ रहा है। हमारे यहां श्री सी०बी० गुप्ता पहले भी गये और अभी २६ फरवरी को भी गये, तो उन का जो स्वागत हुआ वह मुख्य मंत्री जी का भी वैसा नहीं हुआ। अब की बार उन को बड़ी शान शौकत से गार्ड आफ आनर दिया गया और कलेक्टर, हाकिम परगना, शाहगंज से उन को लेने गये। सारा जिले का काम पेरेलाइज हो गया और सारा स्टाफ उन के स्वागत की तैयारी में व्यस्त हो गया। मुझे मालूम हुआ कि एक सीक्रेट जी०ओ० चीफ सेक्रेटरी का गया कि उनका स्वागत कैबिनेट स्तर के मंत्री की भांति किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

वह सिटीजन कौंसिल के चेयरमैन हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आज सारा शासन चन्द लोगों के हाथ में सीमित हो गया है और उन्हीं के द्वारा सारा काम चलाया जा रहा है। सरकार का जितना पेराफर्नेलिया है जिस का काम जनता की सेवा का होना चाहिये, आज सरकार का एक अंग दूसरे अंग की सेवा में लग रहा है, एक हिस्सा नीचे का ऊपर के हिस्से की सेवा कर रहा है। जनता को उस से कोई राहत नहीं मिलती है। नीचे पुलिस और पटवारी मिल कर आज रूल कर रहे हैं। सरकार का चीफ सेक्रटरी जो चाहता है वह करता है। बड़े-बड़े शहरों की नगरमहापालिकाओं को भंग कर के अपने हाथ में ले लिया गया। आज शहरों में गुंडे बदमाशों का राज है। रेवती में जो हमारे क्षेत्र की टाउन एरिया है और रानीगंज बाजार में खुले आम घंटों तक डकैतियां पड़ीं और अभी बिलथरा रोड से चिट्ठी आई है वहां भी डकैती पड़ी है। तीन तीन घंटे लगातार दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं। मैनेजर सिंह के इलाके में डकैती पड़ी और एक मील पर ही थाना था लेकिन कोई भी वहां वक्त पर नहीं पहुंचता है। रेवती में इसी तरह से डकैती पड़ती रही लेकिन कोई पुलिस का एक सिपाही भी वहां गांव वालों की सहायता के लिये नहीं पहुंचा, कोई सुरक्षा जनता की नहीं की जा रही है। इस तरह से पुलिस का और आप का प्रशासन चल रहा है। आपका और ध्यान दिलाऊंगा कि इलाहाबाद में ला ऐन्ड आर्डर की व्यवस्था क्या है? १४ अप्रैल, १९६२ को इतनी बड़ी फायरिंग की वारदात हुई और उस की रिपोर्ट तक सदन में नहीं आई, जब यहां के सदस्यों की तरफ से बहुत जोर डाला गया तो थोड़ा सा जिस्ट यहां रख दिया गया। लेकिन जो मुजरिम थे और जिन के खिलाफ दो-दो बार स्ट्रिक्चर पास हुए उन श्री नाग और के० गुप्ता को डी०आई०जी० बनाकर और तरक्की दे दी गई, श्री दास पर भी दो बार स्ट्रिक्चर पास हुआ लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ और वह भी कमीशंड बना दिए गये हैं। जब कि हमारे हरगोविन्द सिंह जी कहते हैं और चुनौती सदन में देते हैं कि अगर किसी भ्रष्ट पुलिस अफसर के साथ रियायत की बात बताई जायगी तो मैं स्तीफा अपने पद से दे दूंगा। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं। इन श्री नाग और दास के बारे में जज ने इन्क्वायरी रिपोर्ट में भी लिखा है और स्ट्रिक्चर भी बार-बार पास होते हैं और तरक्की अफसरों को दी जाती है।

एक उदाहरण मैं और दूंगा वह इलाहाबाद का ही है जिस की बड़ी चर्चा है। मेजा और करछना तहसील में तराई का इलाका है। वहां पर भुखमरी हुई। मैं नहीं कहता कि हुई या वहां के सालिगराम जायसवाल नहीं कहते बल्कि टाइम्स आफ इंडिया की रिपोर्ट है कि एक प्रतिनिधि गया था उसने लिखा है कि वहां पर ६५ साल की मुगनी देवी की और बेनी कुशवाहा की मृत्यु भुखमरी से हुई है। प्रधान यादव तिगजा गांव का रहने वाला जो नौकरी की तलाश में नैनी गया लेकिन जब नैनी में नौकरी नहीं मिली और तीन-चार दिनों तक अपने नौनिहाल बच्चों को भोजन नहीं दे सका तो स्वयं आत्महत्या करने की कोशिश की। यह दयनीय दशा है सुचेता कृपालानी जी के शासन की। सारे का सारा किस्सा इस टाइम्स आफ इंडिया में दिया हुआ है। आखीर में जब लड़कों के लिये खाने का प्रबन्ध न कर सका तो उस आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। सुचेता जी, यदि आपको उत्तर प्रदेश के शासन की गद्दी पर बैठने का अधिकार है तो ६५ साल की बुड्ढी मुगनी देवी को भी भर पेट भोजन खाने का अधिकार है।

हमारे साथी छुन्नन गुरू और सालिगराम जी दांत निकाल कर मा० सुचेता कृपालानी और गेंदा सिंह जी से वस्तु स्थिति की जांच करने की बात करते हैं जो मेरे लिये असह्य है। उन्हें चाहिये कि मेजा और करछना तहसीलों में बगावत का बिगुल बजावें और उस भुखमरी के इलाके में पार्टी की सारी ताकत लगा दें। भुखमरी से सताये हुए लोगों का जुलूस जिलाधीश का बंगला घेर कर बगावत की हालत पैदा करे तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है।

इस देश और प्रदेश को कुचलने की विदेशियों ने बहुत कोशिश की है लेकिन इसे नहीं कुचल पाये हैं। अंग्रेजों ने भी कुचलने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी यह नहीं कुचल पाया है। आज भी हमारी जनता को कुचला जा रहा है लेकिन कुचली नहीं जायेगी। यहां पर तूफान बरपा होगा। मैं तो यही कहूंगा कि यह विरोधी पक्ष की कमजोरी है कि जो इस हुकूमत के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है और विद्रोह नहीं कर रही है।

कल दुबे जी ने कहा कि देश के अनेक राज्यों में आजकाल अशान्ति है, लेकन सद्भावना और विवेक से उत्तर प्रदेश की जनता शान्त है। बात ऐसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जबर्दस्त तूफान बरपा होने वाला है। 'लल बिफोर दी स्टार्म' की स्थिति है। विरोधी पक्षों की नपुंसकता की वजह से बगावत वाली स्थिति में तीव्रता नहीं आ रही है।

श्रीमन्, मेरे पास इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट की एक पत्रिका है जिसका नाम है 'इकोनोमिक रिव्यू ऑफ उत्तर प्रदेश'। इसमें प्रदेश की जो हालत है उसकी सही पिक्चर दी हुयी है। इसमें यह भी दिया हुआ है कि हमारे प्रदेश में आर्थिक प्रगति कितनी हुयी है। इसमें लिखा हुआ है कि सारे देश में ५८ जिले हैं जो सब से पिछड़े हुए हैं और इन ५८ जिलों में से २२ जिले उत्तर प्रदेश में हैं जो सब से गरीब हैं और दरिद्र हैं। जब कि इस प्रदेश की आबादी देश की आबादी का १७ प्रतिशत है, इस आबादी का ३५ प्रतिशत इन २२ जिलों में रहती है। वहां पर १६ औंस के बजाय अब १५ औंस खाने को दिया जा रहा है। मजदूरों की दशा पूर्वी जिलों में यह है कि उनकी आय प्रति दिन २७ पैसे है। १५ साल पहले भी बलिया, गोरखपुर में जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे भी कम आय प्रति व्यक्ति इस समय है। इसका समाधान इस इकोनौमिक रिव्यू नामक पुस्तिका में किया गया है। इसमें दिया हुआ है कि:

"In the distress areas of eastern U. P. large numbers of persons go to other states to make out a living. These areas serve as a mass recruiting centre for the army. In the off season large number of people offer themselves for employment on as low a wage as 50 paise, but there is hardly any work available. The solution of such extreme condition of poverty and under-employment will have to be thought of in terms of increasing the total size of investment so as to provide for rapid expansion of manufacturing and tertiary sectors....."

[श्री काशीनाथ मिश्र]

मेरा कहना यह है कि आज १८ वर्ष के शासन के पश्चात् भी यदि प्रदेश में खाने को भोजन और पीने का पानी न हो तो आप सोचें कि शासन कैसा है ? क्या आप कहेंगे कि शासन अच्छा है ?

आचार्य कृपालानी ने लोक सभा में सही कहा है कि 'इट इज अवर फर्म ड्यूटी टु बी इन दी वेक आफ रिवोल्ट'। माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक चिट्ठी लिखी एक आई० सी० एस० अफसर को लन्दन में, जब वह हटे थे जो इस प्रकार धर्मयुग में छपी है :

"प्रिय राजेश्वर प्रसाद, उत्तर प्रदेश के झगड़ों को हम अभी तक नहीं सुलझा पाये, वहां की स्थिति से चिन्ता होती है। प्रदेश को कितनी क्षति पहुंच रही है वह उत्तर प्रदेश के साथी अनुभव कर रहे हैं . . . व्यक्तिगत होड़ लगी हुई है। जिस तेजी से कांग्रेस में हम नीचे की ओर खसक रहे हैं—गवर्नमेंट का शासन जिलों में वेग से निम्न स्तर की ओर जा रहा है।" उत्तर प्रदेश का शासन माननीय लाल बहादुर शास्त्री की निगाहों में क्या है यह इसी से स्पष्ट है। दिल्ली के एक कांग्रेस के आदमी ने बताया कि सब से बड़ा आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शासन को न जनता चाहती है, न कांग्रेस वाले चाहते हैं और तब भी यह शासन चला जा रहा है। यहां के एक-एक मिनिस्टर को मैं जानता हूं जो चुनाव फंड के नाम पर रिश्वत लेते हैं। पी० डब्लू० डी० के मिनिस्टर ने हमारे जिले के एक ठेकेदार से ३०,००० रु० लिया इलेक्शन फंड का और जो नहीं देता है, ओवरसियर या इंजीनियर, उस को वह सस्पेंड और मुअत्तल किया करते हैं। इस तरह से आप जनता के अन्दर विश्वास पैदा नहीं कर सकते। माननीय नवल किशोर जी कहते हैं बगावत, तो बगावत होगी क्योंकि आप ने ऐसी हालत पैदा की है, उधर के बैठने वालों में इतनी नपुंसकता है कि जो परिस्थिति आप ने पैदा की है उस के मुताबिक आप जनता के हकूक नहीं दिला पा रहे हैं। अब जनता स्वयं तैयार हो रही है और अपने हकूकों को ले कर रहेगी।

पुलिस और न्याय प्रशासन को भी देखिये क्योंकि यह सब सामान्य प्रशासन में आता है। ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल, श्री जे०के० श्रीवास्तव हैं उन के खिलाफ हाई कोर्ट में केस हुआ ५६,००० रु० के गबन का। जस्टिस ब्रूम और जस्टिस सहाय का फैसला है। ५६,००० रु० जे०के० श्रीवास्तव ने ले लिया और बगैर गवर्नमेंट की इजाजत के दखल ले लिया। हमारे प्रदेश के ऐडवोकेट जनरल, श्री कन्हैया लाल मिश्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कन्हैया लाल मिश्र वर्सेस नन्दलाल मिश्र के केस में, जो जस्टिस सुब्बा राव ने दिया है "देयर कैन नाट बी टू स्टैन्डर्ड्स आफ जस्टिस, वन फार दी हाइली प्लेस्ड और प्रिवलेज्ड परसन ऐण्ड दी अदर फार दी कामन मैन।" अब जहां के ऐडवोकेट जनरल और ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल इतने भ्रष्ट हों वहां क्या न्याय व्यवस्था हो सकती है ? मैं कहता हूं कि इस हुकूमत के खिलाफ सिवाय बगावत के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह शासन इतना भ्रष्ट हो गया है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन, सामान्य प्रशासन पर जो विवाद चल रहा है उस में हमारे अनेक मित्रों ने अपनी-अपनी राय दी। एक मित्र ने तो कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन डिमारेलाइज हो गया है इसलिये कि उसको ऐम्बेसडर और फिएट गाड़ी के परमिट दिये गये हैं। यह बात गलत है। मैं समझता हूं कि इस तरह से अपोजीशन को नहीं कहना चाहिये जिस तरह माननीय सदस्य ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन डिमारेलाइज इसलिये हुआ है कि मुख्य मंत्री से लेकर लेखपाल तक के कार्यों में एफिशियेंसी आई है और उसका प्रमाण यह है कि पहली और दूसरी योजनाओं में जो लक्ष्य रखे गये थे खर्च करने के लिये उनको हम खर्च नहीं कर सके, लेकिन तीसरी योजना के अंतिम वर्ष में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

५०२ करोड़ का एस्टिमेट रखा गया था उससे ज्यादा हम खर्च करने वाले हैं। दूसरे जो बजट आया था उसमें ३१ लाख का घाटा दिखाया गया है। तीसरे सुचेता जी की सरकार ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोरियों पर सोचा और समझा और उनको दूर करने के लिये उन्होंने खास-खास कदम उठाये। अव्वल तो जैसा कि नवलकिशोर जी ने कहा ७, ८ करोड़ रुपये की इकोनामी की। उस इकोनामी के करने में किसी के अधिकार का हनन भी नहीं किया, किसी को निकाला नहीं गया और समझौते के साथ प्रदेश की स्थिति को सामने रख कर कार्य किया जिसके कारण यह इकोनामी हुई।

डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर जो अधिकारी हुआ करते थे वह डेवलपमेंट का कार्य करते थे। इर्रीगेशन से उनका मतलब नहीं था, टेक्निकल कामों से और खेती से उनका मतलब नहीं हुआ करता था। इसके लिये एक एग्रिकलचर प्रोडक्शन कमिश्नर नियुक्त किये गये और एग्रिकल्चर के कार्य में प्लानिंग के जरिये से जो असुविधायें हुआ करती थीं उनको इन्होंने दूर किया और प्रदेश में अन्न की उपज को बढ़ाया।

भ्रष्टाचार पर बड़ा जोर दिया गया और कहा गया कि उसके निवारण के लिये कुछ नहीं किया गया। एक विजिलेंस कमीशन मुकर्रर हुआ और उसके सामने सैकड़ों बड़े अधिकारियों के केस हैं और आज हालत वह है कि जितने बड़े अधिकारी हैं वे अपनी जगह पर अपनी बुराइयों को दूर करने में लगे हुए हैं और घबड़ाये हुए हैं। इसी प्रकार कुछ अपर डिवीजन असिस्टेंट तथा १३१ अधिकारी रिडयूस किये गये।

इससे अधिक मौजूदा परिस्थितियों में यह सरकार एफिशियेंसी पैदा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा मुख्य मंत्री पर हमेशा हमला किया जाता है कि मुख्य मंत्री क्या नाम की मुख्य मंत्री बनाकर बैठा दी गयी हैं। इनके साथ कई मुख्य मंत्री हैं और उन्हीं के डायरेक्शन पर यह मुख्य मंत्री चलती हैं। मुख्य मंत्री जी के बारे में उनको जान लेना चाहिये कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से उनको अपना नेता चुना है। सबसे बड़ी शक्ति जो इस सदन की है उसने उनको इस सरकार का नेता बनाया है और वह पूरी शक्ति उनके साथ आज भी है। वे इत्तफाक से नहीं आकर बैठ गयी, नामिनेट होकर नहीं आयी हैं। तो इस तरह की आलोचना जो की जाती है उसको मैं वैसी ही मानता हूं जैसे आज स्पुतनिक के जमाने में जब १८ हजार मील फी घंटा की चाल से लोग सफर करते हैं तब भी हमारे दोस्त बैलगाड़ी पर बैठकर टुनटुन करके मुकाबिला करते हैं। अब बैलगाड़ी से मुकाबिला करने का समय चला गया। यह सरकार स्पुतनिक पर जा रही है और आप अपनी बैलगाड़ी लेकर इधर उधर धीरे धीरे चल रहे हैं। हम आपमें से एक एक व्यक्ति का स्वागत करते हैं। आपने जब कांग्रेस की खूबियों, सरकार की योग्यता, उसकी एफीशियेंसी को समझ लिया है, आप भी इधर आ जाइये, कुछ समझदार लोग आ गये हैं और दूसरे लोगों के लिये जगह खाली कीजिये और वह लोग भी आवें ५ साल तक गाली-गलौज करें, सीखें और वह फिर सीखकर हमारे साथ आ जावेंगे। हम तो विरोधी दल को एक ट्रेनिंग का स्थान समझते हैं। वह तो एक शिविर सा है जहां आलोचना करके हमारे नेता सीखते हैं और जब सीख लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है तब इधर आ जाते हैं। हमारे कुछ मित्र अच्छी तरह समझ गये हैं कि यह विरोधी दल सब धोखा ही धोखा है और वे उस रास्ते को छोड़-छाड़ कर इधर आ गये। बहुत से आनेवाले हैं और आ रहे हैं। हम आप सबका स्वागत करेंगे। उन सब समझदार व्यक्तियों का जो सामने बैठे हुये हैं। आप लोग बैलगाड़ी छोड़ दें और इस कुर्सी पर सवारी करें।

श्रीमन्, अब ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं दो एक मिसाल देना चाहता हूं। मैं फैजाबाद कमिश्नरी का रहने वाला हूं, मेरा जिला सुल्तानपुर है। मेरी पर्सनल नालेज है। आप मेरी कमिश्नरी में जाकर देख लें। मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी की प्रशंसा व्यर्थ करूं, मैं उनकी

[श्री बैजनाथसिंह बैस]

प्रशंसा करना भी नहीं चाहता, मैंने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन हमारी कमिश्नरी के कमिश्नर इतने एफीशियेंट हैं कि वे गांव-गांव घूमकर गांव में कुंओं की देखभाल करते हैं, गड्ढे पटवाते हैं और सख्ती से ऐग्रीकल्चर का काम कराते हैं । हमारे जिले के कलेक्टर को ही देख लिया जाय । किस प्रकार से वह गांव गांव घूम कर काम कर रहा है । मैं दावत देता हूं सुल्तानपुर जिले में खुद आकर देख लीजिये । मेरा खयाल है कि जिस जिले के एम० पी० और एम० एल० ए० अच्छे काम करने वाले होंगे और वे अधिकारियों से जितना अधिक सम्पर्क रखेंगे और उनको जितना ज्यादा सहयोग देंगे, वहां के अधिकारी उतने ही एफीशियेंट होंगे । आप विरोधी दल के लोग तो गदहे और घोड़े सब को एक साथ हांकते हैं । जो अच्छा है उनको नालायक कहने से वह समझने लगता है कि हम तो नालायक हैं और उसका मन टूट जाता है । जो अच्छा काम करे उसको जरूर अच्छा कहना चाहिये और जो खराब काम करे उसकी बात सरकार से कहना चाहिये और उसको सजा दिलानी चाहिये, लेकिन आप तो सब गदहा घोड़ा एक साथ हांकते हैं । यह असामयिक बात है ।

श्रीमन्, एक बात और है । हमारी कांग्रेस पार्टी के अन्दर ८० फीसदी एम० एल० ए० गांव के रहने वाले हैं, किसान हैं, लेकिन श्रीमन्, उधर ऐसा नहीं है । यहां के लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन आवश्यकता इस बात की है और आपने सुना होगा कि वोट बिकते हैं तो विरोधियों के बिकते हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई वोट नहीं बिकता है ।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय.....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय सदस्य ने अधिकारियों की तुलना घोड़े और गदहे से की । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी अधिकारी की या किसी व्यक्ति विशेष की तुलना घोड़े या गदहे से करना, यह संसदीय है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---

माननीय बैस जी ने आफिसरों के लिये जो कुछ कहा है, उससे आफिसर लोग खुश हुये होंगे।

*श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश का प्रशासन कितना तकलीफदेह, खोखला और निकम्मा है, यह किसी से छिपा नहीं है । करोड़ों रुपया प्रदेश की तरक्की के लिये और विकास हेतु खर्च किया जाता है, लेकिन हम देखें कि इस प्रदेश ने १८ साल तक कोई भी तरक्की नहीं की है उसकी क्या वजह है जिससे इस प्रशासन में इतना निकम्मापन है । आज जितना रुपया ब्लाक्स में दिया जाता है वह कैसे खर्च होता है ? मैं आपको अपने गोंडा जिले की बात बतलाऊं कि वहां जितना रुपया लोन के रूप में या अनुदान के रूप में दिया जाता है वह डाकखाने के पास-बुक में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट खरीदने में खर्च होता है । इसके लिये बी० डी० ओज०, बी०एल० डबल्यू० और सेक्रेटरीज को लगा दिया गया है कि जितना रुपया लोन के लिये या अनुदान के लिये हो वह सब काश्तकारों को देकर उनसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट खरीदवा लिया जाय और उनका पासबुक खुलवा दिया जाय । इस तरह से इन विकास क्षेत्रों के लिये जितने रुपये हैं उन सबको इन सर्टिफिकेटस के खरीदने में खर्च होता है । इस तरह से आप देखेंगे कि सरकारी रुपया जो एग्रीकल्चर के लिये हैं तथा और चीजों पर खर्च करने के लिये है उसे काश्तकारों को नहीं दिया जाता है बल्कि वह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स तथा नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेटस खरीदने में खर्च होता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक तरह से गोंडा का सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज्ड हो गया है । इस वक्त जो गोंडा के डी० एम० हैं वे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह के एलेक्शन के सिलसिले में दौरा कर रहे हैं । किसी ब्लाक के बारे में हम लोगों को कोई इनफारमेशन नहीं है कि किस तारीख को वहां मीटिंग है । श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह को लेकर वह दौरा कर रहे हैं और अगला एलेक्शन जो अप्रैल में होने वाला है उसके लिये उनका प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि वहां उनको खड़ा करना है और इनको सपोर्ट करना है ।

यही नहीं, वहां नसबन्दी भी करायी जा रही है और वह भी किसकी ? १८-१८ साल के बच्चे की, ६०-६० और ८०-८० साल के बूढ़ों की । जिनकी बीबी नहीं है, जितने पागल लोग हैं, जितने साधु लोग हैं, उनको भांग पिला-पिला कर उनकी नसबन्दी करायी जा रही है । इस तरह से आप देखें कि बी० डी० ओज० द्वारा किस तरह से सरकारी रुपये का दुरुपयोग हो रहा है और उससे जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा है ।

मैं जानता हूं कि श्री भगवती प्रसाद शुक्ल जो देहरा ब्लाक के पास के हैं, उनको ५ हजार रुपया दिया गया और वह रुपया उनसे नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट्स के लिये जमा करवा दिया गया । उन्होंने कुआं पहले ही बनवा लिया था, उनको पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन बी० डी० ओ० अपनी तरक्की के लिये यह सब काम करते थे । डी० एम० ने हर बी० डी० ओज० के लिये निश्चित कर दिया था कि इनको इतना रुपया जमा करना है । हर बी० डी० ओ०, बी० एल० डब्ल्यू० सेक्रेटरी इतना रुपया जमा करेगा । देहरा ब्लाक के पास एक पंखाकुली के दो लड़के हैं । उससे जबरदस्ती कहा गया कि तुम्हें चपरासी बना देंगे, लेकिन नसबन्दी होने के बाद वह पंखाकुली से भी निकाल दिया गया । चार पांच सौ दरख्वास्तें पिस्तौल की बन्दूक की डी० एम० के बंगले पर पड़ी हुई हैं । कोई पुरसां हाल नहीं है । फाइलें पड़ी हुई हैं उनको देखने की फुरसत नहीं । वह बिलकुल लीडर हैं । एलेक्शन के दौरे में, नसबन्दी कराने में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदवाने में लगे हुये हैं । उनको पता नहीं कि कचहरी में क्या हो रहा है । एस डी० एम० दौरा करते हैं, उनको पेशियां नहीं होतीं, लोग लौट जाते हैं । इस तरह से सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन पैरैलाइज्ड है ।

अब मैं आपका ध्यान राजभाषा की ओर ले जाना चाहता हूं । इसमें लिखा हुआ है कि सरकार राजभाषा की तरफ ज्यादा तवज्जह दे रही है लेकिन अन्त में लिखा है कि केवल दो डिपार्टमेंट्स में हिन्दी में काम होता है, एक माननीय गेंदासिंह का और दूसरा माननीय नेगी जी का । हम देखते हैं कि प्रायः दिन यहां का लिटरेचर अंग्रेजी में छपता रहता है । तो कैसे कहा जा सकता है कि राजभाषा की प्रगति हो रही है ? कहा गया कि फैजाबाद के कमिश्नर महोदय बहुत अच्छा काम करते हैं । फैजाबाद के कमिश्नर के लिये तो नहीं, लेकिन ऐडीनशल कमिश्नर के लिये जरूर कह सकता हूं कि वह अपीलें जैसे घास काटी जाती हैं वैसे सुनते हैं, रिमांड-रिमांड । आप इनक्वायरी करवायें तो मालूम होगा कि किस तरह अपीलें घास की तरह काटी जाती हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

न्यायालय के कार्य के सम्बन्ध में कैसे इनक्वायरी करवायें ?

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आप देखें कि जनता का पैसा किस तरह से अपीलों में खर्च होता है । अभी हमारे डी एम महोदय ने गोंडा जिले में एक शिगूफा खिलाया हुआ है । माननीय माल मंत्री जी दौरे पर उतरौला गये । उनको दरख्वास्त दिला दी गयी कि उतरौला से तहसील हटा कर उसका हेडक्वार्टर मनकापुर में कर दिया जाय । १८७५ से यह तहसील जनता की सेवा कर रही है । लेकिन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को और आनन्द प्रसाद जो राजा साहब मनकापुर के लड़के हैं उनको खुश करने के लिये उतरौला से मनकापुर को तहसील हटायी जा रही है । मैं

[श्री सूरजलाल गुप्त वकील]]

माननीय मंत्री महोदय से बता देना चाहता हूं कि अगर उतरौला तहसील मनकापुर गयी तो वही केरल का, बंगाल का, पंजाब का किस्सा उतरौला में होगा। एक-एक बच्चा मर जायगा। लेकिन अपनी तहसील को नहीं हटने देगा। यह चुनौती है।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

इस धमकी से हम डरते नहीं।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। क्या वजह है कि १८७५ से तहसील कायम है, उसको हटाया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सेंन्ट्रल प्लेस नहीं है।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

सेंन्ट्रल प्लेस नहीं है, तो रेहरा है, रामपुर है। मनकापुर भी सेंन्ट्रल प्लेस नहीं है। मैं आपको कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं राय देना चाहता हूं। जनता के व्यापक हित को देखते हुये उतरौला से हेड क्वार्टर न हटाया जाये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैंने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

मैं जानता हूं कि आप मिनिस्टर हैं, जो चाहेंगे करेंगे, इसलिये मैं आपको चेलेंज नहीं कर रहा हूं। केवल मैं यही चाहूंगा कि आप इसको हटाने की कोशिश न करें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन और उसके सम्बन्ध में आये कटौतीं के प्रस्तावों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सामान्य प्रशासन एक विशेष अंग है हमारे प्रशासन का। जहां-जहां प्रशासन चलता है, यदि हम उनकी सफलताओं असफलताओं की एक निष्पक्ष लेखा जोखा करें, तो एक निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारी सफलताओं और उपलब्धियों की संख्या सन्तोषप्रद है। हमारे विरोधी भाइयों का आलोचना करने का अधिकार है, प्रजातंत्र में हम आलोचना का समुचित आदर करते हैं, लेकिन वह आलोचना तथ्यों के साथ हो, सद्भावना के साथ हो और वह आलोचना एक ऐसा वायुमंडल बनाने के लिये हो, जिससे हम प्रशासन को अधिक शुद्ध और द्रुतगामी कर सकें। मान्यवर, मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में जो भाषण हुये हैं, उनमें रचनात्मक सुझावों का अभाव रहा है, वे एक कल्पना के संसार में विचरते रहे हैं। उधर के माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों का प्रवेक्षण करने पर उनमें एक ऐसी भावना का आभाष होता है कि वह भाषण केवल सस्ती लोकप्रियता अर्पित करने के लिये दिये गये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शीशे के मकान में रहने वाले को दूसरे पर इंटे नहीं फेंकनी चाहिये। आज जो वोटों का सौदा हो रहा है, और जो चीज हमारे सामने भी आ गयी है और जिसकी सदन में भी चर्चा हो चुकी है, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं कि विरोधी दल के सदस्यों पर प्रजातंत्र पर जो उत्तरदायित्व है, उसे रखने के लिये उन्होंने क्या प्रयास किया है। सरकार को तो वह उपदेश देते हैं और हमसे आशा करते हैं, लेकिन उनका भी कुछ उत्तरदायित्व है, जिससे वह कैसे इंकार कर सकते हैं ? क्या उधर के रहने वालों ने ही इस प्रकार

का सौदा नहीं किया, क्या वह नहीं जानते हैं कि किसके द्वारा वोटों का सौदा हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है और कहां पर और कैसे हो रहा है ? क्या आपने अपने साथियों की कमजोरियों की निन्दा की है ? और क्या उन्होंने उतने ही साहस के साथ, उतने ही धैर्य के साथ और उतने ही मनोबल के साथ कभी आलोचना की है जितनी कि वह सरकार की करते हैं ? लेकिन, श्रीमन्, हम उसी चीज का अनुसरण करते हैं कि हम जो कुछ करें तो उचित है और वे दूसरे करें वह पाप है । तो इस तरह से न तो वह अपना हित कर सकेंगे, न अपनी सेवा कर सकेंगे, न प्रदेश की वह सेवा कर सकेंगे और न एक अच्छा वायुमंडल ही बना सकेंगे ।

आप सामान्य प्रशासन की उपलब्धियों का सिंहावलोकन करें और अपने अन्तस्थल से सोचें कि क्या हमारी सफलतायें नगण्य हैं ? आप पुलिस को ही ले लीजिये जिसने पार साल आई असाधारण देश की परिस्थितियों में कितनी बहादुरी और साहस के साथ उन विषम परिस्थितियों की मुकाबला किया और कहीं पर भी उपद्रव नहीं होने दिया, वह सर्वत्र शान्ति स्थापित किये रही । दस्यु वध कर उनका सफाया किया, समाज विरोधी तत्वों को खत्म किया और हमारे विश्वास मजबूत किया है । हमारे यहां की पी० ए० सी० दूसरे प्रदेशों में शान्ति स्थापना की कार्यवाही के लिये बुलाई जाती है । क्या यह हमारी उपलब्धि कम है ? इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी हमारी प्रगति सन्तोषजनक है । यदि हमने यह तय कर लिया है कि किसी बात की चाहे वह कितनी अच्छी हो हम प्रशंसा न करके हम आलोचना ही करेंगे तब तो बात दूसरी है, लेकिन यदि सफलताओं का भी सिंहावलोकन करें और उनकी विवेचना करें तो मैं समझता हूं आपके मुख से इसके लिये भी प्रशंसा के शब्द जरूर निकलेंगे और आलोचना नहीं करेंगे ।

क्या अधिक अन्न उपजाओ योजना की दिशा में प्रगति नहीं हुई है ? यह बात सही है कि प्रकृति के प्रकोप के कारण, अति वर्षा, अनावर्षा, असमय में वर्षा और ओले पड़ने के कारण यदि हमारे प्रयास असफल रहे हों यह हो सकता है, किन्तु कृषि विभाग की ओर से क्या सभी साधन प्रस्तुत नहीं किये गये ? कुछ दैवी कारण हुये जिनसे हम अधिक अन्न उपजाओ की योजना में सफल नहीं हो सके ।

इसी प्रकार से बिजली विभाग को आप देखें । बिजली के क्षेत्र में आज हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है । इसी प्रकार से आप और चीजों को ले लीजिये । सिंचाई व चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी योजनायें बराबर कार्यान्वित की जा रही हैं । शिक्षा की योजनायें या पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने की योजनायें बराबर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही हैं ।

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इस सरकार ने प्रगति न की हो और जिस क्षेत्र में इस सरकार ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास न किया हो । यह बात सम्भव हो सकती है कि सफलता उन क्षेत्रों में कम मिली हो, लेकिन इसके साथ-साथ में यह भी निवेदन बड़ी नम्रता के साथ करना चाहता हूं कि उसका दायित्व केवल सरकार का नहीं है । इससे उधर के बठने वाले भाई अपने आप को बचा नहीं सकते । इसका दायित्व उनके ऊपर भी उतना ही है । श्रीमन्, यह तो हमारी उपलब्धियों की चर्चा हुई ।

अब मैं कुछ अपने द्रुतगामी सुझाव प्रशासन के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि इस पर विचार किया जाय तो इससे प्रदेश को लाभ पहुंचेगा । मुझे अनुभव यह हुआ है कि सब से बड़ी कठिनाई मैं आज उनकी प्रदेशीय सरकार प्रशासन के सम्बन्ध में अनुभव कर रहा हूं वह यह है कि प्रत्येक पत्र का उत्तर देने में अनावश्यक देर होती है कोई प्रार्थना-पत्र कहीं दिया जाय अगर १०, १५ रोज के बाद उसका उत्तर मिल जाय तो उसको सन्तोष हो जाता है लेकिन जब वह प्रार्थना-पत्र महीनों चलता है, वर्षों चलता है और उसकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर निराशा उत्पन्न होती है । इसी प्रकार से आप न्यायालय में चले जाइये और मुकदमों को देखिये कि कितना समय लगता है ।

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

उसमें भी इतनी देर लगती है कि वह व्यक्ति अपने मुकदमें से परेशान हो जाता है । अगर उचित समय के अन्दर उसको मुकदमें का निर्णय मिल जाय तो उसको सन्तोष हो जाय । इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये वह न्याय प्रशासन को इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करें कि जल्दी मुकदमों को निपटाने का प्रयत्न किया जाय । यदि मुकदमें जल्दी निपटने लगें तो जनता सुख की सांस ले । हमारे सामने भ्रष्टाचार का प्रश्न है । इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन उसका दायित्व भी केवल सरकार के ऊपर ही नहीं है, अधिक उसका दायित्व और उसके निवारण करने का बहुत बढ़ा दायित्व उधर के बैठने वाले लोगों के ऊपर भी है । हम लोग इस बात को सोचें कि भ्रष्टाचार को दूर करने में हम सहायक या उसको लाने में सहायक हुये है । इसको दूर करने के लिये हमारी सरकार ने कई बड़े सुन्दर कदम उठाये हैं इसलिये कि सरकार चाहती है कि यह शिकायत दूर हो जहां तक हो सका है सरकार ने उस पर कार्यवाही करने का प्रयास किया है । मेरा इतना निवेदन है कि यदि किसी अधिकारी विशेष के ऊपर उनको सन्देह है, विश्वस्त सूत्र से उनको ऐसी सूचना मिले कि उसकी ईमानदारी में सन्देह है कि अनुचित उपायों से उसने धन संचित किया है या सामान इकट्ठा किया है तो उसके मामले को विजिलेन्स कमीशन को भेजा जाय । यदि इस प्राकार से उसके केस को वहां भेज दिया जाय तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में भ्रष्टाचार के निवारण में यह चीज बड़ी सहायक होगी । मैं चाहता हूं विजिलेन्स कमीशन का क्षेत्र अधिक विस्तृत बनाया जाय, अधिक सक्रिय बनाया जाय तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं और वह किसी सीमा तक रुक सकता है । मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि इस प्रकार से उसके खर्चे को भी बढ़ाने की जरूरत हो तो उसको बढ़ा लें, उसकी परिधि को भी बढ़ा लें । जहां तक किसी पर कोई सन्देह हो वहीं उसका मामला वहां पर भेज दिया जाय । मुझे आशा है मेरे इन सुझावों पर विचार किया जायगा । इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री लखपतराम शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित है मैं उसे ले कर अपने विचार रखूंगा । यह सही है कि जब यह अनुदान प्रस्तुत होते रहते हैं और उसमें आदरणीय विधायकगण स्वयं तथा अपने-अपने क्षेत्र की बातों को ले कर विवाद में भाग लेते हैं । जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । यदि उस पर विवाद के समय माननीय सदस्यों ने विभाग में क्या गड़बड़ियां हैं, कर्मचारियों का कहां पर दोष है, विभाग का संगठन किस प्रकार का है, आदि के संबंध में सुझाव दिये होते तो संभव है कि उस से सरकार को कुछ दिशा मिलती और विभाग में कुछ प्रगति का होना संभव होता लेकिन इस के विपरीत मैंने उस विवाद के केवल यही देखा कि मेरे क्षेत्र में अमुक सड़क की आवश्यकता है, वहां अमुक पुल बनाया जाना चाहिये, और सारी बहस इसी प्रकार की बातों पर केन्द्रित रही । यह भी सही है कि कोई भी मंत्री आदरणीय सदस्यों की सारी बातों को पूरा नहीं कर सकता और इसके लिये हम को नाराज भी नहीं होना चाहिये, लेकिन सारा विवाद इन्हीं लाइन्स पर चलता है । अभी आपके सम्मुख पुलिस के संबंध में विचार व्यक्त किये गये । नेता सदन बाहर चली गयी हैं, उप नेता सदन हैं, मैंने कितनी बार भातटाला बांध, झांसी इरिगेशन वर्कशाप, झांसी बबीना जल योजना तथा जामिनी डैम आदि के बारे में अपनी गर्दन फंसा कर लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला सदन व मुख्य मंत्री के सामने रखा है, लेकिन आप का कहना है कि माननीय सदस्य नौकरशाही को कोसते रहते हैं, ठोस सुझाव नहीं देते । मेरा सुझाव यह है कि जो माननीय सदस्य भ्रष्ट अधिकारियों की सिफारिश माननीय मंत्रियों के कमरे में कौन करने जाते हैं और माननीय मंत्रिगण जिन की रक्षा करते हैं, ऐसे अधिकारियों की रक्षा के बजाय उन को फांसी देना आवश्यक है । मैं समझता हूं कि सबसे बड़े अपराधी वह लोग हैं जो भ्रष्टाचार के मामलों में, बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्ट अफसरों की सिफारिश करते हैं माननीय मंत्रियों के कमरों में जा कर । और मंत्रिगण सिफारिश करते हैं टेलीफोन से । मैं नेता सदन से निवेदन करूंगा कि अगर कोई सुधार हो सकता है तो उसके लिये

कड़ाई की जरूरत है और चाहे कोई भी आदमी गलत सिफारिश ले कर आये, उस की बिना पर किसी मंत्री को टेलीफोन नहीं करना चाहिये और अगर ऐसा होता है तो उस पर अनुशासन की कार्यवाही की जानी चाहिये । आप विश्वास करें या न करें, लेकिन आज मंत्रियों ने यह एक धंधा बना रखा है कि वे नाजायज तौर पर टेलीफोन करते रहते हैं और अगर वे ऐसा न करें तो उन के नीचे के कर्मचारी गलत काम करने का साहस नहीं कर सकते ।

मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं इस गंदगी में पड़ने का कायल नहीं, लेकिन मैं इस सदन में चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि माताटीला के संबंध में पचास के करीब मामले माननीया मुख्य मंत्री के सामने व सदन के सामने पेश किये हैं और यहां पर एक मंत्री महोदय को दबाने की कोशिश की है । मैं कहता हूं कि वे ही देश द्रोही है, ऐसे मंत्री, जो ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश करते है या भ्रष्ट अधिकारियों को प्रश्रय देने का विचार रखते है । अब ने उन सारे ही मामलो तो राजनीतिक लोगो ने थाने में हाजिरी देना भी प्रारम्भ कर दिया है । मैं सोचता हूं कि आखिर इस मुल्क का होगा क्या ? हमको अपनी तस्वीर आइने में देखनी होगी । अगर हम गलत काम छोड़ दें तो सुधार हो सकता है । जिस जिले का विधायक गलत काम नहीं करता उस जिले के जिलाधीश और दूसरे कर्मचारी रात को सोते में भी चौकते हैं । उनको चैन से नींद नहीं आती ।

एफीशियेन्सी का जहां तक ताल्लुक है, वह जीरो नम्बर पर आ चुकी है । इसलिये कि जब चीन ने और पाकिस्तान ने हम पर हमला किया उस जमाने में भी अगर हम अपने कर्मचारियों में एफीशियेन्सी नहीं ला पाये तो मेरा विश्वास है कि हम अपने कर्मचारियो में कभी भी एफीशियेन्सी नहीं ला सकते । प्रदेश की हालत को आप ले लीजिये । मैं समझता हूं कि सही चीजों को स्वीकार करने की हम में हिम्मत नहीं है । हममें अगर खराबी है तो उसे स्वीकार करने की हम में हिम्मत होनी चाहिये । यह ठीक है कि भ्रष्ट कर्मचारियों को ठीक करने का प्रयत्न हमारी मुख्य मंत्री जी करती हैं । मैंने एक मामले के बारे में उनसे कहा था और उन्होंने लिफ्ट रुकवा कर मेरी सारी बात सुनी । मैं उनका आभारी हूं कि वह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ काम करती हैं, उनके खिलाफ शिकायतें सुनती हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे विधायक उन पर इतना असर डालते हैं कि वह सही काम करने की अभ्यस्त होते हुये भी उसे नहीं कर सकती हैं । दो गुट बने हुये हैं—एक तरफ गुप्ता जी, दूसरी तरफ त्रिपाठी हैं ! मुझे आश्चर्य तो यह है कि सामने मुंह पर दीदी कहते हैं—मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं—लेकिन जब दीदी कहते हैं आदरणीय सदस्य तो यह कहां तक शोभा देने वाली चीज है कि उनके ऊपर ही कितना असत्य और बुरा हमला कराया गया था और निराधार हमला कराने वाले मंत्रिमंडल के मंत्री हों और मुंह पर दीदी कहें और इस प्रकार का निम्न स्तर का हमला करायें, यह कितना निन्दनीय है !

एक चीज और है कि जब यहां अनुदान प्रस्तुत होते है तो विरोधी दल को शिकायत है वह विरोध करता है और उसके विपक्ष में वोट देता है, लेकिन उधर के कुछ लोग ऐसे है कि कटु आलोचना करने के बाद भी उसके पक्ष में हाथ उठाते है । अगर उसे बुरा समझते हैं तो हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं, चाहे कांग्रेस से निकाल दिये जायं, नैतिकता के यही अर्थ है । लेकिन एक ओर कटु आलोचना करना और फिर विरोध में हाथ उठाना, यह सरासर अनुचित है । या फिर वह कटु आलोचना ही न करें ।

पालीवाल जी ने कहा कि कुछ लोगों ने रुपया लेकर वोट दे दिया । मैं स्वीकार करता हूं । मैं यहां भी स्वीकार करता हूं और आगे भी करूंगा । मैंने स्वयं देखा है दारुलशफा के कमरों में और दूसरे कमरों में कि जब मिल मालिक खड़ा होता है तो उसके एजेंट थैलियां लेकर आ जाते हैं और वोटों के सौदे होते हैं और एम० एल० एज० का ईमान बेचा जाता और खरीदा जाता है । कानपुर के पूंजीपति के एलेक्शन में यही हुआ था । उनकी ओर से लोग रुपयों की थैली लिये हुये थे और सौदा होने पर थैलियों से रुपया निकलता था । उस वक्त

[श्री लखपतराम शर्मा]

यह पुलिस और सी० आई० डी० कहां छिप गयी थी ? खुल्लमखुल्ला यह चीज हो रही थी। तो कहूंगा कि ऐसे एम० एल० ए० को जितना नंगा कर सकें कीजिये, चाहे कोई नाराज हो या खुश हो। (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो-चार मिनट ज्यादा दीजिये

श्री अधिष्ठाता—

मैं आज मजबूर हूं।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं जल्दी खत्म करूंगा। आज प्रदेश की हालत यह है कि एक किलो, सवा किलो का गल्ला बिक रहा है और जनता भूखों मर रही है। फिर भी चीन और नेपाल की तरफ पैसे की लालच में यहां की बहुत सी चीजें चली जाती हैं। कानपुर में लाखों रुपये का सामान सेंट्रल पुलिस ने पकड़ा जो कि एक मिल वाले के यहां पकड़ा गया। मैंने असेम्बली में सवाल किया। एक साल होने को आया, उसके बाद भी पता नहीं चला कि उसको स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया। जब उस बड़े दौलत वाले के वहां की तलाशी ली गयी तो जो परमिट दी जाती है उस कागज पर अधिकारियों के दस्तखत की कापियां मिलीं और तहखाने के अन्दर ब्लैक शीट पर अधिकारियों के दस्तखत बने हुये मिले।

एक चीज और आपके सामने रखूं कि झांसी जिला परिषद् की आडिट रिपोर्ट १९६४-६५ की देखें। लाखों रुपये का बिल जिला परिषद् के नाम डाल दिया जबकि पार्टी के लिये टेलीफोन किये गये, दल के नाम पर यह सब हुआ। लेकिन हमें यह सोचना चाहिये कि पार्टी से मुल्क बड़ा है। चाहे इधर का कोई हो या उधर का, अगर वह बेईमानी करता है तो देश को सामने रखकर फैसला देना चाहिये।

रायबरेली में एक अधिकारी को १९४९-५० के अन्दर भ्रष्टाचार के इल्जाम में सस्पेंड किया गया। आज सन् ६६ हो गया, जिसको संदेह हो वह जांच करा ले, उसके पक्ष में आडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी और माननीय मंत्री जी ने पक्ष में रिपोर्ट दी और गृह मंत्री ने दिया। लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि बहाल नहीं होंगे। इसलिये कुछ लोगों पर नौकरशाही सही मानों पर हावी हो चुकी है। अभी एक साल पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आई० ए० एस० आफिसर की तरफ से एक जी० ओ० भेजा है और उसमें यह लिखा है कि अगर आई० जी० भी झांसी जाय तो वह कलेक्टर झांसी को पहिले सलाम करेगा। इस तरह के आदमी को भी कलैक्टर के हाथ में दे रक्खा है और वह प्रभुसत्ता कायम रखने के लिये जो कुछ करना चाहता है वह कर रहा है। मान्यवर, इस तरह से प्रशासन समाप्त हो जायेगा।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सामान्य प्रशासन एक विज्ञान भी है और साथ ही साथ एक कला भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो आदमी रहते हैं उनको देश के प्रदेश के नियमों का ठीक ढंग से समझना, कानून के पीछे क्या स्प्रिट है, क्या भावना है, इसको समझना उसका शास्त्रीय विवेचन करना और स्टेमेटिक ढंग से समझना यह उसका विज्ञान है। उसका उससे अधिक महत्वपूर्ण भाग वह है जिसको एक कला कहते हैं। जनता के सम्पर्क में आकर उस विधि विधान को व्यवहार में लाना, जब हम उसको व्यवहृत करते हैं वही हमारे व्यवहार और बुद्धि का परिचय मिलता है। यह निर्विवाद है कि जो प्रशासन हमको मिला है वह आज की परिस्थितियों में और आज जो हमारे मान्य सिद्धान्त हैं उनको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिये वह नहीं बनाया गया था। मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमको आजादी मिली, कानून के जरिये से मिली, एक संगठित प्रशासन

मिला। हम उसको लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अनुरूत बनाने के लिये क्या करें? क्या यह सम्भव था कि इस देश और प्रदेश के सामने जो ऐसे कार्डस् मौजूद थे उनको ओवरहाल करके उनका रिप्लेसमेन्ट किया जा सकता था? यदि ऐसा नहीं किया जा सकता था तो यह संगठन दूसरे कार्य के लिये बनाया गया था यह कहना एक अव्यावहारिक दृष्टिकोण है। जहां तक उस प्रशासन को लोकतान्त्रिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रश्न है, सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। प्रत्येक विभाग में जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ब्लाक स्तर पर जनता के चुने हुये प्रतिनिधि है। ऐसे दंड विधान बनाये और ऐसी प्रक्रियाओं का अवलम्बन किया जिससे प्रशासन स्वच्छ हो। इस दिशा में विजीलैन्स कमीशन और प्रशासकीय न्यायाधिकरण बनाये गये नियम विनियम बनाये गये और इस तरह की स्कीमें चल रही है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार इस दिशा में सचेष्ट है। परन्तु प्रशासन को उस व्यवस्था के अनुकूल बनाने में हमारा भी कुछ दायित्व होता है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं चाहे हम इस तरफ बैठते हों या उस तरफ बैठते हों, हमारा भी दायित्व होता है। हम करते क्या है। हम दो काम करते है। एक तो हम अतिरंजित आलोचना करते है या दूसरी तरफ प्रैशर में पढ़कर प्रशासकीय सर्वोच्च अधिकारी ने कोई कदम उठाया कोई एक्शन लिया तो मैं उस एक्शन के क्रियाविन्त न होने की सिफारिश भी करता हूं। एक्स्ट्रीम कार्नर्स की बातें हम करते हैं। हमने एक इन्जीनियर से बात की और उसने कहा कि जब हर ट्यूबवैल आपरेटर का ट्रान्सफर होता है तो अच्छा वह हो जाता है। जब ट्रान्सफर होता है तो आप ही कहते है कि ग्रामसभा का यह प्रस्ताव है। तो ऐसी परिस्थिति है हमको देखना पड़ेगा कि इस प्रशासन के ढांचे को हम किस तरह से हैंडिल करें। हमें अधिक बुद्धिमानी से काम करना पड़ेगा। हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि आखिर वे भी मानव है, मानव साइकोलाजी के वे भी शिकार हैं। जो आप कहते हैं उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसपर भी आपको विचार करना है। जो इस प्रशासन की उपलब्धियां है उनको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कलेक्टरों के बंगले पर पहले अंग्रेजों के जमाने में क्या व्यवस्था थी, गवर्नर महोदय के बंगले का फाटक खोलने के लिये विशेष प्रकार की ट्रेनिंग लोगों को दी जाती थी, आज क्या है, आप लोग रोज कलेक्टरों के बंगले पर जाकर प्रदर्शन करते है, गवर्नर के बंगले पर प्रदर्शन करते है, रोज उनसे इन्टरव्यू लेते हैं, उनसे मिल सकते हैं। क्या यह सब परिवर्तन आप नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर क्यों हवा में इस तरह की बातें करते हैं? मेरा आपसे सुझाव है कि आप नानइन्टरफियरेन्स की पालिसी को अख्तियार करें, और प्रशासन में कम से कम दखल देने की कोशिश करें, तभी आप कुछ रचनात्मक सुझाव भी दे सकेंगे और कुछ लाभ उठा सकेंगे। माननीय काशीनाथ जी चले गये, उन्होंने कहा कि फलां-फलां तहसील में विद्रोह कर देना चाहिये। जहां वोट लेने की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी बातें करते है कि मानो लोकतंत्र में उनका विश्वास ही न हो। अगर हमारी नीतियां गलत हैं, तो साल भर बाद आपको मौका मिलेगा।

मान्यवर, जो विवाद कल से चल रहा है उसको देख कर ऐसा लगता है कि सामान्य प्रशासन पर बातें कम हुईं, ज्यादातर बातें इसी पर हुईं कि शासक दल में गुटगन्दी है, कांग्रेस में यह है, वह है, आदि। मान्यवर, शासक दल एक-एक लोकतंत्रीय दल है। अपने-अपने विचारों के लोग उसमें हैं, अपने-अपने विचारों को वे लोकतंत्रीय ढंग से व्यक्त करते हैं, उससे आपको (विरोधी पक्ष) क्या परेशानी है? आपको क्या बीमारी उससे हो जाती है? आपकी यह बातें तो राजनैतिक दिवालियेपन की निशानी है। आप जब अपनी बातों को अपने दृष्टिकोण को रचनात्मक तरीके से नहीं रख पाते तो आप हमारे घर को देखने लगते हैं, हमारे दल की अन्दररूनी बातों को झांकने लगते हैं। आपकी तरफ रोज क्या होता है? कभी सुनने में आता है फलां सदस्य ने अपना दल छोड़ दिया, कभी सुनने में आता है कि उसने कांग्रेस दल को ज्वाइन कर लिया। मैं नहीं समझता कि उसकी चर्चा हम यहां सदन में करें। आज की मुख्य मंत्री के लिये कोई कहता है कि वह चन्द्रमा हैं, कोई

[श्री रामलखन शुक्ल]

कुछ कहता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आज की मुख्य मंत्री से पहले जो भी मुख्य मंत्री रहा, क्या उनके जमाने में सामान्य प्रशासन पर आपने कुछ और प्रकार के भाषण किये। क्या आपने उनको काबिल बताया, उनके प्रशासन को आपने सफल बताया? आप तो सदैव ही वही रटी रटाई शब्दावली को हमेशा कहा करते हैं, जो भी मुख्य मंत्री होगा आप यही कहेंगे कि वह इन-इफिशियेन्ट है, अयोग्य है। जो शब्द आपको याद होंगे वही आप कहेंगे। कभी कोई रचनात्मक सुझाव आपके पास न है, न आप देंगे। मैं आपसे गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज की मुख्य मंत्री को जो अच्छी तरह से जानता है, जो उनके चरित्र को जानता है, जो उनके राजनीतिक जीवन को जताना है, वही उनको अच्छी तरह से समझ सकता है। जिस राजनीति की आप चर्चा करते हैं, उस रोशनी में उनका राजनीतिक जीवन नहीं पनपा है। उनका अपना निजी अनुभव है, उनका राजनीतिक जीवन एक आदर्श जीवन है। जिस नीतिक जीवन में उन्हें काम करने की आदत है उसी में वह सफलतापूर्वक अपना काम कर रही हैं। आप अगर ठंढे दिल से विचार करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो निश्चित ही आप भी मेरी राय के होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, कल भी और आज भी सामान्य प्रशासन की बहस के समय भ्रष्टाचार की बात इस सदन में बहुत कही गई है। बात अपनी जगह पर सही मालूम पड़ती है। पुलिस के अनुदान के समय भी मैंने इस बात को अच्छी तरह से कहा था। अंग्रेजी राज्य के जाने के बाद पिछले १७, १८ वर्ष में जो प्रजातंत्र का जीवन बीत रहा है उसमें सारे ढांचे में कुछ जबरदस्त बुनियादी खराबी है। गांधी ने कहा कि प्रजातंत्र की सरकार वर्स्ट है लेकिन इससे अच्छी भी कोई नहीं होती है। इसलिये सबसे खराब होकर भी अच्छी मानकर हमने उसे अपनाया है। मैंने दुनिया के देशों का इतिहास पढ़ा है। सारी दुनिया में प्रजातंत्र टूट रहा है। मुसलमानी मुल्कों में तो कोई सवाल नहीं रह जाता कि किस समय मिलीटरी रिवोल्ट हो जाय। कम्युनिस्टों का कोई सवाल नहीं है, वे कहीं भी रिपोर्ट करा सकते हैं। हिन्दुस्तान ही एक मुल्क है जो प्रजातांत्रिक ढांचे को चाहे गलत या सही तरीके से—अपनाये हुये है। प्रजातांत्रिक ढांचे में प्रशासन निष्पक्ष रूप से नहीं चल सकता है चाहे परमात्मा ही आकर क्यों न बैठ जाय। प्रजातंत्र में मतदाता के आधार पर व्यक्ति चुनकर आता है। प्रत्येक मतदाता की ख्वाहिशों को सभी माननीय सदस्य जानते है। परन्तु शासन में जब बुराई ज्यादा हो जाती है तो उसकी भारी आलोचना होने लगती है। अगर उसका दायरा सीमित रहता है तो आलोचना में कमी होने लगती है। जो हमारा मन और आत्मा सोचती है वह सब बात हम यहां कहते हैं। किसी के कहने से नहीं या किसी की वाह वाह के लिये नहीं और न कोई बड़ा भारी क्रान्तिकारी पाठ पढ़ाने के लिये। हम ४३१ विधान सभा के सदस्य हैं। सरकारी पार्टी यहां सरकार चलाती है। विरोधी पक्ष के लोग ५, ७ पार्टियों में बंटे हुये हैं। ८।। करोड़ जनता और नौकरशाही का चरित्र आदरणीय विधान सभा के सदस्य और मंत्रियों के चरित्र से जुड़ा हुआ है। विधान परिषद और राज्य सभा के चुनाव यहां से होते हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब जिले का कलेक्टर कहता है कि अबकी बार किन-किन पार्टियों के वोट बिक गये या अबकी बार कौन पूंजीपति मैदान में आ गया। क्या इस तरह से नौकरशाही ठीक चलेगी? इससे प्रशासन नौकरशाही ठीक चलेगी? इस से प्रशासन ठीक नहीं चल सकता है। गांधी जी ने कहा कि जो कुछ मुंह से कहो उसे करो और तब एक सही नकशा उसमें से निकलता है। लोग पूरी पार्टी को बेच देते है। मेरा तो प्रजातंत्र के ढांचे से कभी-कभी मन ऊब जाता है, लेकिन मैं यह सोचता हूं कि इससे अच्छी कोई दूसरी पद्धति नहीं है, इसलिये इसको अपनाता हूं। जिसका एक भी एक्सट्रा वोट बचेगा वह सारी पार्टी बेच देगी। जो समाजवाद में रोडा अटकाना चाहते हैं वे कानपुर के किसी मिल मालिक को लाकर खड़ा कर देंगे। मैं अपने को भी उससे अछूता नहीं रखता हूं।

८।। करोड़ जनता इसकी बाहर भारी भर्त्सना करती है। तो सदाचार और प्रजातंत्र का पाठ कौन किसको पढ़ा सकता है ?

इसमें सरकार क्या करे ? सरकार का यह कर्त्तव्य है कि कम से कम ऐसे नियम और कानून तो बनावे जिससे यह दोष कम हो। लखपतराम जी ने या किसी भाई ने कहा था कि विरोधी पक्ष के और सरकारी पक्ष के लोग भी सिफारिश बहुत कराते हैं। यह बात सही है। लेकिन जब हमारा निजी मामला आकर पड़ता है तो बतलाइये कि कौन किससे कम रह जाता है ? मुझे ऐसा लगता है कि अपने मामले के लिये सब सिफारिश माफ और दूसरे के मामले के लिये दोष हो जाता है।

सामान्य प्रशासन के ढांचें में जो बुनियादी खराबियां हैं वे मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रजातंत्र में सामान्य प्रशासन के ढांचे से एक ओहदा मुझे बिलकुल बेकार मालूम पड़ता है और वह आदरणीय राज्यपाल का ओहदा। मैं माननीय राज्यपाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि हम तो पर्दानशीन औरत हैं कि कर कुछ नहीं कह सकते, देखते सब कुछ हैं। इतना अधिक खर्च उनके ऊपर होता है। इसी प्रकार से कमिश्नर का ओहदा मैं बिलकुल बेकार समझता हूं। कलेक्टर का ओहदा बिलकुल नौकरशाही का द्योतक है। काउन्सिल भी हारे-हुये राजनीतिज्ञों की जगह है। जैसा डाक्टर लोहिया ने कहा, छोटी पार्टियों को जोड़ने के लिये यह ढांचा है। समाजवाद को सरकार को तो कम से कम इसे तोड़ देना चाहये। मेरा सुझाव है कि इस दिशा में सरकार को जरूर चलना चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कलेक्टर के यहां न जाने कितनी ऐडवाइजरी कमेटीज हैं। सन ६२ में जब मैं एम०एल०ए० चुना गया तो कलेक्टर की हर मीटिंग में जाता था। माननीय शुक्ला जी, आप तो विधान सभा के सदस्य हैं, वे बिलकुल बेकार कमेटियां हैं। हर कमेटी का चेयरमैन कलेक्टर होता है, चाहे वह पंच के चुनाव के लिये हो या लोन बांटने के लिये हो। विधान सभा के सदस्यों को उसमें सिवाय पानी पीने के और दस्तखत करने के और कोई अधिकार नहीं है। मेरा खयाल है कि कलेक्टर के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। गांव पंचायत का ढांचा, क्षेत्र समिति का ढांचा और जिला परिषद का ढांचा भी ठीक है। लेकिन जिला परिषद और विधान सभा के बीच में कलेक्टर का ढांचा बिलकुल खराब है और कलेक्टर को जिला परिषद का सेक्रेटरी बना देना चाहिये। इससे शासन विकेन्द्रित हो जायगा। नौकरशाही की तरफ से लोगों का दिमाग बिलकुल हट जायगा। लगान की वसूली भी गांव पंचायत के आधार पर कराइये। गांव पंचायतों में ४ खम्भा राज्य की बात हम लोग बार बार कहते आये हैं। इसमें राममूर्ति जी ने पाचवां खम्भा और जोड़ दिया। अच्छा किया। लेकिन यदि विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के आधार पर काम करें तो काम ठीक से चल सकता है।

यह चुनाव का समय है। सरकार जो काम करती है ५ साल में, विरोध पक्ष को उसका लेखा-जोखा सही ढंग से रखना चाहिये। पार्लियामेंट में अभी आचार्य कृपलानी जी ने भाषण में कहा कि जो सरकार जनता को भूखा मारे, उसके विप्लव को नहीं रोक सके और खाद्यान्न और सामान्य प्रशासन को सही तरीके से नहीं चला सके उसे जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है। विरोध पक्ष की जिम्मेदारी है कि सही बातों से जनता को अवगत करावे। यहां के चीफ सेक्रेटरी को मैं अच्छी तरह से तो नहीं जानता हूं लेकिन सुना है कि अलीगढ़ में वह कलेक्टर थे। अगर मैं उनकी बुराई करूंगा तो मुझे सदन में सर्टीफिकेट मिल जायगा कि बुराई करता हूं और अगर अच्छी बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी की दलाली कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी का दलाल है। बुराई की बात कहूंगा तो लोग कहेंगे कि सरकारी पक्ष की गलत आलोचना करता है। इसलिये मैं इन बातों से बहुत डरता हूं। लेकिन जो सही बात है वह सदन के सामने जरूर आनी चाहिये। चीफ सेक्रेटरी के बारे में वायवेला सारे सदन में कई बार

[श्री राधेश्याम शर्मा]

मच चुका है । सचिवालय में और सचिवालय के कर्मचारियों में उनके विरुद्ध काफी विरोधी भावनायें है । जब मैंने सुना कि उन्होंने एक बड़ा भारी फार्म बना लिया है तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई । मैंने धृष्टता की कि एक बड़े आफीसर से उस बारे में पूछ लिया कि कितना बड़ा फार्म है । और भी उसकी छानबीन की तो मालूम हुआ कि वह फार्म ८ एकड़ का है जो ४० बीघा होता है, एक अलाभकर जोत जिसका हम लगान माफ करने की बात कहते हैं । एकबात है कि सरकारी पक्ष तो कुछ गलत काम करता भी है, विरोधी पक्ष में भी एक बड़ी भारी गलत बात यह है कि वह उस गलती की सही सही जानकारी नहीं करता है, जो जनतंत्र में नहीं होना चाहिये । यह तो दुनिया जानती है कि इस सरकार के जमाने में बेकारी, बेईमानी, रिश्वतखोरी बढ़ी है । यह सरकार उसको दूर नहीं कर पायी है, लेकिन इस जनतंत्र के ढांचे में विरोधी पक्ष का भी यह कर्त्तव्य है कि वह सही बातों की जानकारी करके एक एक बात को पकड़ कर सामने रखे । हो सकता है कि सरकार उनको न माने, लेकिन जनता उसका स्वागत करेगी और मेरा पूरा विश्वास है कि जनता उसका मुआवजा विरोधी पक्ष को देगी ।

अन्त में मैं विरोधी पक्ष से कहता हूं कि उसको इस सरकार के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिये और किसी न किसी प्रकार से इस सरकार को यहां से हटाना चाहिये । उससे ही हमारी सारी समस्यायें हल हो सकती हैं ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राधेश्याम जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हमारे बहुत से विरोधी दल के भाई बिना तथ्यों को जाने ऐसी बातें कह देते हैं जो सही नहीं होतीं और इस वजह से बहुत ही गलतफहमियां हो जाती हैं । कभी तो तिल का ताड़ बना दिया जाता है और कभी ताड़ का तिल बना दिया जाता है । बहुत से साथियों ने पुलिस के बारे में बहुत सी बुराइयां कीं । लेकिन जैसा कि पालीवाल जी ने कहा, हमारी पी० ए० सी० बहुत से सूबों में गयी और उन लोगों ने इसको बहुत पसन्द किया । १९६४ के साम्प्रदायिक दंगों के समय में मैं कलकत्ते में था । जब हमारे सूबे की पुलिस वहां गयी तो उसने वहां जाकर शांति स्थापित की । बाम्बे में जब महाराष्ट्र आंदोलन चल रहा था उस समय भी यू० पी० की पुलिस ने वहां जाकर शांति स्थापित की । आज भी बंगाल और पंजाब में हमारे यहां की पुलिस ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है । लेकिन हमारे प्रदेश की पुलिस की यहां पर बुराई की जाती है, उसके जो अच्छे काम है उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जाता । इसलिये मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जब वे भ्रष्टाचार, पार्टी बंदी, नौकरशाही की बातें करते हैं उनको सरकार की अच्छाइयों के बारे में भी कहना चाहिये । जहां त्रुटियां हों वह भी कहें, लेकिन अच्छाइयों को भी उनको सामने लाना चाहिये और उनकी प्रशंसा करनी चाहिये । मान्यवर, यह बात सही है कि जो हमारा प्रशासन है उसमें त्रुटियां हैं, बहुत से अधिकारियों में भी खराबियां हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अधिकारी खराब हैं, उनमें कोई अच्छाई नहीं है । ऐसा कहना गलत बात है ।

(इस समय २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए ।)

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने कुंभ के मेले में, जो कदाचित् संसार का सबसे बड़ा मेला था, उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था की कि देश के लोगों ने ही उसकी तारीफ नहीं की बल्कि विदेश के लोगों ने भी उसकी तारीफ की । मान्यवर, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । ब्लाकों में आजकल बी० डी० ओ० के बाद ए० डी० ओज० की भरमार है, ८ या ९ ए० डी० ओ० हैं, कृषि के, सहकारिता के, पंचायत के, महिलाओं के, यानी ८ या ९ तरह के हैं और उनका वहां कोई भी ठोस काम नहीं है । उनको काम केवल इतना है कि ग्रामसेवकों से रिपोर्ट लेकर वह बी० डी० ओ० को भेजा करते हैं और वह उसको

ऊपर भेज देते हैं। मेरा सुझाव है कि ब्लाकों में केवल १ ए० डी० ओ० रखा जाय और उस के ऊपर एक बी० डी० ओ० रहे और बाकी यह सारे पद समाप्त किये जांय। इतने सारे अफसरों के कारण काम में और देरी होती है, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि कृषि उत्पादन कमिश्नर के पास इतना अधिक काम है कि वह देख नहीं सकते। चाहे कृषि का विभाग हो, शिक्षा का हो या सहकारिता का हो, वह केवल फाइलों पर दस्तखत करने का काम ही कर पाते हैं या मीटिंग वगैरा अटेंड कर पाते हैं। कोई अन्य काम करने का उन के पास समय नहीं रहता। उन पर काम अधिक है इस को देखते हुये ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे उस पर काम का भार कम हो जाय। और वह केवल दस्तखत करने के ही कमिश्नर नहीं रह जायेंगे।

इसके अलावा मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि हरिजनों के उद्धार के बारे में यह सरकार बहुत सोचा करती है और जब इस प्रदेश में पंत जी थे तो उन्होंने हरिजनों का रिजर्वेशन १० प्रतिशत से बढ़ाकर १८ प्रतिशत कर दिया था। डा० सम्पूर्णानन्द जी ने भी जब देखा कि वह पूरा नहीं हो रहा है तो उन्होंने इस काम के लिये एक राधाकृष्ण कमेटी की स्थापना की कि किसी तरह से यह पूरा हो। जब माननीय चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री हुये तो उन्होंने कहा कि पबलिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन मेम्बर रखा जायगा। मैं चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी ने जो आश्वासन दिया था उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी आज यहां स्पष्ट घोषणा करें कि पबलिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन मेम्बर रखा जायगा जिससे कि हरिजनों का प्रतिशत और उनकी जायज मांगें पूरी हो सकें, बहुत से नाम भी उनको सुझाये गये और इस तरह के लोग उन्हें मिल सकते हैं।

यहां हिन्दी के विषय में भी बहुत सी बातें कही गईं। मैं कहूंगा कि दूसरी जगह की बात तो जाने दीजिये कलक्टर, एस० पी०, इंजीनियर, या तहसीलदार के यहां से जिला स्तर पर जो आदेश जाते हैं हमारे यहां या आम जनता के पास वे भी अंग्रेजी में ही आज भी जाते हैं। उन का कहना है कि हमारे पास अंग्रेजी के ही टाइपराइटर हैं, हिन्दी के नहीं हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जिला स्तर पर सारे आदेश केवल हिन्दी में ही जांय जिससे कि लोगों को सहूलियत हो। शिकायतों की जांच के बारे में मैं एक सुझाव और दूंगा कि जिस विभाग की शिकायत होती है उसकी जांच उसी विभाग के ऊपर के अधिकारी करते हैं और कभी कभी तो जिस अधिकारी या कर्मचारी की शिकायत होती है उसके पास ही वह शिकायत पहुंच जाती है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर उस विभाग के द्वारा जांच न करा के अन्य विभाग के अधिकारियों से कराई जाय, लेखपालों की जांच कानूनगो से न कराई जाय क्योंकि उन के आपस में कुछ संबंध होते हैं और उनकी गलती भी होती है तो कानूनगो जांच उनके पक्ष में ही करते हैं और बहुत ही कम शिकायतों पर कोई नतीजा निकल पाता है। इसलिये यह अच्छा हो कि एक विभाग की जांच दूसरे विभाग के अधिकारियों से कराई जाय। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा।

एक बात मैं "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के बारे में कहना चाहता हूं। यहां बहुत शोर मचाया जाता है कि पानी का प्रबन्ध होना चाहिये, खाद का प्रबन्ध होना चाहिये लेकिन, मान्यवर, जब तक भूमि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, प्रदेश और देश में अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में जो काश्तकार हैं, वे लोग अपने आप खेती करते हैं, सचमुच में वे खेती नहीं करते हैं। खेती करने वाले तो दूसरे लोग ही होते हैं। वे तो केवल मजदूर होते हैं। इसलिये उसका कोई इन्टैरेस्ट नहीं होता है कि पैदावार बढ़े अथवा कम हो। उनका विचार होता है कि हमें तो एक निश्चित मजदूरी मिलनी है और वही मिलेगी। अतः मेरी प्रार्थना है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जो उस जमीन में हल चलाये उसे जमीन का कुछ हिस्सा मिले। तभी उन खेतों की पैदावार बढ़ सकेगी।

[श्री माताप्रसाद]

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि ब्लाकों में जो जीपें हैं, उनके विषय में यहां पर बार बार कहा जाता है कि वे गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की हैं, इसलिये हम उन्हें नहीं ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि ब्लाकों में बी० डी० ओ० को अगर साइकिलें दे दी जांय, तो वहां पर जो स्टाफ का आपस में झगड़ा होता है जीपों की वजह से, वह भी समाप्त हो जायगा। इन जीपों को उनसे लेकर एस० डी० ओ० और जो आपके तहसीलदार हैं, उनको दे दी जांय। इससे इनका जो दुरुपयोग होता है वह भी बन्द हो जायगा और उन लोगों के काम में भी प्रगति हो जायगी। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि जब जीपें खराब हो जाती हैं तो इनकी मरम्मत कराने के लिये १०० या १५० मील के फासले पर लखनऊ या इलाहाबाद में ले जाया जाता है। यदि इस काम के लिये प्रत्येक जिले में एक एक छोटी वर्कशाप हो जाय तो जो व्यर्थ में पैट्रोल के लिये खर्चा होता है वह भी बच जाय। इससे जिलों में लोगों को कुछ काम भी मिलेगा और जो झूठे वाउचर इसकी मरम्मत के लिये बनते हैं, वे भी बन्द हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी मुश्किल यह है कि इस हाउस में बोलते हुए हमें ३–४ साल हो गये, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। वह मिसाल कि अन्धे के आगे रोइये और अपने नैन खोइये, यहां पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। यहां पर बोलने से, सरकार की आलोचना करने से और अपने सुझाव देने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि जब से मंत्री लोग मंत्री पद से हटे हैं तब से लुटिया ही डूब गयी है। उनकी आलोचना के सामने हमारी आलोचना की सुनवायी ही नहीं होती है। दूसरे, हम आलोचना इसलिये भी नहीं करते, जैसा कि उधर के माननीय सदस्य कह देते हैं, कि इलैक्शन लड़ना है। इलैक्शन तो हमें, आपको, हर एक को लड़ना है। हारेंगे भी और जीतेंगे भी। अगर आप डरते हैं तो इस पर अमल करें, डैमोक्रेसी को समाप्त करें। इलैक्शन तो जरूर लड़ेंगे। १८ वर्षों में हमारा सामान्य प्रशासन ठीक हुआ है या अपनी हातल से गिरा है, इसको बारीकी से देखने की ओर किसी आडिट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से सामान्य प्रशासन में भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी कम हुयी है या बढ़ी है? सामान्य कर्मचारियों ने जनता के अन्दर अपना विश्वास खोया है या बनाया है?

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारी डैमोक्रेसी, जिसकी कि हम रोज दुहाई देते हैं, वह इन १८ सालों में पनपी है या कमजोर हुयी है, करप्शन हमारे प्रदेश में कम हुआ अथवा नहीं? एक साधारण सी बात है कि आपका एक हैल्थ विभाग है। हमारे यहां पर एक सिविल सर्जन हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि जो झूठे सर्टिफिकेट देकर १६ रुपये लेते हैं। इस भ्रष्टाचार को अगर आप नहीं मिटा सकते तो मुझे कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे यहां जो सिविल सर्जन हैं, उनको आप देखें। मैं पूरे हाउस को इनवाइट करता हूं कि चल कर देखें एक अमीर आदमी ने एक गरीब जुलाहे के मकान पर जा कर आक्रमण किया, गोली चली, गोली से दीवार छलनी हो गई, लेकिन सिविल सर्जन ने गोली की जगह भाला लिख दिया। जज साहब के यहां मुकदमा गया उन्होंने फैसले में उसके खिलाफ लिखा। कारगुजारी सिविल सर्जन साहब की और जज साहब का फैसला। सब कुछ हमने हैल्थ मिनिस्टर को दिया। अब मैं पूछता हूं कि यह सामान्य प्रशासन की खूबी है या भ्रष्टाचार है। उस सिविल सर्जन के खिलाफ इनक्वायरी होनी चाहिये, इस में झगड़े की क्या बात है? आप उसको एक दम न निकाल दें, लेकिन सस्पेंड तो कर सकते थे। लेकिन वह सज्जन अभी भी विराजमान हैं और आप कहते हैं कि सामान्य प्रशासन बहुत ही उम्दा है।

पश्चिमी जिलों के बारे में चैलेंज करता हूं और हर व्यक्ति से कहता हूं कि आप एस० डी० ओ० के कोर्ट में जाइये और देखिये कि कितने प्रधान उस के सर्किल में ऐसे बचे हैं जिन को हाकिम

परगना ने २–३ महीने अपने कोर्ट में नहीं रखा। एक दरख्वास्त आयी और हाकिम परगना ने प्रधान के कागज मंगा लिये। शादी में दूध पहुंचाइये, रुपया दीजिये तब काम बनता है। हमारे यहां के हाकिम परगना ने एक प्रधान को दो साल संस्पेंड रखा। हमने सवाल किया। माननीय राममूर्ति ने कहा कि हम मिसिल मंगायेंगे और ऐक्शन लेंगे। लेकिन ऐक्शन कुछ नहीं हुआ, हां तबादला जरूर कर दिया। मैं कहता हूं कि सामान्य प्रशासन की बागडोर बिल्कुल हाथ से छूटती चली जा रही है। डेमोक्रेसी को मार रहे हैं। वहीं की बात आप को बताऊं। माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया जय जवान, जय किसान। इस सामान्य प्रशासन ने उस नारे को इस तरह से कुचला इसी हाउस में यहीं पर, कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। एक फौजी आता है वह जवान है, उसका भाई किसान उसके साथ आता है वह किसान है। जय जवान जय किसान यहां आते हैं, बिजली का कनेक्शन लेने। माननीय मुख्य मंत्री ने लिख दिया कि इसको कनेक्शन दे दिया जाय। सरकार साहब ने उसको रद्द कर दिया। मैंने मुख्य मंत्री से कहा कि यह कनेक्शन जो उन्होंने रद्द किया है, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं, सैकड़ों मेरे क्षेत्र में एक एक फर्लांग पर, कनेक्शन मंजूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि लिख कर दीजिये। मैंने लिख कर दे दिया। आज तक उस पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि उस आर्डर को कैंसिल करने के बाद आज भी पिछले महीने एक एक फर्लांग पर कनेक्शन दिये गये। ५० रु० में कनेक्शन मिल सकता है। लेकिन मुख्य मंत्री के आर्डर से नहीं मिल सकता है। माननीय मुख्य मंत्री इसकी जांच करायें। सरकार साहब को इतनी जिद हो गई है कि उस के बाद वालों को तो कनेक्शन मिले, लेकिन उस बेचारे को नहीं मिला। वह बेचारा जय जवान जय किसान आज भी आप की गैलरी में हैट लगाये लैफ्ट राइट कर रहा है। जो आदमी अपनी जान पर खेल कर देश की रक्षा करे उसे आप कनेक्शन नहीं दे सकते और ५० रु० की रिश्वत दे कर कनेक्शन मिल सकता है। यही आपका प्रशासन है? मैं कहता हूं प्रशासन बिल्कुल आप के हाथ से निकल गया।

कल माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा कि पाकिस्तान के हमले के वक्त हमारे प्रदेश का प्रशासन बहुत अच्छा रहा। मैं कहता हूं कि यह प्रशासन की खूबी नहीं थी बल्कि जो चोर और डकैत भी थे, तथा जनता ने संयम से काम लिया। आप ने कुछ नहीं किया। आप के प्रशासन की एक मिसाल है। पाकिस्तान से लड़ाई के समय प्रदेश में कुछ छतरीबाज उतरे, मेरठ में उतर गये, तो क्या उनकी आपने सजा दी जिन्होंने झूठा प्रचार किया?

म्युनिसिपैलिटीज को देखिये। अदम एतमाद का प्रस्ताव आता है तो चुनाव कराइये। लेकिन उन म्युनिसिपैलिटीज में चुनाव नहीं होता। चेयरमैन हट गया लेकिन यह प्रशासन मिसिल दबाये रहता है। फेवर का चेयरमैन है, वह हट गया तो उसे सुपरसीड करेंगे। अगर उनके फेवर का नहीं है तो उठा कर इलेक्शन करा देंगे। किसी भी विभाग की हालत आज अच्छी नहीं है। मुकदमा फंस गया तो ९ साल नहीं निबट पायेगा। सबसे बड़ी चोट यह सामान्य प्रशासन कर रहा है कि रिएक्शनरीज की परवरिश कर रहा है। राजा महाराजा जिन्होंने देशभक्तों को कुचला था वह कलेक्टर के यहां जाते हैं तो उनको फौरन सुना जाता है लेकिन अगर कोई जन प्रतिनिधि जिलाधीश या कप्तान के यहां जाता है तो एक एक घंटे टहला करते हैं। हाइडल का इंजीनियर हमारे यहां एम० एल० ए० से कहता है गेट आउट। आपका सामान्य प्रशासन आज गरीबों पर चोट कर रहा है और दौलतमन्दों के इशारे पर नाच रहा है। अगर यही सामान्य प्रशासन रहा और यही आपके इन कर्मकारियों का रवैया रहा तो आपको उधर से इधर ला पटकेंगे और आप इन जगहों पर विराजमान होंगे। इस देश का कल्याण तभी हो सकता है जब हर दल और कांग्रेस पार्टी यह देखे कि सामान्य प्रशासन से झूठ, बुराई, भ्रष्टाचार दूर हो।

अपने जिले में एक ही पुलिस कप्तान हमको अपनी जिन्दगी में अच्छा देखने को मिला। सभी दल के लोग चाहते थे कि वह यहीं रह जाय, लेकिन दो साल में हटा दिया गया। मुझ

[श्री विजयपाल सिंह]

से कहा गया कि चलो सिफारिश में। मैंने कहा मेरी कौन सुनेगा। मैं उसे अच्छा समझता हूं, अच्छा है लेकिन हालत यह है कि जितने ईमानदार कर्मचारी हैं वे सूखी लकड़ी की तरह से दरिया में इधर से उधर बह रहे हैं और जिनके सोर्सेज हैं, जो बेईमान हैं वे कुर्सी पर बैठे हैं और आज शासन वे कर रहे हैं, मिनिस्टर महोदय शासन नहीं कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द्र शास्त्री (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन का जो अनुमान रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारी अपनी सम्मति यह है कि यदि किसी देश या प्रदेश का सामान्य प्रशासन सुचारु रूप से चलता उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है वह हम तभी कह सकते हैं कि उससे संबंध रखने वाली बातें, व्यापार, उद्योग धंधे अथवा अन्य चीजें जो हैं वे सब की सब ठीक चल रही हैं। इसलिये यह कह देना कि सामान्य प्रशासन वास्तव में व्यापार, उद्योग धंधों की रीढ़ की हड्डी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जो पुस्तिका सामान्य प्रशासन के संबंध में बटी है उसको देख कर प्रत्येक माननीय सदस्य यह अनुभव करेगा कि इस समय हमारी सरकार ने हर दिशा में प्रगति की है चाहे वह उद्योग की बात हो अथवा कोई और बात हो। मुझे कल आश्चर्य हुआ जब कल एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि इस प्रदेश में जो शान्ति रही है उसका श्रेय सरकार को नहीं है बल्कि पब्लिक को है। केवल पब्लिक की गुडविल की वजह से शान्ति रही है। यह अजीब बात है। आखिर यह सोचने की बात है कि पब्लिक में गुडविल किस वजह से रही। अगर गवर्नमेन्ट के प्रशासन में खराबी है, कहीं असंतोष है कि सरकार से नाराजगी है तो पब्लिक में गुडविल रह कैसे सकेगी? पब्लिक की गुड-विल तभी रह सकती है जब वह समझ जाय कि प्रदेश में सब ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की ७ करोड़ ३७ लाख जनता नाराज हो जावे तो शासन में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी फौज या पुलिस हो, उसके जरिये शान्ति नहीं कायम की जा सकती इसलिये पब्लिक गुड विलका सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह है शासन की कार्य कुशलता। एक बात और है। अक्सर लोग इधर के और उधर के भी शिकायत किया करते हैं कि बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, आफिशियलडम हो रहा है, आफिसर्स जो चाहते हैं करते हैं, लेकिन एक बात हमें नहीं भूल जाना चाहिये कि हम इस हाउस में केवल कायदे कानून और नियम बनाने के लिये बैठते हैं और हमारा अधिकार यह बिलकुल नहीं है कि किसी तरह से भी हम शासन के कामों में हस्तक्षेप करें। तो चाहे आप उनकी आफिसरी कहें, चाहे आफिशियलडम कहें, वह उनको करना ही है। अगर उनमें कोई त्रुटि है तो उस तरफ हमारा जो मंत्रिमंडल है, उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करे। जितने माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं, इस पर आफिसर्स भी अपने मन में इस बात को सोचते होंगे कि इस हाउस का एक पक्ष तो इस बात को मानता है कि हम इस सरकार पर हुकूमत करते हैं, हम पर दूसरे हुकूमत नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर इस बात का प्रचार किया जावे तो यह प्रजातंत्र के लिये कोई अच्छी बात नहीं है कि प्रदेश का शासन खोखला हो गया है और हमारा मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहे हैं वह आफिसर्स ही कर रहे हैं और यहां पर आफिशियलडम फैला हुआ है।

एक चीज और है। भ्रष्टाचार की बहुत शिकायत है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से अपने माननीय सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार है, यह ठीक है लकिन जितदा बढ़ा चढ़ा कर कर कहा जाता है, यकीनन उससे कम भ्रष्टाचार है। आप शिकायतें सुनें और कियतें सुन कर उनको नोट करें और फिर उनकी जांच पड़ताल करें तो निश्चित रूप से आपको मालूम हो जायगा कि १०० प्रतिशत अगर शिकायत है जांच पड़ताल के बाद २५ प्रतिशत भी शिकायत सही नहीं निकलेगी। बात क्या है, मैं अपने अनुभव की बात जानता हूं कि एक पार्टी जो मुकदमे में हार गयी, मिलने पर उसने कहा कि मैं तो मुकदमे में, शास्त्री जी इसलिये हार गया क्योंकि दूसरी पार्टी ने रिश्वत दे दी। तब मैंने हंस कर उससे कहा कि भाई, जब तुम मेरे

पास सिफारिश लेकर आ सकते हो तो तुमको भी वहां रिश्वत देने में क्या दिक्कत है। लोगों ने एक तरह से यह धारणा बना ली है कि अगर वह मुकदमा हार गया तो वह यही समझता है कि चूंकि दूसरी पार्टी ने रिश्वत दे दी इसलिये हम हार गये। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अगर वे कितना भी नाजायज काम करते हों उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनका काम कोई नहीं होता तो यही कहते हैं कि रिश्वतखोरी की वजह से हमारा काम नहीं हुआ है।

एक चीज और चीफ सेक्रेटरी के मुताल्लिक कही गयी कि वे अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर चीफ सेक्रेटरी या मंत्रिमंडल, सेक्रेटेरियट में एक ऐसी टीम इकट्ठा करता है जो मिल कर काम करे, तो चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर क्या गलती कर रहे हैं। आखिरकार काम करने वाले तो वे ही लोग हैं। यह जरूरी बात है कि यहां पर एक ऐसी टीम हो जो मिल कर काम कर सके।

अन्त में म केवल एक बात कहना चाहूंगा। बात बड़ी देहाती है। जब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ उन दिनों जब मैं गांव गया तो लोग कहने लगे कि शास्त्री जी औरत कैसे हुकूमत कर सकती है, औरत के बश की बात हुकूमत करने की नहीं है। मैंने उन लोगों को समझाया कि वे बहुत अच्छी हुकूमत करेंगी आप लोग इत्मीनान रखें। आज वे ही लोग यह कहते हैं कि हमारी गलतफहमी दूर हो गयी, सचमुच ऐसा लगता है कि औरतें तो कमाल कर सकती हैं।

एक बात अन्त में आपसे मैं और कहूंगा। सामान्य प्रशासन में खराबी है, यह बात मैं मानता हूं। गवर्नमेंट कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकती। परिपूर्ण तो केवल ईश्वर ही होता है। लेकिन उसकी जो अच्छाइयां हैं उनको सामने रख कर अगर हम चलेंगे तो सचमुच जो मैनेजर सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, कल मैं उनके भाषण से समझ रहा था कि उनके पास कोई ठोस बात नहीं थी, बार बार कह रहे थे कि सामान्य प्रशासन चौपट हो गया। शायद दिल से नहीं चाहते थे लेकिन शायद हुक्म हुआ है इसलिये कह रहे थे। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मैनेजरसिंह से प्रार्थना करूंगा कि अपना कटमोशन वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन, अपनी बात कहने से पहले माननीय बैजनाथ सिंह जी ने जो आज एक दावत दी है विरोधी दल के सदस्यों को कि सब बैलगाड़ी पर सवार हो कर उधर चले जायं, लेकिन बैजनाथ सिंह जी कृपा करके जो लोग उधर जा चुके हैं उनको फुटबाल बनने से बचायें। कभी बेचारे इधर से धक्का खाते हैं कभी उधर से।

१५ अगस्त, १९४७ को अंग्रेज देश छोड़ कर गया। आज भी उसकी यादगार हर साल मनाते हैं। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेज गया, अंग्रेज से पहले इस देश के ऊपर जो हिन्दू राज्य था उनका एक तरीका था, उसके बाद मुसलमानों का राज्य हुआ। उन्होंने हिन्दू राज्य को बदल कर अपना तरीका अपनाया। उसके बाद अंग्रेज ने अपना ढांचा बनाया। बड़े बड़े जमींदारों और बड़े बड़े लोगों को बुला कर दावत दी, किसी को तहसीलदार किसी को डिप्टी और किसी को कलेक्टर बनाया। अंग्रेजों के जाने के बाद यहां, डेमोक्रेसी कायम हुई, गवर्नमेंट आफ दि पीपुल, फार दि पीपुल, बाई दी पीपुल। क्या उस अंग्रेज के बनाये हुये ढांचे के अन्दर डेमोक्रेसी को चला सकेंगे? डेमोक्रेसी के अन्दर हमने जो डिसेंट्रेलाइजेशन का सिद्धान्त माना है उसको अगर देखा जाय तो क्या हालत है? प्रधान पर सेक्रेटरी हावी है, जो हुक्म दे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

सेक्रेटरी उसको मानने के लिये प्रधान मजबूर हैं । प्रमुख पर बी० डी० ओ० हावी हैं, और जिला परिषद के अध्यक्ष पर डी० पी० ओ० हावी हैं । उसी तरीके से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि सेक्रेटेरियट के अन्दर हर मिनस्टर पर सेक्रेटरी हावी है और चीफ मिनिस्टर पर चीफ सेक्रेटरी हावी हैं । मैं यह अफसोस के साथ कह रहा हूं । आप कैबिनेट के अन्दर बैठ कर फैसला करती हैं कि कोई भी अफसर किसी भी जिले में तीन साल से ज्यादा नहीं रहेगा । क्या नतीजा हुआ ? बुलन्दशहर जिले में २१ अफसर ऐसे हैं, यह फेहरिस्ट मेरे पास हैं । जो तीन साल से ज्यादा से हैं । खाली मुरादाबाद जिले में २५ अफसर ऐसे हैं जिनको तीन साल से ज्यादा हो गये। तबादला हुआ और कैंसिल हुआ । मिसाल के तौर पर बताऊं । हमारे मुरादाबाद जिले में सम्भल के एस० डी० एम० जो वहां तहसीलदार भी रहे लोगों ने शिकायतें कीं, वहां के कलेक्टर को जो आज कल कमिश्नर हैं, श्री बी० पी० सेठ, उन्होंने एंट्री भी दी जो ट्रांस्फर कैंसिल करवाया ।

"Censured for undersirable approach to the Maal Mantri, U. P., in connection with his transfer from this district which caused embararrasment to the Maal Mantri, *vide* B.O. no. 1671!3TNT, dated March 18, 1958."

यह बैड एन्ट्री दी गयी और उन्हीं एस० डी० एम० राज का जब वहां से तबादला हुआ और दूसरे एस० डी० एम० आजमगढ़ से मय अपने सामान के पहुंच गये....

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य--

यह एन्ट्री आपको कहां से प्राप्त हुई ?

श्री रियासत हुसैन--

यह पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है । पार्लियामेंट में इसके बारे में रूलिंग हो चुकी है । लेकिन यह ट्रांस्फर आदेश अमल में नहीं आये । पहले उनका ट्रांसफर पोस्टपोन हुआ और फिर उनका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया । इसी तरह की हर जिले के अन्दर आपको अनेक मिसालें मिलेंगी । दूसरी तरफ हमारे जिले में मुरादाबाद के एक दूसरे एस० डी० एम० श्री केशवदेव जी थे उनका भी ट्रांसफर हुआ । लेकिन उनका ट्रांसफर तीन साल का समय होने के पूर्व ही ढाई साल की सर्विस में जून के महीने में किया गया जब कि उनको दिसम्बर मास में ३ साल पूरे हो रहे थे। उनसे कहा गया कि दिसम्बर में आपको तीन साल पूरे होंगे और उस समय आपका ट्रांसफर होने से आपको अपने बच्चों आदि के नाम लिखाने में दिक्कत होगी, इसलिये जून में ही चले जाइये । वह अफसर बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था, गांव-गांव में घूमकर देखता था, भूमि संबंध रिकार्डों की स्पाट चेकिंग करता था और उनकी गलतियां सुधारता था, उसने जनता का बड़ा हित किया । मुझे जहां तक मालूम है उसके लिये तहसील के प्रधानों का एक डेपुटेशन भी मिला कि उनका ट्रांसफर न कियाजाय, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हुई और उनको लाद दिया गया । अब वजह उसकी क्या है ? इसका कारण यह है कि हमने सन् ४७ के अन्दर अंग्रेज को जरूर हटाया, लेकिन अफसरों के अन्दर जो सायकालोजीकल चीज बैठी हुई है, उसे हम दूर नहीं कर सके । इसलिये मेरा सुझाव है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे साइकालोजी को खत्म करने के लिये प्रयास किया जाये और ऐसे अफसरों को खत्म कर दिया जाय, ताकि उनके दिमाग में यह चीज पैदा हो कि हम जनता के अफसर नहीं, स्वामी नहीं बल्कि सेवक हैं ।

होता क्या है ? आज यहां तक नौबत बहुंच गयी है कि असेम्बली के अन्दर हम लोग सवाल पूछते हैं और पार्लियामेंट के अन्दर रूलिंग हो चुकी कि कोई हमसे नहीं पूछेगा कि आपको इन्फार्मेशन कहां से मिली है । हमारे पास हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र और पूरे प्रदेश की पीड़ित जनता सूचना भेजती है । सीतापुर के एक पतरौल-राज्य कर्मचारी पर अधिकारियों द्वारा की गयी ज्यादती के बारे में मैंने यहां पर सवाल पूछा । उसके लिये असेम्बली में डेट फिक्स हुई ६ अप्रैल, १९६५, लेकिन उत्तर मिलने के पूर्व ही, दिनांक १५ मार्च, १९६५ उस अधिकारी ने उस बेचारे से जवाब तलब कर लिया कि आपने रियासत हुसैन सदस्य के जरिये असेम्बली में

प्रश्न क्यों कराया और जवाब तबल करने के साथ उसको रियासत हुसैन जी द्वारा दिये गये प्रश्न की कापी भी भेजी गयी। वह कापी मेरे पास यहां पर मौजूद है आप लोग देख सकते हैं। अब यह बेचारा मालूम नहीं सर्विस में है या नहीं। यह हालत हो गयी है आपकी डेमोक्रेसी की।

मैं आपको एक मिनट के अन्दर बताऊं, आप मुझ से सबक लीजिये जरा जरा से मामले ५-५, १०-१० साल तक बिना तय किये हुये पड़े रहते हैं, उससे चाहे कितना ही किसी को नुकसान हो जाये, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। श्री अब्दुल रशीद नाम का एक कांस्टेबिल था, जिसका नम्बर ९१९३ था और जो बाम्बे में २५ साल तक सर्विस कर चुका था पुलिस में। वह मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसकी बीबी ने फंड के लिये सरकार को दरख्वास्त दी, उसकी बेवा बीबी की दरख्वास्त इस सरकार के द्वारा पांच साल के बाद आवश्यक सार्टीफिकेटों के साथ भेजी गयी। सिविल जज ने मई ६३ में सार्टीफिकेट ईसू किये, लेकिन उनकोएतराज लगाकर इस बिना पर वापस कर दिया गया कि यह हिन्दी में है, इन्हें अंग्रेजी में भेजा जाये। उस बेचारी ने प्राईम मिनिस्टर से अपील की और प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं ए० जी० बारबे को लिखा कि इसका पेमेन्ट जल्द होना चाहिये। पुलिस उसके सारे खानदान को बुलाया, सार्टिफीकेट वेरीफाई करने के लिये और उसका नतीजा यह हुआ कि इस समय के दरम्यान उस वेला का बड़ा लड़का मर गया और उसका पेमेन्ट आज तक नहीं हुआ। यह रेड टेपिज्म की बात है।

सन् ६३ में मझोली खास में ग्राम समाज की जमीन के ऊपर झगड़ा चल रहा था और आज भी वह फाइल एस० डी० एम० बेलारी के पास पड़ी है और वह कहते हैं कि यह पेंडिंग रहेगी। हमने कहा कि मैं तो गैरमुताल्लिक आदमी हूं आप इसको फैसला कर दीजिये तो उन्होंने कहा कि करता हूं तो यह नाराज होते हैं और नहीं करता हूं तो वह नाराज होते हैं और इसमें दो फरीक का मामला है, यह ऐसा ही पड़ा रहेगा। वह दो फरीक भी आपकी ही पार्टी के आदमी हैं, विरोधी दल के नहीं हैं और वह बेचारा अधिकारी दो ग्रुपों के झगड़े में टंगा पड़ा है और अब तक सन् ६३ से वह मामला लटका पड़ा है। इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि जितनी जल्दी यह आफिसर का लफ्ज हटा दिया जाय वह अच्छा है।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, अतः मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, मगर मुख्य मंत्री जी से विशेषकर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन जिसके बारे में कल से विवाद हो रहा है उसका एक ताजा उदाहरण है उसकी कार्यक्षमता का यह रिपोर्ट जो अभी मिली है जिसको शायद ही किसी सदस्य ने पढ़ा होगा। यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने इस तरह की कार्यवाही पर खेद प्रकट किया है और यह एक तरह से उनका बड़प्पन है कि वह हर बात के लिये सदन में खेद प्रकट कर देती हैं और जांच भी कराती हैं, मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहां तक खेद प्रकट किया करेंगी। एक उदाहरण मैं गांव का देना चाहता हूं। गांव में एक औरत थी। चक्की खोटने के लिये एक आदमी बाहर से आ गया है। वह पानी भरने उसको चक्की खोटने के लिये सौंप कर चली गयी। वह जब खोट रहा था कि उसे इतने जोर से एक हाथ हथौड़े का दिया कि चक्की टूट गयी। अब वह बहुत घबड़ाया और उठा तो पास में छींका जिस पर दूध दही रखा जाता है, था। वह छींका उसके सिर पर लग गया और दूध दही की हन्डी नीचे गिर गयी। इस डबल नुकसान से वह और घबड़ाया और जैसे ही जल्दी में चला किवाड़ से टकरा गया और वह किवाड़ खराब था, वह भी गिर गया। वह घबड़ा गया और बिना पैसा मांगे बाहर जा रहा था कि बुढ़िया पानी भर कर आ रही थी वह मिल गयी और पुकार कर कहा कि अपना पैसा ले लो तब जाओ। उसने कहा मजदूरी नहीं चाहिये। वह पानी लिये हुये थी, वह उसको रोकना चाहती थी और वह रुकना नहीं चाहता था आखिर इस कशमकश में वह मटका जो सिर पर रखा हुआ था वह भी गिर गया। गिरने बाद के उसने अफसोस जाहिर किया। उसने कहा कि यहां क्या घर पर जब जाओगी तो चक्की टूटी हुई, दही की हांडी फुटी हुई और किवाड़ टूटा हुआ मिलेगा। तुम कहां तक रोओगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

अभी तो घर जाकर देखो। तो इसी तरह से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कहां तक खेद प्रकट करती रहेंगीं। अनेको बात प्रशासन में ऐसी है कि आप कहां तक खेद प्रकट किया करेंगीं। आपसे निवेदन है कि आप खुद सरकारी कर्मचारियों को विशेष रूप से देखिये कि उनकी वजह से जनता में कितना असंतोष है। मैं क्षमा चाहता हू. और कहना चाहता हूं कि कुछ अधिकारियों के गलत कामों की वजह से आज प्रदेश में असन्तोष है। तो कहां तक आप खेद प्रकट किया करेंगीं ?

जनतंत्र और सामान्य प्रशासन पर बड़ी भारी बहस यहां हुई। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कल अध्यादेश का समर्थन करते हुये कहा था कि यह एक संवैधानिक सवाल है। अध्यादेश का अधिकार संविधान में लिखा है। तो माननीय कृष्णानन्द जी संविधान में गवर्नर का शासन भी लिखा है। जब सीमा पार हो जाय और जनतन्त्र न चलता रहे तब तक इस देश में ऐसी स्थिति पैदा होती है। अगर वह अध्यादेश जनतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है तो फिर संवैधानिक जनतन्त्र कैसा होगा ? संविधान में तो गवर्नर का शासन भी लिखा है, मैं कैसे मान लूं कि जनतंत्र चल रहा है। इसको जानने को दो कसौटी होती है। किस प्रकार के अधिनियम बनें एक तो उनको देखा जाय। जितने अधिनियम पास हुये हैं उनकी तादाद में आपको बतलाऊं। सन् १९६० में यहां पर २१ अधिनियम पास हुये। १९६१ में ३४ पास हुये, १९६२ में २७ पास हुये। १९६३ में ३१ अधिनियम पास हुये, १९६४ में २७ अधिनियम पास हुये और १९६५ में २५ अधिनियम पास हुये। हरएक अधिनियम के द्वारा जनता के अधिकारों को लेकर सरकारी कर्मचारियों को दिये गये हैं। चाहे वे पंचायत राज अधिनियम में हो, चाहे वे लगान वसूलयाबी के लिये हों, चाहे जिला परिषद् अधिनियम में हो, चाहे सहकारी समिति के अधिनियम में हों, चाहे म्युनिसिपैलिटी अधिनियम में हों चाहे लेबर अधिनियम में हो चाहे इन्टरमीडियेट अधिनियम में हो, चाहे रेंट कंट्रोल अधिनियम में हो और चाहे चकबन्दी अधिनियम में हों इन सब अधिनियमों के द्वारा जनता की ताकत को लेकर सरकारी कर्मचारियो को दी गई है। क्या यही जनतन्त्र की कसौटी है ?

एक उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से यह जनतन्त्र के लिये सबसे गलत परम्परा है। इस सिलसिले में कल माननीय चरणसिंह जी कह रहे थे कि खेद है कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने बड़े फख्र के साथ कहा कि कांग्रेस अगर हार जायं तो मुझे खुशी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जनतन्त्र के खिलाफ है कि लोग हार जाते हैं उनको ही मन्त्री बना दिया जाता है। जनतन्त्र में यह व्याख्या नहीं आती। दूसरे जनन्तत्र यह में भी नहीं आता कि जो विरोधी दल को छोड़कर इधर आ जाय वह बिना चुनाव के किसी पार्टी के द्वारा मान लिया जाय। यह जनतन्त्र में एक गड़बड़ है। जनतन्त्र की मान्यताओं को अगर फलीभूत करना है तो हमें उन को आगे लाना होगा। यह उदाहरण हमारे यहां हाफिज जी और बाबा राघवदास के चुनाव के समय स्थापित हो चुका है। यह मान्यता आज हमको लानी है। यह मान्यता आज हमको लानी है अगर हममें अपने यहां जनतन्त्र को लाना है। मैं अधिक न कहते हुये यह निवेदन करूंगा कि जनतन्त्र का वास्तवमें एक गंभीर सवाल है जिसकी तरफ सभी सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारा प्रदेश एक बारूद के ढेर पर खड़ा है। इससे दूर नहीं है। जब हमारा प्रदेश बारूद के ढेर पर खड़ा है, जब यहां चीन और पाकिस्तान की लड़ाई से हम अभी गुजर रहें हैं, जब आज देश की ऐसी हालत है। चाहे वह बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो और चाहे वह दूसरी जगह पर हो तो सभी लोग उसमें जिम्मेदार हैं तब हमको यह सोचना पड़ेगा कि जनता में यह जो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से असन्तोष बढ़ रहा है इसकी तरफ ध्यान देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज आया, तो उन्होंने वहां के वकीलों को बुलाया और उनसे सवाल किया कि हमारे समाज के लिये आपकी क्या उपयोगिता है। आज आखिर यह सब राजनीतिक पार्टी के लोग जिसमें हम सब लोग शामिल हैं, इनके लिये आज जनता यह महसूस कर रही है कि अगर जनता में इसी तरह से परेशानी, बेचैनी और टैक्सों का बोझ बढ़ता रहा तो फिर यह राजनीतिक पार्टी के लोग किस मर्ज की दवा हैं और इनका क्या उपयोग है ? सभी आज देश में इस तरह से सोच रहें हैं।

मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूं। यह कालागढ़ बान्ध जहां पर पुलिस द्वारा फायरिंग हुई और जिसके संबंध में कल श्रम मंत्री जी ने सदन में बयान दिया कि कोई इन्क्वायरी नहीं होगी। वहां एक सड़क ५ मील लम्बी बननी थी। १९६१–६२ में उसके लिये ६।। लाख रुपया मन्जूर हुआ, लेकिन इरीगेशन डिपार्टमेंट ने चूंकि उस सड़क को बहुत जल्दी बनाना था, तो उस सड़क के बनाने के लिये पेड़ काटने का ठेका २।। लाख रुपये में दे दिया। वे कीमती पेड़ २।। लाख रुपये में काट डाले गये, लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बनी। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले ६।। लाख के ठेके को क्यों विभाग के लोगों ने २।। लाख रुपये में दिया और जनता के रुपये को बरबाद किया? इसी तरह से कालागढ़ की तरह सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। इन सब को सोचना चाहिये और जांच होनी चाहिये। नरौरा में गंगा पर डाम बन रहा है। वहां पर लाखों रुपये की मशीन पानी में डूब गई और उसकी किसी प्रकार से जांच नहीं की गई। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ये इंजीनियर लोग सब से ज्यादा गड़बड़ आज इस कालागढ़ डाम में कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस संकट काल में किसानों की फसल डी० आई० आर० का नोटिस दे कर जबरदस्ती उखाड़ना, उन के खेतों से जबरदस्ती सड़कें निकालना और जहां के विधायक तथा किसान नहीं चाहते वहां नाले खोदना, आज जनता में असंतोष बढ़ाने का एक मुख्य कारण हो रहा है। और भी अनेक कारण हैं और आप कहते हैं कि हमारी मशीनरी ठीक है। मैं समझता हूं कि इसपर गंभीरता से बिचार होना चाहिये।

नवल किशोर जी ने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में आज एक विभाजन की मांग है। मैं कहना चाहता हूं कि यह मांग स्वराज्य के पहले की मांग है। दिल्ली के आस पास के इलाके दिल्ली से शासित होते थे और उन की एक शान्तिमय मांग चल रही है। आज भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण का समर्थन माननीय नवलकिशोर जी ने किया। वे भाषा के आधार पर प्रान्त निर्माण की बात मान सकते हैं, पंजाब का एक छोटा सा एक करोड़ का सूबा बना सकते हैं, लेकिन एक शान्तिमय मांग जो शान्तिमय ढंग से, प्रशासनिक ढंग से की गयी है, उसे आप दबाने की बात करते हैं। मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारी जनता समझदार है और वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती कि जिस से देश की शान्ति और एकता को खतरा पैदा हो, लेकिन हम धमकी देने वालों को सावधान कर देना चाहते हैं कि जिस समय जनता इस प्रकार की मांग करेगी उस समय आप को उस का समर्थन उसी प्रकार से करना चाहिये जैसे आज के नेता पंजाबी सूबे का समर्थन कर रहे हैं। आज रामकृष्ण जी, देवीलाल शर्मा आदि सभी नेता पंजाबी सूबे के समर्थन में अपनी बात कह रहे हैं और कल तक इस का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब उस के बनाने का निर्णय हो गया, भले ही वह गलत धमकियों से बना हो, तो आज कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता उसका समर्थन कर रहा है। यह प्रदेश, जिस की हम मांग करते हैं, जिस समय बनेगा उस समय माननीय नवल किशोर जी और दूसरे लोग भी उस का समर्थन करेंगे। हम उस की मांग प्रशासनिक ढंग से करते हैं। हम कोई भाषावार प्रांत नहीं मांगते। मैं भाषावार प्रांतों को देश हित में नहीं समझता। अगर हिन्दी को वास्तविक रूप में राष्ट्र भाषा का स्थान दिया होता तो यह भाषावार प्रांत बनाने की बात ही नहीं उठती और जनता की उचित अलग सूबे की मांग को इस प्रकार धमकी दे कर दबा देना, एक भूल है। यह बन कर रहेगा और इसको आप रोक नहीं सकते।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कुछ कहने के लिये तैयार नहीं था, परन्तु अपने मुख्य मंत्री की एक बात मुझे याद आ गयी। स्थिति आज की बड़ी गंभीर है। देश के चारों छोर पर लपटें हैं अधिनायकवाद की। चाहे पंजाब हो चाहे बंगाल हो, चाहे मीजो हो, सभी क्षेत्रों में चारों तरफ एक अजीब विस्फोटक परिस्थिति है। इस परिस्थिति में हमें जो कुछ कहना है अथवा हमें जो कुछ करना है वह बड़ी गंभीरतापूर्वक कहना चाहिये। मैंने पिछली बार अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

विचार व्यक्त किये थे तो कुछ ऐसे प्रश्न अपने मुख्य मंत्री के सामने मैंने रखे थे। उनमें से मुख्य मंत्री जी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। जवाब इन शब्दों में दिया कि थोथे विरोधी दल के नेता की थोथी बातें मैंने सुनीं।" मैंने सदैव उनके लिये आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया है। जब कभी भी मैंने अपने विचार आलोचनात्मक व्यक्त किये तो वह मुख्य मंत्री जी के प्रति व्यक्त किये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आप ने ही शुरू में "थोथे" शब्द का इस्तेमाल किया था। मेरे लिये यह एक नया शब्द था। उसको सुनकर ही मैंने कहा था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरे लिये उसने कोई उत्तेजना नहीं पैदा की। लेकिन मैं जो अब कहना चाहता हूं उसे सुनिये। जो प्रश्न मैंने उपस्थित किये थे उनका जवाब न दे कर इस प्रकार का जवाब आपने दिया। उसके प्रत्युत्तर में मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि इतने बड़े प्रदेश की इतनी हल्की चीफ मिनिस्टर और इतनी हल्की बात—मैं कुछ कह नहीं सकता। इस परिस्थिति में उनको बड़े गम्भीर शब्दों का प्रयोग करना चाहिये था। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वह यह कि मेरे सारे विचारों को तो उन्होंने छोड़ दिया और दो, तीन या चार बातों पर ही अपने सारे भाषण को केंद्रित कर दिया। उन्हीं को लेकर आप के सामने कुछ कहूंगा और कुछ मोटी मोटी बातें आप के सामने रखूंगा।

पहली बात आप ने यह कही थी कि देश में आज क्राइसिस आफ कांफीडेंस है। जब हम आज प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो हम को चाहिये कि हम अपने शासन और प्रशासन में यथा संभव विश्वास रखें और तभी प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है। अब हमें देखना है कि प्रशासन और शासन में क्राइसिस आफ कानफिडेंस है या नहीं ? पहले मैं शासन पर आता हूं। शासन की स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल बनता है हाई कमांड की आज्ञा से। मुख्य मंत्री जी का मंत्रिमंडल में विश्वास नहीं, मंत्रिमंडल का मुख्य मंत्री जी में विश्वास नहीं। मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यह सारे सदन को मालूम है और सारे कैबिनेट में एक दूसरे का विश्वास नहीं। यह क्राइसिस आफ कानफिडेंस मंत्रिमंडल में है तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिये कैसे कोई सोच सकता है ? लेकिन प्रजातंत्र को बचाने के लिये उपाय करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आपका विश्वास प्रजातंत्र में कैसे है, इलेक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्स में कितना है इस गवर्नमेंट का विश्वास, इसके कुछ उदाहरण देता हूं। एटा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के बारे में कई मर्तबा लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये। वहां आपने चुनाव इतने दिनों तक रोके रखा और चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ। उस जगह वह व्यक्ति काम कर रहा था जो हिस्टरी शीटर था, जिसका डकैती में चालान हो चुका था-उसको गवर्नमेंट ने नामिनेट किया। यह नमूना है। दूसरा, कारपोरेशंश के और म्यूनिसिपल बोर्ड्स के २–२ वर्ष के लिये चुनाव पार्टी इंटरेस्ट में टाल दिये गये। जनता को ऐसी परिस्थित में कैसे आत्म विश्वास हो सकता है या प्रजातंत्र में आस्था हो सकती है ? क्या ये तरीके मुख्यमंत्री की रक्षा के लिये, मंत्रिमंडल की रक्षा के लिये या प्रजातंत्र की रक्षा के लिये अख्तियार किये गये ? अन्धा आदमी भी सोचेगा कि यहां प्रजातंत्र की हत्या हो रही है पार्टी इंटरेस्ट में। एक दफा कोई पार्टी इंटरेस्ट भी होता तो भी कहते कि ठीक है, लेकिन ग्रुप इंटरेस्ट में यहां काम किये जा रहे हैं। आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में एलीगेशंस किये कि मैं चूंकि मंत्रिमंडल के विरोधी गुट का हूं और दूसरे ग्रुप का साथ देता हूं इस लिये मेरा सस्पेंशन कर दिया गया, मुझे मुअत्तल कर दिया गया। दूसरे गोंडा के अध्यक्ष का नमूना मौजूद है। उसके संबंध में भी लांछन लगा था इस मंत्रिमंडल पर और उसमें भी यही आरोप था कि यह ग्रुप इंटरेस्ट को पूरा करने के लिये कार्यवाही की गयी है।

इसके बाद हिन्दू यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा कांड हो गया। ३–३ अधिकारी ट्रांस्फर हो गये, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० का ट्रांस्फर नहीं

हुआ। एक ग्रुप के लोगों का कहना है कि वे दोनों इसलिये नहीं बदले कि वह एक ग्रुप की रक्षा करेंगे और दूसरे ग्रुप के विरोध में काम करेंगे। इन बातों से जो हवा फैली है प्रदेश में उससे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि यह सरकार प्रजातंत्र की रक्षा कर रही है। गोविन्द सहाय जी वाली बात कहूं तो कहा जायगा कि पुनरावृत्ति कर रहा हूं, लेकिन यह कहना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की गयी वह उचित नहीं थी। आज की परिस्थिति ऐसी है कि प्रजातंत्र में यदि विश्वास करना है तो मुख्य मंत्री के मुख से ऐसी बातें निकलनी चाहिये कि जो सारे प्रदेश में बात फैलती है तो मालूम हो कि यह होकर रहेगा। इस सदन में चुने हुए प्रतिनिधियों को, जितने मौजूद हों उन्हीं को अगर विश्वास हो कि मुख्य मंत्री ने अमुक बात कही वह अवश्यमेव पूरी होगी, ऐसी स्थिति से संतोष करना उचित है, बल्कि सब व्यक्तियों को और प्रदेश को विश्वास हो जाय।

दूसरा उदाहरण हिन्दी का दूंगा कि सेक्रेटेरिएट में इतने आश्वासनों के बाद भी हिन्दी के बजाय सब काम अंग्रेजी में होने लगा। मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। एक और क्राइसिस आफ कानफिडेंस की बात कहता हूं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि क्या स्थिति आ गयी है कि विरोधी कांग्रेसी दल का चेयरमैन में विश्वास नहीं, कांग्रेस दल का स्पीकर में विश्वास नहीं, स्पीकर का कांग्रेस दल में विश्वास नहीं, कांग्रेस दल का पेनल में विश्वास नहीं, पेनल का कांग्रेस दल में विश्वास नहीं। जब कोई महत्वपूर्ण अनुदान होती है या मामला होता है तो ऐसे व्यक्ति कुर्सी पर रखे जाते हैं जो सरकार की रक्षा कर सकें। इससे मेरे हृदय में यह भावना उठती है कि आज प्रजातंत्र किधर जा रहा है? मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता, लेकिन आज रामायण राय जी चीफ हिप हैं और अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं अधिष्ठाता मंडल पर। मेरे कहने का मतलब यह है कि कैसी परिस्थितियां चल रही हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। प्रश्न जब होते हैं तो अकसर यह कह दिया जाता है कि इसका जवाब देना जन हित में नहीं। मैं पूछता हूं कि कौन सा मापदंड इस सरकार ने बना रखा है जिससे यह देखा जा सके कि फलां चीज जन हित में है अथवा नहीं। श्रीमन्, चाहे आफिसर्स करप्ट हों, चाहे पालिटिशियन करप्ट हों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे चन्द्रजीत यादव जी की निष्पक्षता में विश्वास है, उनके सिद्धांतों में विश्वास है, उनमें विश्वास है, और मुझे आशा है कि वे इन लोगों में नहीं आयेंगे। पर मैं इस सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं। यह सरकार सिद्धांतवादी व्यक्तियों को करप्ट करने की कोशिश न करे। आज यह चाल फेंकी जा रही है कि ऐसे लोगों के सिद्धांत करप्ट हो जायं।

श्रीमन् आज चारों तरफ पोलिटिकल इंटरफियरेंस है। मेहदावल क्षेत्र के बी०डी०ओ० की शिकायत मैंने २-३ वर्ष पहले की थी, आज तक उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिये नहीं हुआ कि माननीया मुख्य मंत्री उस क्षेत्र से चुन कर आती हैं, आपने कहा कि उसने वहां अच्छा काम किया है, इसलिये उसका ट्रांसफर नहीं होता। मैं पूछता हूं कि कौन सा मापदंड है आपके सामने अच्छे काम का? मेरे पास आज भी हजारों व्यक्ति उसकी शिकायत ले कर आते हैं। मैं उनसे क्या कहूं? एटा के एस०पी० विजय सिंह जी, भी अच्छा काम करते थे, उनको तो फौरन बदल दिया, मगर डी०पी०ओ० को वहां के नहीं बदला गया। क्यों नहीं बदला गया? इसलिये नहीं बदला गया क्योंकि एक दल विशेष की वह रक्षा करता था। कैसे कोई आपके इस प्रजातंत्र में विश्वास कर सकता है। आपने तो यह नियम बना रखा है, यह निश्चय कर रखा है कि आप विरोधी पक्ष की कोई बात मानेंगी नहीं, फिर कैसे हमको आपमें विश्वास हो।

फतेहपुर की भी स्थिति मैं बताऊं। वहां का कलेक्टर बदला नहीं गया, इसलिये नहीं बदला गया कि वह इनके हितों की रक्षा करता है। श्रीमन्, आज चारों तरफ केआस और कन्फ्यूजन का वातावरण एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई दे रहा है, आपकी नीतियां ऐसी हैं, आपके कार्य ऐसे हैं कि किसी को आपमें विश्वास नहीं रह गया है, ब्योरोक्रेसी की उसमें गलती नहीं है। ब्योरोक्रेसी एब करती है, मगर एब कराने वाले इस दल के लोग ही हैं। आप अपने हितों की रक्षा के लिये उनको

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

विवश करते हैं ऐसा करने के लिये। आप ही उनको करप्ट करते हैं। वे लोग अपने नेचर से स्पष्ट नहीं हैं। आप उनको करप्ट बना देते हैं। उनका वही पुराना तौर तरीका है, वही पुरानी शराब है, उसी में उनका विश्वास है कि 'किंग कैन डू नो रांग"। आज जिस प्रकार के रीओरियण्टेशन की आवश्यकता है वह नहीं हो पा रहा है। उनमें जन-कल्याण की भावना नहीं रह गयी है। आज तो लोगों में कुछ भावना ही दूसरी हो गयी है। एक कवि ने एक कविता बनायी, मुझे याद नहीं आ रही है उसका मतलब इस प्रकार है कि कोई भी ए० बी० सी० मिल जाय, उसकी पूजा करो, क्योंकि न जाने कब वह मिनिस्टर हो जाय। आज ऐसी परिस्थिति हो गयी है। मोरारजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, देखना है वह क्या रिफार्म करती है। अगर कुछ रिफार्म हो सके तो बहुत अच्छा है।

मान्यवर, आज प्रोमोशन चरित्रपंजिका के आधार पर होता है। जिससे यह सरकार खुश हो जाती है, जो इनके हितों की रक्षा करता है, उसकी चरित्र पंजिका में अच्छी एंट्री कर दी जाती है और उसे प्रोमोशन मिल जाता है। यह नीति भी बड़ी गलत है। माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो कहा वह ठीक है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर रेड टेपिज्म के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

मान्यवर, भगवान ने बलि को यह आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी तुझे मारने आयगा उसका बल आधा हो जायगा और यह कह कर वे एक पेड़ के पीछे छिप गये थे। तो यहां भी जो जो आज रेड टेपिज्म पर हमला करता है, वही उसका शिकार हो जाता है। उदाहरण दे दूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी थे, वह इसके बहुत खिलाफ थे। वे एक बार छुट्टी पर चले गये। जब लौट कर आये तो उनको लीव पीरियड की सैलरी नहीं मिली। उनसे कहा गया कि पहले वे यह सार्टीफिकेट मजिस्ट्रेट का दें कि वे जिन्दा हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं काम पर आया हूं तो मुझे सार्टीफिकेट देने की क्या जरूरत है? तो यह हालत है रेड टेपिज्म की। श्रीमन्, इलस्ट्रेटेड वीकली का एक कोटेशन मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

".....One would expect that when so many condemn red tape and attempt to reform it, it would wilt and die. But nothing happens to it. In fact, it appears to thrive on criticism and abuse. Red tape seems to resemble the monkey king, Vali, the brother of Sugriva. You may remember that whoever faced and tried to fight Vali found that half his strength was absorbed by him. Red tape too appears to sap the vitallity of any criticism or attempt at reform and so to grow to greater strength.—Rama had to fight Vali con-concealed. The lesson in dealing with red tape also, I hope, is obvious....."

तो यह स्थिति रेड-टेपिज्म की है। मैं रेड टेपिज्म के बारे में और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

दूसरी बात मैं कहना चाहता था अपने इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन की। इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अंग देख लीजिये। यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप है। आज नीचे वाले चाहते हैं कि हम ऊपर वाले को कैसे खुश करें। आज पूछा जाता है कि तुम लोग किस ग्रुप को बिलांग करते हो। इस तरह से वह डैमोक्रेसी का फर्स्ट प्रिंसिपिल कैसे पालन कर सकता है। ये विरोधी दल भी एक इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिये।

प्रशासन का एक और उदाहरण देख लीजिये। एक उदाहरण आया सामने कि सात हजार परीक्षार्थी आये तो उन्हें कहा गया कि आज परीक्षा नहीं ली जायेगी। इससे भी गन्दा ऐडमिनिस्ट्रेशन कहीं हो सकता है? और कुछ शब्द निकल गये तो दूसरे लोग चीखकर बात कहेंगे। इससे भी इनएफीश्यंट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं हो सकता है? मैंने ऐडमिनिस्ट्रेशन में एक बात कही थी। मेडिकल ले लीजिये। गरीब को राहत नहीं। दवा बिक जाती है मिलती नहीं। लैन्ड रिफार्म्स आपने किया, लेकिन बंजर लैन्ड गरीबों के कब्जे में नहीं आई। प्राहिबिशन नहीं हो रहा है। नसबन्दी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अब तो आफत हो गई है बूढ़ों गरीबों और कोढ़ियों की।

अब मैं इकोनामी पर कहे देता हूं। ओवरस्टाकिंग चारों तरफ है। मैंने कहा था कि बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास कोई काम नहीं है इसको

सुधारिये। कमिश्नर्स के बारे में भी मैंने कहा था। एक दफा यह पोस्ट अबालिश भी कर दी गई थी पर चूंकि आई० ए० एस० और आई० सी०एस० को जगह देनी थी। इसके अलावा सेक्रेटेरीज के बारे में मैं पहिले ही कह चुका हूं। यहां कितने सेक्रेट्रीज हैं? कितने ही असिस्टेंट, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं। उन्होंने भी अलग ग्रुप बना रखा है। चीफ सेक्रटरी साहब अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि क्या उन्होंने छोटे-छोटे अधिकारियों के ट्रांसफर के बारे में जिला मैजिस्ट्रेटों को पश्चिमी जिलों की तरफ नहीं लिखा कि अमुक बी० डी०ओ० का क्यों ट्रांसफर हुआ? ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की भीड़ लगी है। मैं तो कहता हूं कि आप एक कमेटी मुकर्रर करें और वह जांच करे, अगर इकानामी की तरफ आपका ध्यान है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज बड़ी बधाई दी जा रही है पुलिस को, बंगाल और पंजाब की हालत को देखकर। पर मैं कहता हूं कि यह पुलिस को क्रेडिट नहीं है। इसको मिसलीड मत करिये। देश की परिस्थितियों को अपने प्रशासन से इसको मिनिमाइज मत करिये। प्रदेश के हित को मिनिमाईज मत करिये। जैसा कि विकल जी ने कहा कि आपने एक एक्सप्लोसिव जगह पर जनता को लाकर रख दिया है। आज आप उनको क्रेडिट दीजिये जिनको आपके राज्य में दवायें नहीं मिलतीं, खाने को अन्न नहीं मिलता, ६–६ महीने तक उनके साथ जस्टिस नहीं होती, अगर वे कर्जा लेना चाहते हैं तो आधा उसमें से दे देना होता है, उनको खाद और पानी नहीं मिलता। ४१ आदमियों के बारे में आपको रिपोर्ट मिलती है कि उनकी जान खतरे में है और १८ उनमें से मार भी दिये जाते हैं, लेकिन आपकी ओर से उनकी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं होता। लेकिन फिर भी वह आपके खिलाफ बगावत नहीं करते। आपके प्रशासन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो पंचर न हुआ हो। इसलिये प्रदेश की जनता के इस फूले हुए बैलून को संभालिये, नहीं तो एक दिन आग भड़केगी और कोई बड़ा भारी विस्फोट होगा।

विरोधी दल के बारे में हर समय यह बात कही जाती है कि विरोधी दल के लोग सरकार से सहयोग नहीं करते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या विरोधी दल की कोई बात मानी जाती है? क्या यहां जितने लोग बैठे हुए हैं वे सब गलत कहने वाले हैं? आप उन पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनके हृदय में इस प्रदेश और देश के लिये प्रेम नहीं है? आप माफ करें, आज की स्थिति में आपसे ज्यादा त्याग और सर्विस इधर के बैठने वाले लोगों में है। आपकी परीक्षा हो चुकी है, लकिन उनको परीक्षा का अवसर अभी नहीं मिला है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूं।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीया मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि दबी जबान में ही सही, अपोजीशन के लोगों ने इस प्रशासन की तारीफ ही की। क्योंकि जब आज सुबह मैंने अखबार को देखा तो उसमें यह कमेंट पाया कि जिस प्रकार की बहस की उम्मीद थी उस प्रकार की बहस नहीं हुई। यह काम अपोजीशन का था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि जब उसके पास कुछ कहने को था ही नहीं तो वह क्या कहते?

माननीय विकल जी ने कहा कि जो लोग दूसरे दलों से कांग्रेस में आये हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिये। मैं माननीय विकल जी की इस राय से सहमत नहीं हूं। उनको यह बात कहने के पूर्व अपनी कांग्रेस कमेटी से इस नीति को प्रतिपादित करा लेना चाहिये था। आपको याद होगा कि इस लखनऊ शहर में ही वह सम्मेलन हुआ था, यहीं बारादरी में हुआ था, जिसमें श्री कामराज जी और नंदा जी भी शामिल हुये थे। उन्होंने सभी समाजवादी ताकतों को कांग्रेस के झंडे के नीचे आने की दावत दी थी। अगर माननीय विकल जी को उससे विरोध था, अगर वे समाजवादी नीति में विश्वास नहीं करते थे तो उनको वहां उसका विरोध करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

चाहिये था और उनको इस्तीफा दे देना चाहिये था। मैं समाजवाद में विश्वास करता हूं। उन समाजवादी साथियों ने जो चाहे इस सदन में हों, चाहे इस सदन के बाहर हों, और खास तौर से मजा समाजवादी दल के सदस्यों ने इस बात को महसूस किया कि वे समाजवाद में विश्वास करते हैं। उन्होंने यह भी तय किया कि उनको एक झंडे के नीचे ही रहना अधिक उपयुक्त होगा। संयुक्त शक्ति से ही देश का अधिक भला हो सकता है। उसका सबूत यह है कि जब इंदिरा गांधी ने अपना नया मंत्रिमंडल बनाया तो वे श्री अशोक मेहता को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किये बिना न रह सकीं। मैं उन लोगों को खुली चुनौती दूंगा जो कांग्रेस और उस की समाजवादी नीतियों के विरुद्ध विषवमन करना चाहते हैं। यही नहीं अगर बात यह होती कि (व्यवधान)

माननीय राम सुन्दर जी जो संसोपा दल के नेता हैं वह स्वयं पी०एस०पी० के टिकट पर चुने गये और आज वह वहां से खड़े होकर उचक रहे हैं। मैं उनको दावत देता हूं कि पी० एस०पी० के टिकट पर झोपड़ी के निशान से खड़े होते और जीतने के बाद उन को प्रसोपा से संसोपा में जाने का अधिकार था। आज अगर उन के दल में यहां दो मत हो सकते हैं और उन के दल में कल ही सदन ने देखा कि माननीय चन्द्रबली सिंह और श्री उग्रसेन में पार्टी की नीति के विषय में कैसी कैसी बात हुई। यह नीति की बात है यह नीति की बात नहीं है कि एक ही दल क सदस्य यहां लड़ें। यह किस बात का द्योतक है? जो आग आज उन के स्वयं के दलों में सुलग रही है उस आग से आज यह निश्चित है कि अगर उन्होंने सम्भलने की कोशिश नहीं की तो वह सभी दल टूटने वाले हैं।

जनसंघदल की क्या बात करूं? जो उधर का सब से बड़ा दल से है उस दल के नेता प्रारम्भ में माननीय यादवेंद्र दत्त जी थे लेकिन बाद में इतने नेता बदले कि पता नहीं दस दिन में और न बदल जांय और बदल जाय तो कोई आश्चर्य न होगा। स्वतंत्र पार्टी की हालत भी हम देख रहे हैं। जो आज समाजवादी है और समाजवादी नीतियों का पोषक है वह अवश्य ही कांग्रेस की समाजवादी नीति का समर्थन करेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में और देश में कांग्रेस ही एक ऐसी जमाअत है कि जिस ने खुले दिल से समाजवादी नीतियों का समर्थन और संचालन किया है। आज जो भी समाजवाद की ओर अग्रसर होना चाहता है उसके लिये आवश्यक हो जाता है कि वह कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर उसकी समाजवादी नीतियों का प्रतिपादन करे।

एक सदस्य—

सामान्य प्रशासन से इन दलों की बातों का संबंध क्या है?

श्री कल्पनाथसिंह—

आज आप देख लें कि विरोधी दल की दशा क्या है। इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब यह अबकी बार चुनाव में आयेंगे उस समय जो इनकी हालत होगी वह अभी से साफ जाहिर है। आज जब यह दस बीस ही मिलकर अपने अपने छोटे छोटे दलों को नहीं चला सकते और दस बीस में ही पार्टियों के झगड़े हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि फिर यह इतने बड़े प्रदेश में सामान्य प्रशासन को चलाने की क्या क्षमता रख सकते हैं? इतना ही नहीं मैं यह भी निवेदन करूंगा कि माननीय विकल जी ने एक बात कह दी कि भूमिहीनों को जमीनें नहीं मिली। मैं विकल जी से निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिहीनों मामले में उनका सहयोग अपेक्षित है और अगर वह माननीया मुख्य मंत्री जी को सहयोग दें तो उनके सुझाव के अनुसार आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस दिशा में कदम उठाने की कृपा करेंगी।

ग्रुपबाजी की बात कही जाती है। कांग्रेस में या किसी दल में ग्रुप बाजी है वह बात दूसरी है, लेकिन सरकार में वह हो तो जरा तकलीफदेह चीज होती है। रोज कहा जाता है कि कलेक्टर तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, बी० डी० ओ, का तबादला कर दिया जाय, लेकिन मुश्किल यह है कि अगर वह किसी की बात

न सुनें तो कहा जायगा कि वह तानाशाह हो गये हैं और अगर सुन लें तो कहा जायगा कि राइट्स में इन्टरफीयरेंस किया जाता है । लेकिन इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य लाकर जो बीच का रास्ता है वही एक प्रजातांत्रिक रास्ता है । माननीय सदस्यों को भ्रम न होना चाहिये कि नये सिरे से प्रजातंत्र विकसित हो रहा है। मैं बता दूं कि जो लोग आज यह समझते हैं कि इसमें कोई गुटबाजी की बात है तो उन्हें अपने ठंडे दिल से दूसरी तरह से भी सोचना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री रामसुन्दर पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी से एक निजी जानकारी करना चाहता हूं ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैं बजट सेशन में नहीं खड़ा हुआ और अब जब मैं बोलना चाहता हूं तो आप मुझे नहीं बुलाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये । अगर आप बजट सेशन में खड़े नहीं हुये तो यह नहीं हो सकता कि जब आप आयें तभी आपको बोलने दिया जाय । आप कृपया बैठ जायं। मैंने माननीय रामसुन्दर पांडेय जी को बुला लिया है ।

श्री रामचन्द्र विकल---

श्रीमन्, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि हमको कांग्रेस हाई कमान्ड ने लिया है, तो मैं आचार्य नरेन्द्र देव और हाफिज जी के बारे में कहता हूं कि उन्हें भी कहा था कि चुनाव न लड़ें, लेकिन दोनों ने चुनाव लड़े । मंत्री जी की बात नहीं है, हमारे यहां भी माननीय गेंदा सिंह जी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपका पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी उत्तर देने की आज्ञा दी जाय ।

(श्री श्यामलाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें । जरा आप कायदा सीखिये । आप तो सीधे चले आये और खड़े हो गये ।

श्री श्यामलाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी का नेता हूं और मुझे भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

या तो आप बैठें और या आप सदन छोड़ें ।

श्री श्यामलाल---

सदन तो हम छोड़ देंगे, परन्तु हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप या तो बैठ जायं या सदन छोड़ें ।

(श्री श्यामलाल ने अपना स्थान ग्रहण किया ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह जी के कांग्रेस में जाने से कोई समाजवाद आने वाला नहीं है और यदि उनके और माननीय गेंदा सिंह जी के जाने से समाजवाद को स्थान मिलेगा तो दिखायेंगे । जब इस देश में कांग्रेस का राज्य नहीं आया था और अंग्रेज शासन करते थे, तो आपको, श्रीमन्, याद होगा कि ऐसे अच्छे खासे लोगों की तादाद थी जो कि गांधी जी के स्वराज्य के कट्टर विरोधी थे । वे नहीं चाहते थे कि गांधी जी का राज्य इस देश में हो । कल्पनाथ सिंह जी भी ऐसे ही आदमी हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश में समाजवादी राज्य हो । जो अंग्रेजी राज्य में अपने देश में कुछ अमन सभाई किया करते थे वही आज माननीय कल्पनाथ सिंह जी कर रहे हैं, कांग्रेस में जा कर अमन सभाई का काम कर रहे हैं, समाजवाद का काम नहीं कर रहे हैं । १९५२ में जब मैं चुन कर आया था तो माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त जी मुख्य मंत्री थे, उनके बाद डाक्टर सम्पूर्णानन्द हुये, उनके बाद माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी हुये और अब माननीया सुचेता जी मुख्य मंत्री हैं । मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि आज प्रदेश में प्रशासन जितना खराब हो चुका है उतना खराब कभी नहीं था । हम विरोधी दल में बैठते थे हमें याद आता है वह समय जब माननीय पंत जी की बातों का हम लोग इस सदन में बैठ कर विरोध करते थे । वह बिचवई किया करते थे और हम दोनों के मतभेद दूर किया करते थे ।

मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन आज क्या करता है । वह पुलिस को लूट की खुली छूट दिए हुए हैं । आज कानून का प्रशासन यहां नहीं है । १, २ मिसालें आप के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । जहां पर दिन दहाड़े डकैतियां होती हों, दिन दहाड़े अबलाओं को सारे वस्त्र उतार कर गांव में घुमाया जाता हो वहां पर क्या राज्य है ? माननीय कल्पनाथ सिंह को शर्म आनी चाहिये, आपने समाजवाद का संकल्प लिया था, क्या यही आप का संकल्प है ? आज आई० सी० एस० का राज्य यहां है, पी०सी० एस० का राज्य है, आप का राज्य नहीं है । आप हजार चिल्लायें, माननीय मेवा लाल जैस वाल नये-नये कांग्रेसी बने हैं, इनको पुलिस के गुण्डों ने ढूंढ़-ढूंढ़ कर पीटा । मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का शासन क्या है ? इस प्रदेश में बिना वारन्ट के, बिना मुकदमें के लोग जेलखाने में बन्द हो जाते हैं, झूठे मुकदमें में फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं, बिना दोष किये आदमी आजीवन सजा भोग रहे हैं ।

मैं अपनी बीती बात आप को बताता हूं । हमारे क्षेत्र में एक गुंडा है, उसने हमको खुद गोली मारने की धमकी दी । थाने में हमने रपट लिखाई, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० को लिखा कि इसकी बन्दूक का लाइसेन्स जब्त होना चाहिये । लेकिन एस० पी० लाइसेन्स जब्त नहीं कर सका । और नतीजा क्या हुआ ? इसी १२ मार्च को हमारी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्त्ता, श्री राघव पांडेय की हत्या दिन दहाड़े उसी बन्दूक से कर दी गई जिसके खिलाफ हमने पुलिस को रिपोर्ट की थी । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह है क्या ? हमको माननीया सुचेता जी से कोई दुश्मनी नहीं है । लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय पंत जी के जमाने में जो प्रशासन का ढांचा था उसके मुकाबले में वह इनके प्रशासन में नीचे गिरा है । आप सिंचाई की बात को, शिक्षा, कानून की बात को ले लीजिये, जहां कहीं भी जाइये चारों तरफ से स्तर गिरा है । इस के लिये कौन जिम्मेदार होगा ? माननीया सुचेता कृपालानी जी अपने मंत्रियों को अपनी राहों पर नहीं चला सकती हैं । जो चाहती हैं वह नहीं करा सकती हैं । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ऐसे मुख्य मंत्री को अपने आप इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिये और दूसरे के हाथों में शक्ति दे देनी चाहिये । मुख्य मंत्री जी क्षमा करेंगी, यह केवल कठपुतली सरकार की मुख्य मंत्री है । शासन दूसरे के हाथ में है इनके हाथ में शक्ति नहीं है कि वह किसी मंत्री के विभाग को बदल सकें । परोक्ष में जब इनसे बात होती है तो हमारी बातों का समर्थन करती हैं । एक, दो नहीं बीसों उदाहरण दे सकता हूं । माननीय हरगोविन्द सिंह के काले कारनामों के कारण वे उनको हटाना चाहती हैं लेकिन डर होता है कि वे उनको हटाने चलें तो कहीं वे ही खुद न हट जायं । अपने

प्रदेश का जो शासन है वह लुंजपुंज है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में भुखमरी है, कायदा कानून नहीं है और फल यह होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता विद्रोह करेगी ।

श्री मैनेजरसिंह--

दो-चार माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं इसलिये सदन का समय कुछ बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय बढ़ाने की बात नहीं है । कमेटीज की मीटिंग्स हैं ।

(श्री श्यामलाल के खड़े होने पर)

श्यामलाल जी, आप या तो बैठ जायं या सदन छोड़ें ।

श्री धर्मसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री मैनेजरसिंह--

सदन छोड़ने की बात आप मत कहिये । लोग निकाले जायं, इससे क्या फायदा है ? समय कुछ बढ़ा दिया जाय तो मुनासिब होगा ।

(श्री श्यामलाल के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

श्याम लाल जी, या तो सदन छोड़ें या बैठ जायं ।

(श्री श्यामलाल ने सदन का परित्याग किया ।)

*श्री रामसिंह (जिला एटा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने जिले के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करनी हैं । मेरे जिले एटा में हाल में इससे गम्भीर घटनायें हुई हैं और इससे पहले भी गम्भीर घटनायें हो चुकी हैं । पिछले ३ महीनों में बसें लूटी गयीं, ट्रक्स लूटे गये, तेज हथियारों से लोगों को घायल किया गया और इस सब का कारण यह है कि वहां की पुलिस बेकार हो गयी है और उनके बस का यह रोग नहीं है ।

पहले हमारे जिले में योग्य शासक रहे और वे किसी के दबाव में नहीं आते थे, लेकिन जिले का दुर्भाग्य अब ऐसा है कि एक जिलाधीश पी० सी० एस० भेज दिये गये हैं जो कि अपने को आई० ए० एस० बनने का ख्वाब देखते हैं । वे कुछ नेताओं के चंगुल में फंस कर, अपने को एक्सपीरियन्स्ड साबित करने के लिये, गलत काम करने पर उतारू रहते हैं और उन नेताओं के इशारे पर नाचते हैं । यह भी कहा जा सकता है कि यह कलेक्टर महोदय दो साल से हैं, तो पहले ये वारदातें क्यों नहीं हुआ करती थीं ? तो उसका कारण यह है कि पुलिस अधीक्षक अपने काम में निपुण थे और कलेक्टर महोदय की बात नहीं सुनते थे और जो जाता था उसकी बात सुनते थे, जो उचित समझते थे वह करते थे । इस वजह से यह सब वारदातें नहीं होती थीं, लेकिन उनके ट्रान्सफर के बाद कलेक्टर साहब में और उनमें अनबन हुई जिसकी वजह से उनका ट्रान्सफर करवाया गया। जब उनका ट्रांसफर हो गया तो नये एस० पी० महोदय आये । मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से हमारे कलेक्टर हैं उसी तरह से वह भी हैं । वह हैं आई०पी०एस०, लेकिन नये आदमी को भेज दिया गया । एक्सपीरियेंन्स कुछ नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने कलेक्टर की हां में हां मिलाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामसिंह]

शुरू कर दिया । जो कलेक्टर कहता है वही वह करते हैं । यहां तक है कि दिन छिपने के बाद दौरे पर कहीं भी हों फौरन हेडक्वार्टर पर आते हैं । उनको हिम्मत नहीं है कि डाकुओं का रात में मुकाबला कर सकें या रात को खबर मिले तो वह जा सकें । यह जो अयार कांड हो गया, इसमें बहुत बड़ी साजिश थी। कलेक्टर और एस० पी० दोनों शामिल हैं । पी० ए० सी० उन्होंने इसलिये हटाया कि लोगों ने जोर दिया उस गांव में पी०ए० सी० की आवश्यकता नहीं है। जहां पर डकैती पड़ी है, वहां से हटा कर पी० ए० सी० ऐसे गांव में भेज दी जहां पर ३७ लाइसेन्स हैं । इन सब गलतियों को छिपाने के लिये कलेक्टर और एस० पी० ने नाजायज तरीके से लोगों के हाथ-पैर जोड़ना शुरू कर दिया और जिस दिन माननीय गृह मंत्री गये उससे पहले आदमी भेज दिये गये । गांव वालों को कुछ को हटा दिया या डरा धमका कर सामने नहीं आने दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त । (श्री मैनेजरसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

आपसे एक निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने मैनेजर सिंह को बुला लिया है ।

(शोर)

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

यह डेढ़ दिन से बहस चल रही है । हमारे प्रदेश का जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण विभाग है । इसमें आप को सभी दलों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिये समय देना चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुये आप सदन का समय बढ़ायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आप बैठिये । मैं बराबर हर पार्टी का खयाल रखता हूं ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

अभी तक आपने हमें बोलने का अवसर नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह गलत कहते हैं । मैंने बराबर समय दिया है । मैंने बहुत काफी टाइम दिया है । आपका जो नम्बर है उससे ज्यादा दिया है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

इस से हम समझेंगे कि आप हमारे दल को टाइम नहीं देना चाहते । संसदीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुये, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का हर एक को अधिकार है । आप हम को समय दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मैनेजरसिंह ।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये उन पर आप क्या निर्णय देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह से नहीं होगा । (शोर)

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

रिपब्लिकन पार्टी के लोग बाहर जाते हैं और [***] इस सदन में कम संख्या होने के कारण अवसर नहीं देते । इसलिये इस सदन से हम दिन भर के लिये वाक आउट करते हैं ।

(रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री मैनेजरसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब स्दस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस कटौती के प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त किया है । इस विवाद में विरोधी पक्ष के सदस्यों ने और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कुछ सही बातें रखने की कोशिश की हैं । दो-एक की बात मैं नहीं कहना चाहता जैसा कि जे० पी० मिश्र जी ने नौटंकी के नाच का जो लुत्फ दिया उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता । और जिस तरह से बैजनाथसिंह जी ने वकालत की उसको भी मैं नहीं कहना चाहता । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां का एक मुकदमा लड़ा गया, हमारे पुरोहित गये गवाही में । उनकी बड़ी खातिर हुई पहली तारीख में । वह गये । अदालत में केस था कि पंडित जी ने महाजन के दो चाटें लगाये थे और पंडित जी जब खड़े हुये तो कहा कि शाह जी को मारते मारते पंडित जी ने लिटाल दिया था, तो यह कहने पर आ गये और केस खारिज हो गया । तो उन्होंने जो वह सिफारिश की सरकारी अफसरों की, उससे सदन की मर्यादा और माननीय सदस्यों की मर्यादा को ठेस पहुंचती है । आपने देखा होगा कि विरोधी पक्ष के अधिकांश सदस्यों ने हमारी बात को ताईद की कि नौकरशाही की श्रृंखला में जो अफसर काम कर रहे हैं, उसमें ज्यादा संख्या ईमानदार और विवेकशील लोगों की है । लेकिन हमें एक ही शिकायत है जो ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी हैं वह आपके शासन में घुटन महसूस कर रहे हैं, उनका जीना मुश्किल है, क्योंकि वह आपके राज्य में ईमानदारी से, निष्पक्षता से और स्वतंत्रता से काम नहीं करने पा रहे हैं । मैं इस बात को भी नहीं मानता कि प्रजातंत्र में निष्पक्षता से काम नहीं हो सकता । मैं समझता हूं कि यह बिलकुल लचर दलील है ।

अफसर कैसे अच्छे और ईमानदार बने रह सकते हैं ? हमने गृह मंत्री के खिलाफ आरोप पर आरोप लगाये, यहां पर रोज हम हल्ला करते हैं, रोज कागज पर कागज देते हैं, तथ्य आपके सामने हम सिद्ध करने का दावा करते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी इतनी भी कृपा नहीं करतीं कि वह न करें तो यही कह दें कि आपके आरोप तथ्यहीन हैं, या हमारी मजबूरी है कार्य करने में । तो इस संसार में बरतानिया एक ऐसा प्रजातंत्र का अगुवा देश है जिसने साबित किया है कि प्रजातंत्र की हुकूमत भी ईमानदारी से चल सकती है, यदि शासन चलाने वाले ईमानदार और अच्छे आचरण वाले हों । आज दोष राजनीतिक लोगों का है, वह पदलोलुपता, पद लिप्सा, और गुट बाजी में पड़े हुये हैं, वह उचित और अनुचित का भेद करने की बुद्धि भी खो चुके हैं और अपने गर्हित स्वार्थों के लिये वह अफसरों का भी इस्तेमाल करते हैं और उनसे अनुचित से अनुचित काम करवाते हैं जिसके कारण वह ईमानदारी से कार्य नहीं कर पा रहे हैं ।

हमें सख्त शिकायत है कि हमारे यहां से कई अच्छे ईमानदार अधिकारी चले गये । हमने देखा है सचिवालय में घूम-घूम कर । हमारे यहां के एक सेक्रेटरी हैं, यहीं बगल में बैठते हैं, जो आठ बजे साढ़े आठ बजे आ जाते हैं और ८ बजे तक आपके साथ काम करते हैं—जोशी साहब । और दूसरे एक अफसर थे—श्री बी० बी० लाल जो सिंचाई विभाग के सेक्रटरी थे और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन थे । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वे नालायक थे, कामचोर थे, बेईमान थे ? वे क्यों हटे, आपने उन्हें क्यों जाने दिया ? सरकार की व्यवस्था के कारण उनको घुटन हो रही थी, वह ट्रेनिंग में चले गये हैं । चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, शायद कोई स्कालरशिप मिल गयी थी, लेकिन वह नहीं गये । वे सब चले गये क्योंकि

नोट—[***] यह अंश मा० उपाध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मैनेजरसिंह]

आपने उनको यहां कोई इज्जत नहीं दी जो उनके काम और व्यवहार को देखते हुये उन्हें मिलनी चाहिये थी । आपने उनको अच्छी तरह से स्वतंत्रतापूर्वक ईमानदारी से काम करने का मौका नहीं दिया । यह हमारा आप पर चार्ज है । कहा गया कि सिंचाई सेक्रेटरी और विद्युत् परिषद् का चेयरमैन एक आदमी कैसे होगा ? चेयरमैन के पद के लिये आपने एक इंजीनियर आदमी को प्रमोशन दिया और आपने उसको परिषद् का चेयरमैन बना दिया । उनकी ईमानदारी पर मुझे कोई शुबहा नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह क्या मजाक है कि एक विभाग का चीफ इंजीनियर और उसी को एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया ? आप उनको चीफ इंजीनियर से हटाकर एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बना दीजिये, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी ।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए ।)

आज अफसरों में गुटबाजी हो रही है । हमारे सेक्रेटेरियट के जितने अच्छे अफसर थे पुराने, वह कई हट गये । आज जितने अच्छे थे और जो इशारों पर नहीं नाच सकते थे उनको हटा दिया गया और यहां अब तीसरे दरजे के लोग रह गये । (लालबत्ती होने पर) अभी तो हमने शुरू किया है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैनेजर सिंह जी, आप माननीय मुख्य मंत्री जी को अधिक से अधिक सुनना चाहेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं मुख्य मंत्री जी को अब बिलकुल नहीं सुनना चाहता ।

श्री अधिष्ठाता--

आप न सुनना चाहें, लेकिन और सभी सदस्य तो सुनना चाहेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह--

मेरे १५ मिनट है, मैं उतना बोलूंगा । आप चाहें तो मुझे निकाल दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ५ मिनट में समाप्त कर दीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आपको अधिकार है कि आप १५ मिनट का समय बढ़ा सकते हैं । आप वह बढ़ा दीजियेगा । माननीया मुख्य मंत्री जी बोलें । लेकिन इनको भी बोलने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

देखिये, माननीय मैनेजरसिंह जी मैं यह नहीं चाहता कि आपको रोकूं, लेकिन आप १० मिनट के बजाय ५ मिनट में ही समाप्त कर दें ।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं कोशिश करूंगा और १० मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा । अभी मैं यह कह रहा था कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने महरूम हमको कर दिया । अगर उन्होंने अपना विचार प्रारम्भ में ही कह दिया होता तो हमें लाभ होता, लेकिन उन्होंने हमें उससे महरूम रखा । इसलिये मैं चाहता हूं कि वह इस वक्त भी कतई न बोलें । अगर वह नहीं बोलेंगी तो मुझे शिकायत नहीं होगी ।

मैं कह यह रहा था कि अफसरों में गुटबाजी है। एक गुट का अफिसर दूसरे गुट के आफिसर की निन्दा करता है। यह बहुत भयंकर बीमारी है जिसकी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इस अत्यन्त भयंकर बीमारी की वजह से गुटबाजी के कारण प्रशासन नष्ट हो रहा है। आपको वह ठीक करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार फैल रहा है। आपका पी० डब्लू० डी० मुहकमा है। वहां एक एम० ए० मिरजा साहब थे। बड़े ईमानदार इन्जीयिनर हैं। अगर ईमानदार को ईमानदार नहीं कहेंगे तो चोर को चोर नहीं कह सकते हैं। तो एम० ए० मिरजा को क्या किया? दूसरे साहब के० सी० माथुर थे जिनका नाम कहीं भी नहीं आता था। उनको बनाना था चीफ इंजीनियर तो पोलिटिकल तिकड़म हुई। उनको चीफ इंजीनियर टेकनिकल साइड बना दिया गया। अब मुझे सूचना मिली है कि अब मिरजा साहब रिटायर हो रहे हैं तो दूसरे इंजीनियर के० सी० मित्तल उनको आना चाहिये, लेकिन माथुर साहब को चीफ इंजीनियर बनाया जा रहा है और टेकनिकल साइड के चीफ इंजीनियर की पोस्ट को डिमोट करके अब उसको डिप्टी चीफ इंजीनियर बनाया जा रहा है और ऐसा एक षड़यन्त्र चल रहा है। पी० डब्लू० डी० के ऊपर का सारा ढांचा भ्रष्ट हो गया और इस प्रशासन के चौपट होने की वजह चाटुकारिता है। चापलूसी को बढ़ावा मिल रहा है। मैं नहीं समझता कि पी० डब्लू० डी० के चीफ इंजीयिनर और इंजीनियर–इन–चीफ की क्या आवश्यकता थी? क्या इससे घुटन नहीं पैदा होगी नीचे के लोगों में जब उनका प्रोमोशन रुकेगा और क्या उनके कर्तव्य में शिथिलता नहीं आयेगी?

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)––

माननीय रामायण राय जी हाउस में चीफ सेक्रेटरी से बातें कर कर रहे हैं। यह कौन सी व्यवस्था है? यह कांग्रेस का दफ्तर नहीं है। हम इस तरह से यहां जनता के कार्य में गड़-बड़ नहीं बरदास्त कर सकते।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय मैनेजरसिंह जी अपना भाषण जारी रखें। गंगाप्रसाद जी, आपकी बात मैंने सुन ली है, उसके लिये व्यवस्था कर दूंगा।

श्री मैनेजरसिंह––

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो प्रमोशन और बढ़ोतरी सर्विसेज में होती है इससे भ्रष्टाचार फैलता है और प्रशासन पर इसका असर पड़ता है। आपके यहां जगदीश प्रसाद को इंजीनियर–इन–चीफ बनाया गया। उनको इसलिये बनाया गया कि उनके ऊपर एक बड़े नेता का वरद हस्त था। इस कारण वह पद्मश्री से भी विभूषित किये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको जो पद्मश्री से विभूषित किया गया, कौन सी देन हमारे इस प्रदेश के लिये उनकी है? उत्तर प्रदेश में कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया है कि जिससे उनको यह पद दिया गया? कोई काम किया गया हो तो उसको बताया जाय। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये।

कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि बंगाल में उपद्रव हुये और पंजाब में उपद्रव हुये, लेकिन हमारे प्रदेश में बराबर शान्ति रही।

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसका श्रेय उन्होंने यहां के अफसरों की कार्यकुशलता को दिया है। मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे और साथियों ने कहा, कि उत्तर प्रदेश की जनता अपनी जिम्मेदारी समझती है। सारे भारत का भाग्य इस उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर निर्भर करता है। यदि भारत

[श्री मैनेजर सिंह]

के खंड-खंड नहीं हो रहे हैं तो इसका श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को है। मैं इस भावना का विरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश का बटवारा होना चाहिये। हमारे यहां ४।। लाख जनता भोजपुरी बोलने वाली है। हमारी मातृ भाषा भोजपुरी है। तो हम किसी प्रकार से नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसी प्रकार से बटवारा हो। अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे लिये अन्याय की बात होगी। हम इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर को टुकड़ों में नहीं देखना चाहते हैं ताकि हम इस विशाल देश के साथ मिलजुलकर काम करते रहें। हम इसलिये इस उत्तर प्रदेश को एक रखना चाहते हैं ताकि देश और संसार को हम एकता का नमूना दे सकें। इस प्रदेश की जनता समझदार है। जनता के विभिन्न विचारों के नेता और कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं। वे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उनको देश की चिन्ता है। इसलिये बंगाल और पंजाब की तरह से यहां पर घटना नहीं घटी। जो घटना बनारस में हुई वह इसलिये घटी कि लड़कों में जोश आया। स्कूल और कालेजों के लड़के जोश में आये, लेकिन पहले उनकी तरफ से कोई आक्रमण नहीं हुआ। पुलिस के कारण वह घटना घटी। तो उसका उदाहरण पंजाब या बंगाल की घटना से नहीं दिया जा सकता है। छात्रों ने बहुत संयम और विवेक से काम लिया। इससे साबित होता है कि हमारे छात्र अधिक समझदार और विवेकशील हैं बनिस्बत दिल्ली, पंजाब और बंगाल के। इनके अन्दर अधिक राजनैतिक चेतना है बनिस्बत वहां की जनता के। इसलिये यहां पर अमनो-अमान और शान्ति रही। राजा साहब जौनपुर ने बताया कि पुलिस आखिर में गई। बनारस में यातायात का सारा नियन्त्रण अपने आप हुआ। बनारस की संकरी गलियों में एक भी वारदात नहीं हुई और न किसी चौराहे पर कोई घटना घटी। इसका कारण केवल यही था कि हमारे यहां की जनता अधिक विवेकशील और समझदार है। बनारस में दूसरे दिन शान्ति स्थापित हो गई। इससे यह साबित होता है कि प्रदेश के लोग समझदार और विवेकशील हैं, चाहे सरकार हो या न हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कहा गया कि हमारे अफसर बड़े सक्षम हैं। मैं बताऊं कि बेरिया विकास खंड में प्रमुख के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव आया। यहां से एक विधायक गृह मंत्री के लाडले वहां पहुंचते हैं। वह उनके हर काम में साझीदार रहते हैं। गृहमंत्री की साजिश से वह सब अपना काम करते हैं और गुंडों का साथ देते हैं। उन गुंडों का नेतृत्व उन विधायक महोदय ने किया और उनकी वजह से वहां पर उद्दंडता और बदमाशी हुई जिसकी कोई जांच आज तक नहीं की गई और चुनाव नहीं होने दिया गया। चुनाव कराया गया, आप की यह फाइंडिंग है। कलेक्टर ने जांच की। एक प्रमुख ने बताया कि जीप का दुरुपयोग किया गया। उसके बयान आये और वह मंत्री जी ने कमिश्नर के यहां भेज दिये। कमिश्नर आज एक सफेद हाथी है। उस का खर्च आखिर आप क्यों बरदाश्त कर रहे हैं? बनारस के कमिश्नर ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसे दफा ६६ में कार्यवाही करनी चाहिये थी। वह नहीं हुई। तो कितनी आप की एफीशियेन्सी है इसे आप देखिये। आप के तीन डिप्टी कलेक्टर वहां मौजूद रहे लेकिन वहां का एक-एक प्रधान मारा गया। खेतों में घसीट कर ले जाये गये। आपने इस के लिये क्या कार्यवाही की? मैं कहना चाहता हूं कि यहां का प्रशासन पहले से ज्यादा लुंज पुंज हो गया है और मैं फिर कहना चाहता हूं कि यहां का प्रशासन चौपट हो गया है। यह मैं पांचवीं बार कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इन घटनाओं के उत्तर में क्या कहना चाहती है?

यहां का प्रशासन कितना चौपट है इसकी एक और मिसाल मैं देना चाहता हूं। यहां का प्रशासन इतना चौपट है कि अगर उसे आवश्यकता हो तो वह इस देश को भी बेच दे। हमारे यहां के दस गांव यू० पी० में रहें अथवा बिहार में इस से कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन अफसरों की नालायकी और रिशवत आदि इतनी है कि अगर पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देश पास में होते तो वे अपने यहां के गांव उनको बेच सकते थे। हमारे यहां बिहार और यू० पी० का झगड़ा है। हमारे यहां के कितने ही गांव बिहार में जा रहे हैं और वह सब उत्तर प्रदेश के हैं।

सन् ४० के बाद वे कटे हैं। हमारे विभागीय अफसरों की नालायकी के कारण ही यह सारे गांव बिहार में गये हैं। राजस्व मंत्री जो मुस्करा रहे हैं। उन की उम्र मुस्कराने की नहीं है इसीलिये मैंने यह बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि आप के यहां हाकिम परगना गोस्वामी ने रिश्वत ले कर गोपाल नगर के प्यारे की जमीन कटवा दी है, लुटवा दी है और हम बार-बार कहते हैं कलेक्टर से कि गोपाल नगर का नकशा फैला दो, खींच दो रेखा कि वह कितना है, लेकिन उसका जमींदार एस० डी० एम० से मिला हुआ है और उसे लुटवा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब भले ही बड़े निष्पक्ष हों, बड़े काम के हों, लेकिन केवल उनकी लायकी से क्या हो सकता है ? अगर बेईमान अफसर का एक जगह से स्थानान्तरण नहीं हो सकता है तो उसके किये कारनामों केलिये कौन जवाबदेह है ? मैं चाहता हूं कि आप इंक्वायरी करा कर एक लिस्ट बनावें भ्रष्ट अफसरों की और उनको कभी किसी सब डिवीजन का अथवा कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज न दिया जाय।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से माननीय सदस्यों के भाषण बड़े गौर से सुन रही थी। मैंने आप को ज्यादा समय देने के लालच से शुरू में कुछ कहा भी नहीं। एक विषय में मैं कहना चाहती हूं और कल जिसके संबंध में कुछ समय व्यतीत हो गया है और जो मेरे महकमे की गंदगी और नालायकी के परिणाम स्वरूप बतायी जाती है। मैंने ग्रान्ट नं० ९ और १० के संबंध में कोई रिपोर्ट सदन में उपस्थित नहीं की, इसलिये मुझे कल ग्रान्ट पेश करने से रोका गया। मैं उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक नहीं रही इसलिये परम्पराओं का पूरा ध्यान नहीं रख पाती। यह मेरी कमजोरी जरूर है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

एक रूलिंग हो चुकी है १९६२ में कि वह रिपोर्ट पहले आ जानी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

५ साल मुख्य मंत्री जी को इस सदन में रहते हो चुके हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हों तो मैं बिना जवाब दिये हुए ही चली जाऊंगी। कम से कम सेंटेंस तो पूरा होने दीजिये। अगर इतनी कर्टेसी नहीं है कि सेंटेंस भी पूरा हो जाने दें तो दूसरी बात है। खैर, मैंने जाकर देखा। हर विभाग जिसमें डेवलपमेंट ऐक्टिविटी होती है उन सारे विभाग की रिपोर्ट आती है और यह जो विभाग ग्रांट नम्बर ९–१० इसमें सिर्फ परसोनेल और मैनजमेंन्ट का विषय है, इसकी कोई अलग से रिपोर्ट कभी भी नहीं दी जाती। एक चीज बेशक दी जाती है, साल में एक दफा उत्तर प्रदेश की एनुअल रिपोर्ट जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ला ऐंड आर्डर, फाइनेंस के बारे में। उसके बारे में भी बतलाऊं कि जबतक मेरा "नालायक, इन एफिशियेन्ट, गन्दा ऐडमिनिस्ट्रेशन" शुरू नहीं हुआ था, तो ३–४ साल की रिपोर्ट पेश हो जाती थी। मैंने धक्कम–धक्का करके इसको पिछले साल प्रोड्यूस करवाया और पिछले दिसम्बर में वह रिपोर्ट भेज दी गयी, मेम्बरों के बीच में बांट दी गयी। चूंकि कल इतनी बातें कही गयीं, सदस्यों की बड़ी आवाज हो रही थी, मैं थोड़ा दब गयी और मैंने मान लिया कि उसको जल्दी दे दूंगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं विघ्न नहीं डालना चाहता, लेकिन १९६२ में यह व्यवस्था हुई है कि जिस मद पर बहस हो उसका लिट्रेचर पहले आ जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन यह नहीं है कि ग्रांट नहीं पेश होगी। अगर कहें तो रूलिंग पढ़ दूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

नहीं, नहीं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

मुख्य मंत्री झूठ कह रही हैं। मैं रिपोर्ट कमरे से लेकर आऊं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जो रिपोर्ट ऐनुअल दी जाती है वह आज नहीं, दिसम्बर में भेज दी गयी जिसकी बुनियाद पर लोग कहते हैं कि साहित्य नहीं मिलता। मैंने मान लिया था, क्योंकि मेरे मन में आग्रह रहता है कि इन छोटी-छोटी बातों पर उलझन पैदा हो। काफी उलझन गवर्नमेन्ट के सामने है। इसके अलावा यह "संगठन तथा विधि प्रमाण एवं सरकारी दफ्तरों के निरीक्षकालय विभाग का वार्षिक कार्य विवरण" यह पुस्तिका भी एक महीने पहले वितरित की गयी। फिर कल जब यहां हो-हल्ला माल हुआ तो मैं थोड़ा दब गयी और वहीं "नालायक और अयोग्य अफसर" जो सेक्रेटेरिट के हैं उन्होंने कल सारे दिन और सारी रात जागकर यह रिपोर्ट (सदन में दिखाते हुए) तैयार करके दी है। यह उनकी इनएफिश्यंसी का द्योतक है या एफिश्यंसी का द्योतक है, यह मैं मेम्बरान पर छोड़ती हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

पहले इनएफिश्यंट थे, अब एफिश्यंट कहे जायेंगे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

क्या यह सही है कि वह रिपोर्ट जो दिसम्बर में वितरित की गयी वह अंग्रेजी में थी, हिन्दी में नहीं थी? वह रिपोर्ट अंग्रेजी में भेजी गयी थी। माननीया मुख्य मंत्री का विभाग हिन्दी में काम करने में असमर्थ है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती हूं। अपनी तरफ से प्रयास यही रहता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर उलझन में न माननीय सदस्यों का समय व्यर्थ हो, न हमारा व्यर्थ हो। काम बहुत है, उसी में मैं लगी रहती हूं। हां, अगर हमारी तरफ से काम में कमी है तो मैं पूरा करने के लिये तैयार हूं। कल इतनी बात कही गयी तो रातों रात बैठ कर रिपोर्ट बनायी है। मैं सब अफसरान और क्लर्क, पियन जिन्होंने यह काम किया है उन सब को धन्यवाद देती हूं।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बात करने में दिक्कत इस बात की है कि पहले राज्यपाल जी के भाषण के ऊपर जनरल डिस्कशन के अवसर पर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सारी बातें करीब-करीब आ गयीं। इसलिये मैंने सोचा था कि सभी बातों का जवाब एक साथ दे दूंगी, इसीलिये कल इस डिस्कशन में भाषण करने की जरूरत नहीं समझी।

मैं चन्द बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं। ऐडमिनिस्ट्रेशन की एक समस्या है। काम कैसा किया, अच्छा या बुरा, उसकी मोटी-मोटी बातें देना चाहती हूं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा भारी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। आज हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश में साढ़े पांच लाख आदमी हैं जो गवर्नमेन्ट से संपर्क रखते हैं। आज से १० साल पहले इतना बड़ा नम्बर नहीं था। यह प्रान्त जो सवा सात करोड़ की आबादी का बड़ा भारी प्रान्त है उसमें इतनी बड़ी संख्या कर्मचारियों की है। उन सब को संगठित रख कर, उन सब को डाइरेक्शन देकर, उनको नियंत्रण में रख कर, काम करना कोई आसान काम नहीं है। अगर सब बातों को ध्यान में रख कर हम विचार करें तो हमें मालूम होगा कि काफी काम

हुआ है। (व्यवधान) हम तो बहुत नालायक हैं, गन्दे भी हैं और थोथे भी हैं मगर कृपया सुनने की कृपा करें।

जहां पर डेमोक्रेटिक ढांचा होता है वहां पर काम करने में कुछ कठिनाइयां भी अधिक होती हैं। डेमोक्रेटिक फंकशनिंग में गवर्नमेन्ट की पालिसी और उसके डाइरेक्शन्स को समझने की जरूरत होती है और उसमें सहयोग देने की जरूरत होती है तभी हम सफल हो सकते हैं। हमें जो डिसीशन लेना होता है वह एक डेमोक्रेटिक ढांचे में रह कर, एक तरफ जनता के प्रतिनिधियों की बात सुनकर दूसरी तरफ गवर्नमेन्ट को जो चलाने वाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बात सुन कर, लेना होता है। दोनों की बातों को सुन कर बीच का रास्ता हमें निकालना होता है। दोनों के सहयोग से काम लेना होता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही विषय पर एक व्यक्ति कोई बात कहता है, दूसरा व्यक्ति उसी विषय पर दूसरी बात कहता है, दोनो ही जनता के प्रतिनिधि हैं, ऐसी सूरत में हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सी बात ठीक है, क्योंकि हर आदमी अपने दृष्टिकोण से, अपने इन्टरेस्ट से कोई बात कहता है।

बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि हम ट्रांसफर कर देते हैं। सही बात है। जब माननीय सदस्य आकर मुझसे कहते हैं कि फलां आदमी का ट्रान्सफर किया जाय, उसका काम बहुत खराब चल रहा है, तो हमें ट्रान्सफर करना पड़ता है। बहुत बार ट्रान्सफर रोकने के लिये भी आग्रह किया जाता है। हमसे कहा जाता है कि फलां आदमी के ट्रान्सफर से हमारे जिले का काम खराब हो जायगा, उसको हमें रोकना भी पड़ता है। कभी-कभी तो प्रोमोशन भी रोकना पड़ता है क्योंकि माननीय सदस्यों के आग्रह पर उनको ट्रान्सफर नहीं किया जाता। मगर यह सोचना कि अगर माननीय सदस्य बीसों बातों को कहते हैं तो वह सभी मान ली जायं, यह तो सम्भव नहीं है, और न हो सकता है। जिसका काम नहीं होता वही दोषारोपण करने लगता है, इन्टरफ्रान करने लगता है।

हमारे यहां नयी डेमोक्रेसी है, नयी परम्परा पड़ रही है। हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उसी नयी परम्परा में ढालना है। यह कोई आसान काम नहीं है। एक सामन्जस्य का वातावरण निकाल कर हमको काम करना होता है। साढ़े ५ लाख कर्मचारी सरकार में काम करते हैं। विकास के जो काम पिछले वर्षों में तेजी से हो रहे हैं उनके कारण बहुत से लोगों को रिक्रूट करना पड़ा है। उनकी ट्रेनिंग पुरानी नहीं है, वे नये लोग हैं। जितना कम है वह आपके सामने है। इतना काम होने के बावजूद भी, जितना सम्भव हो सकता है, हम उनको ठीक से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इतने अधिक जहां आदमी होते हैं और जहां ५४ जिले हैं वहां अफसर भी ज्यादा रखने पड़ते हैं। पहले अफसरों का काम केवल ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करना था, अब उनके पास डेवलपमेन्ट ऐक्टिविटीज का भी काम है। आज उन्हें देश की सेवा की भावना को लेकर काम करना है। परन्तु उनके आउटलुक में परिवर्तन मेरे कहने से नहीं होगा। मैं यह कह सकती हूं कि जो मेम्बरान बड़ी जिम्मेदारी से चलते हैं जरूर उनके सामने अफसर झुकते हैं और जहां झगड़ा है वहां नहीं झुकते हैं। हमें भी देखना है कि हम अपने तर्ज तरीके कैसे रक्खें। मैंने पिछली दफा यहां कहा था कि यहां क्राइसिस आफ कान्फीडेन्स हो सकता है। इसको हमें सुधारना है। जहां खराब वातावरण बनता चला जाता है उसको हमें सुधारना है। मैंने कुछ प्राबलम्स आपके सामने रक्खी हैं। इन समस्याओं को सामने रखकर हमने कुछ काम किया है। जो बड़ा भारी ड्राट आया उसका भी हमने मुकाबिला किया। पाकिस्तान का झगड़ा हुआ। मैं इसके लिये देश के लोगों को भी क्रेडिट देना चाहती हूं कि लोगों ने भी यूनिटी का वातावरण बनाया। इसके लिये यह कहना कि लोगों को ही क्रेडिट है और गवर्नमेन्ट का कुछ हाथ नहीं, यह ठीक नहीं है। गवर्नमन्ट को इसके लिये काफी ध्यान रखना पड़ा।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

हमारा बड़ा भारी स्टेट है। इसके फाइनेन्शियल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है। यह स्टेट रिसोर्सेज कैसे पैदा करे? केन्द्रीय सरकार के फाईनेन्शियल क्राइसेस की वजह से हमारे स्टेट में भी कमी हुई। उसको भी हमें सोचना था।

कुम्भ मेले की बात मैं बार-बार नहीं कहना चाहती। बावजूद इतनी आलोचना के जो शंशा आती है उसका मुकाबिला करके हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ता जाता है। डेफाल्टेन्सी की बहुत बातें कही जाती हैं। मैं बहुत बातों का क्लेम नहीं करना चाहती पर किसी को बार बार कहा जाय कि तुम बिलकुल नालायक हो तो उसके लिये कहना ही पड़ता है। सेक्रेटेरिएट को स्ट्रीमलाइन किया गया। मैं बार-बार इसे नहीं कहना चाहती। कहा जाता है कि अगर देरी न हो तो काम ठीक हो सकता है। देरी को कैसे घटाया जाय उसके लिये हमने यहां एक सिस्टम निकाला है। इन्कमिंग लेटर्स को प्राइमेरी और सेकेन्डरी करके डिस्पैच हो। इससे देरी नहीं होगी। इसमें जो प्राइमरी फाइल्स थी उसमें १,९९,९०० रिसीट्स थीं। डिस्पोजल उसके ऊपर है। पुरानी थीं उसमें डिस्पोजल हुआ और जो करेन्ट थीं उनमें भी डिस्पोजल हुआ। पुरानी फाइल्स जो डिस्पोज आफ हुई हैं वह ३५ हजार थीं उसमें बारह हजार करेन्ट थीं।

कोर्ट्स का डिस्पोजल जल्दी हो उसके बारेमें ज्यादा शिकायत की जाती है। यहां चीफ जस्टिस गजेन्द्र गड़कर आये थे उनसे बातचीत हुई थी और कोशिश की जा रही है कोर्ट्स के काम को आगे बढ़ाने की। क्विकर डिसपोजल का यह है कि पहले तीन महीने से पुराने ७४५६ केसेज थे और अब ४२२८ रह गये हैं। इसी तरह हर जगह कोशिश की जा रही है। सेक्रेटेरियेट में कुछ ज्यादा अफसर थे, उन्हे थोड़ा घटाया।

ऐडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिये कुछ बुनियादी बातें देखनी होती है। मैं अमरीकन ऐडमिनिस्ट्रेशन पर आर्टिकिल पढ़ रही थी जो बहुत बढ़ा हुआ माना जाता है। पार्किन्सन्स थ्योरी के अनुसार जितना गवर्नमेन्ट बढ़ती जाती है उतनी ही उसमें स्लगिशनेश बढ़ती जाती है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी बढ़ती है और उसकी गति में मन्दता जरूर आ जाती है। यह समस्या सारी दुनिया के ऐडमिनिस्ट्रेशन के सामने है और हमारे सामने भी है। मन्दता को चेक करने के लिये पावर का डिसेन्ट्रलाइजेशन और डेलीगेशन होता है। जो हुकुम ऊपर से हो वह जल्दी नीचे पहुंचे और उस पर ठीक से अमल हो। सरकारी कानून हैं। जिसका जिक्र रियासत हुसैन जी ने किया उसको मैं जानती हूं। वह केस मेरे सामने आया। उसमें मैंने एकमुश्त रुपया भी भेजा कि उन्हें कुछ मदद हो जाय। फाइनेंशल हैन्डबुक को हम रिवाइज करा रहे हैं, उससे बहुत आसानी हो जायगी। २०० साल से गवर्नमेंट चल रही है, तरह-तरह के फार्म्स बन गये हैं। उनमें सिम्पलीफिकेशन किया जा रहा है और उनकी तादाद घटाई जा रही है। १००० फार्म्स खत्म करने का हुकुम दे दिया गया है और ३०० का सिम्पलीफीकेशन करने का हुकुम दे दिया गया है। और भी सिम्पलीफाई करने की कोशिश की जा रही है। फाइल्स के डिसपोजल का कुछ अजीब तरीका चला आ रहा है कि पहले रेफरेंस क्लर्क के पास जाय, फिर डीलिन्ग क्लार्क के पास, इसी तरह बहुत समय लगता था। उसका तरीका हमने बहुत कुछ बदल दिया है और फाइल्स का डिसपोजल अब बहुत जल्दी हो रहा है।

आडिट रिपोर्ट के ऊपर सटेबिल ऐक्शन के बारे में लोगों ने कहा। आडिट रिपोर्ट आने पर सारे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज सोच विचार करते हैं। जो लोग पी० ए० सी० के सदस्य हैं उनको मालूम होगा कि अब हमारे सेक्रेटरीज ज्यादा तैयार होकर जाते हैं। हमारा प्रयास है कि आडिट आब्जेक्शन पहले ही दूर कर दिया जाय। ओ० एम० सेक्शन ने भी काम ठीक करने की कोशिश की है। इन्सपेक्टर आफ आफिसेज की ओर से हेडस आफ डिपार्टमेंट को कहा गया है कि टूर ज्यादा करें और स्वयं चीजों को देखें। नवलकिशोर जी ने भी कहा कि कौन अफसर कितने दिन रहा। सेक्रेटेरियेट में अफसर बहुत समय से हैं, उन्हें जिला में जाना चाहिये। आदान प्रदान रहना चाहिये। इसीलिये जो यहां ५ साल से

ज्यादा से है उन्हें हटाने का प्रयास किया गया और उनकी जगह पर दूसरे लाये। इस समय सेक्रेटरियेट में ४, ५ आदमी के सिवाय कोई ५ साल से ज्यादा का नहीं है। उनको भी ५ साल के ऊपर कुछ महीना ही हुआ है। डिस्ट्रिक्ट्स में नीचे के अफसरों का मुझे ध्यान नहीं है। डी० एम० के बारे में भी मैंने देखा। एक आदमी के सिवाय कोई ३ साल से ज्यादा का नहीं है। फिर प्लानिंग का काम है। दिल्ली में जाकर उसे प्लीड करना होता है। हम प्लानिंग कमीशन के सामने गये, उन्होंने कहा कि अब की बार आप की अच्छी से अच्छी तैयारी हुई है, फाइनेंस कमीशन के सामने भी हम गये तो उन्होंने भी कहा कि आपका मेमोरेन्डम बहुत अच्छा है एक स्टेट का, और अच्छा है, बाकी आपका सब से अच्छा मेमोरेन्डम है। जब हमारे अफसर लोग जी जान से कोशिश करें, हर तरह से प्लान के कामों को आगे बढ़ाये और अथक परिश्रम करके वह हमारी गाड़ी चलाते हैं, कई अफसरों की तो दिन रात काम करने से हेल्थ भी खराब हो गई उनके बारे में हम कभी-कभी सोचते हैं कि जैसे अंग्रेज लोग अपने जमाने में रिलेक्सेशन के लिये छुट्टी लेते थे वैसे ही इनके लिये हम भी कुछ कायदे बनायें ताकि वह भी अपने कठिन परिश्रम के बाद हेल्थ मेकअप कर सकें। कुछ उनको रिलेक्सेशन हो जाय। तो हम अब हर तरह से स्ट्रीमलाइनिंग करके काम को तेजी से करा रहे हैं और हमारे अफसर मेहनत से काम करते हैं। कोई एक आध ब्लैकशीप हों तो मैं नहीं कहती, लेकिन ज्यादातर लोग मेहनत से काम करते हैं। अगर कोई शिकायत की बात किसी में है तो उसकी जांच की जाती है और सजा भी दी जाती है, लेकिन सब को कह देना कि कोई काम नहीं हो रहा है यह मुनासिब बात नहीं है।

करप्शन के बारे में भी कहा गया। करप्शन जरूर है, मैं नहीं कहती कि करप्शन बिलकुल नहीं है। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों से मैं क्या कहूं यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने दोनों तरफ के करप्शन की तरफ हमारा ध्यान दिलाया, लेकिन जरा सोचिये कि हम लोग इस प्रदेश के भाग्य विधाता बने हैं और हम लोग इस देश के नेतृमंडल में है और अगर हममें ही एक स्वच्छ कानशेंस की कमी है, अगर हमारे ही वोट बिक सकते हैं तो क्या आप समझते हैं कि करप्शन नीचे बिलकुल नहीं रहेगा? दस पांच रुपया देकर मामूली वोटर को खरीदने की बात को जाने दें, लेकिन यहां सूझ-बूझ वाले लोग बैठे हैं और जब खुले आम वोट बिकने की बात होती है और इस तरह से दलों में क्राईसिस हो रहा है तो करप्शन कोई कहने से नहीं चला जायगा न शोर मचाने से जायगा। सब को सोचना चाहिये कि वह कैसे हटे और पहले अपने को ही कैसे ठीक किया जाय। करप्शन दूर करने का तरीका यह है कि पहले खुद मिसाल पेश करो और ऐसा आचरण करो कि लोग आप के रास्ते पर चलें। दूसरे, हमारे रेगुलेशन्स ऐसे बनें कि उनमें फिर करप्शन की बहुत ही कम गुन्जायश रहे और कन्डीशन्स पैदा हो जायं कि किसी की हिम्मत ही न हो कि वह गलत तरीके अख्तयार करें। तीसरा तरीका है दंड का और कोई चौथा रास्ता नहीं है। इन चीजों की तरफ हमारा आप का सब का ध्यान जाना चाहिये तभी समाज से करप्शन जा सकता है। अगर देश में या प्रदेश में व्यापक रूप से करप्शन है जो डंके की चोट पर चिल्लाने से वह दूर न होगा लेकिन इसके लिये बड़े-बड़े जिम्मेदार लोगों को बैठकर सोचना होगा कि इस बुराई को कैसे दूर किया जाय। अगर ऊपर का आदमी १० रुपया लेगा तो नीचे का आदमी जरूर २० रुपया लेगा। ऊपर के लोग ही पहले इस दरवाजे को बन्द कर सकते है। फिर भी हम जो प्रयास कर रहे हैं उसके अनुसार पिछले साल विजिलेंस कमीशन के पास १५४ केस आये और उन्होंने उसमें से ३३ केस ऐक्शन के लिये भेजे और उन पर ऐक्शन लिया जा रहा है। सी० आई० डी० के पास १४८ केस गये उसमें से ४२ के खिलाफ सी० आई० डी० ने ऐक्शन के लिये रिपोर्ट किया। ११ केस ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने गये जिनमें ५ में सजा भी दी जा चुकी है और ६ ऐक्शन के लिये गये। यह सब किया जा रहा है, लेकिन करप्शन घट रहा है या बढ़ रहा है इसको क्लेम करना तो कठिन है थोड़े से आंकड़े में दूंगी कि बड़े अफसरों के खिलाफ जो शिकायतें आती है

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

उनकी अगर मासिक फेहरिस्त आप देखें तो उनकी तादाद भी घटती जा रही है। उनकी संख्या रही जनवरी में ५३, फरवरी में ४९, मार्च में ५७, अप्रैल में १७, मई में १४, जून में १२, जुलाई में १०, अगस्त में १३, सितम्बर में ५, अक्तूबर में १९, नवम्बर में ११ और दिसम्बर में केवल ४। यह फिगर पिछले साल के है। मैं इससे कोई क्लेम नहीं करती कि वह दूर हो गया, लेकिन वह कम होना चाहिये इसमें दो राय नहीं है।

दूसरी बात एकोनामी की है। यह बड़ा मुश्किल काम है। इसमें मुख्तलिफ बातें कहीं गई और कहा गया कि लोगों को निकाला जाता है। हम जानबूझ कर किसी को नहीं हटाते, लेकिन जब हम किसी की जरूरत से ज्यादा समझते है तो हमें देखना होता है कि क्या किया जाय। इधर के किसी माननीय सदस्य ने कहा कि जो लोग रिडन्डैन्ट है उन्हें निकालो, लेकिन अगर उनको निकाल देते हैं तो फिर काले बिल्ले लगाकर घूमने लगते है। हमारी तो यह इच्छा है कि जो रिडडेन्ट लोग हैं उनकी एक फेहरिस्त बन जाय और जो और जगहे हों उनको उन पर लगा दें। किसी न किसी तरह से खर्चा तो कम किया जाय। इसका हमने निरन्तर प्रयास किया और कर रहे है। अभी हमने ४ या ४ १/२ करोड़ रुपये बचाने का प्रयास किया है और ३ करोड़ रुपये का खर्चा घटाने का और प्रयास है। इसकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। दूसरे, जो भी पब्लिक एकाउन्टस की सिफारिशें हैं और जो उनके सुझाव हैं, उनको ध्यान में रखकर हमने उन्हीं लाइन्स पर चलने का प्रयास किया है।

फिर यहां पर यू० पी० के ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्च के बारे में कहा गया कि यह बहुत अधिक है। मैं ज्यादा आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन यह कहना चाहती हूं कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में खर्चे का परसेन्टेज बहुत कम है। यहां पर परसेन्टेज टोटल रेवेन्यू और एक्सपेन्डीचर से ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा इस प्रकार आता है—

१९६१–६२ में	१५.९१
१९६२–६३ में	१६.३१
१९६३–६४ में	१४.९२
१९६४–६५ में	१३.७

तो मतलब यह है कि उसका एवरेज १२.९५ खर्चा आता है। हमारी जो दूसरी स्टेट्स हैं, उनका खर्चा कहीं अधिक है।

दूसरी समस्या हमारी यह है कि बड़े-बड़े अफसर दिल्ली चले जाते हैं। कहा जाता है कि उनको क्यों न बुलाया जाय। उनको वहां पर ४ साल रहना चाहिये। हमारे यहां से दिल्ली में ९३ आफिसर भेजने का नियम है, लेकिन वहां पर इस समय हमारे १०८ अधिकारी हैं। उनमें से बहुत से अधिकारियों को जब वापिस बुलाने के लिये कहा जाता है तो वे वापिस आना पसन्द नहीं करते हैं। दूसरे दिल्ली की सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, यह हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। यही नहीं वे खास-खास आफिसर्स को लेना चाहती हैं और हमें बड़े दुख के साथ उन्हें देना पड़ता है और हमें अपना काम चलाने के लिये नये-नये आफिसरों को ट्रेन करना पड़ता है, जिम्मेवारी लेने के लिये।

यहां पर कमिश्नरी बन्द करने की बात कही गयी। पहले हमारे यहां पर ८ कमिश्नरियां थीं। दो स्थानों पर झांसी और कुमायूं में कमिश्नर नहीं थे। अब १० जगहों पर कमिश्नरर्स हैं। सारे हिन्दुस्तान में कोई ऐसा बड़ा प्रान्त नहीं है। प्रदेश में जगह जगह पर समस्या पैदा होती है। अगर हमें इन्सट्रक्शन्स भेजनी होती है और अगर कमिश्नर न हों तो ५४ जिलों में भेजनी पड़ेगी। और कुछ कहना होगा तो भी सभी को बुलाकर कहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कमिश्नर्स को हमने डेवलपमेंट का काम भी सुपुर्द किया है कि वे इसको अधिक

से अधिक करें। वे लोग काफी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। आजकल फैजाबाद में जो नये कमिश्नर गये हैं उनके कारण वहां के काम में हमें नित्य प्रति प्रगति दिखायी देती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उनको जुडिशियल काम न देकर डेवलमेंट का काम दीजिये। हमें तो कोई प्रगति दिखायी नहीं पड़ती है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

हमें तो दिखायी पड़ती है। मैं तो कहूंगी कि विरोधी दल के माननीय सदस्य मेरे साथ चलें और देखें कि इलाहाबाद या अन्य स्थानों में छोटे उद्योगों का विकास, छोटी सिंचाई का विकास हुआ है या नहीं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

कृपया आपही देख लें। आपको विश्वास हो जायगा कि हमारा कहना ठीक है या गलत ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्लानिंग आफिसर की बात कही गयी कि वह करप्ट है। करप्शन की बहुत सी बातें कही गई। मैं कहना चाहती हूं कि जब इरोजन आफ सोशल कांसेशनेस अगर हो तो उस हालत में करप्शन रोकना बड़ा मुश्किल है। हम सब की जिम्मेदारी आती है कि उसको रोकें। एक बात मुझे दुख के साथ कहनी पड़ती है कि अंग्रेजों के जमाने में कोई ह्यूमेन डिस्ट्रेस की बात होती थी तो उस समय हम अंग्रेज के विरोधी थे, लेकिन लोगों की हम लोग जा कर सेवा करते थे। अभी मैं उदाहरण देती हूं इलाहाबाद में तकलीफ है, मेजा और करछना में ही नहीं और भी तहसीलों में है, मिर्जापुर में तकलीफ है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर डाल दी जाती है, ठीक है। लेकिन पब्लिक सर्वेन्टस को भी तो सेवा करनी चाहिये। आप को याद होगा कि बिहार में जब भूकम्प आया तो अंग्रेज सरकार ने राजेन्द्र बाबू को छोड़ा और उन के साथ हम लोगों ने जाकर काम किया। अब यह है कि काम का जिम्मा तो गवर्नमेंट का है, लेकिन जन सेवक अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते। ह्यूमन मिजरीज पर पोलिटिकल ऐक्सप्लायटेशन होता है जो अनुचित है, नहीं होना चाहिये।

एक तरफ क्रिटिसिज्म होता है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है मेरे लिये कहा जाता है कि मैं कठपुतली हूं, पर साथ ही साथ कहा गया कि हर काम में पोलिटिकल इंटरफीयरेंस हो रहा है। अब इन दोनों बातों में मेल कहां बैठता है आप स्वयं फैसला कर लीजिये। दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हैं या नहीं ?

माननीय नेकराम जी ने १९५३ की मेरी कोई स्पीच कोट की। १९५३ और १९६६ में अन्तर भी होता है। माननीय नेकराम जी जब कांग्रेस में थे तब के और आज के उन के भाषणों को देख लिया जाय, कितना दोनों में अन्तर है। माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन मेम्बर होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन का समय १५ मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हमने कहा था जब मैनेजार सिंह बोल रहे थे कि इनको बोलने दीजिये और माननीया मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन अब समय बढ़ाया जा रहा है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

पब्लिक सर्विस कमीशन में वेकेन्सी हुई है। मैं चाहती हूं कि वहां कोई हरिजन मेम्बर हो। उस बारे में हम लोग छान बीन कर रहे हैं। माननीय नवल किशोर जी ने कुछ कांस्ट्रक्टिव बातें कहीं हैं, कुछ का जवाब तो मैंने दे दिया है और कुछ का जवाब देने की मुझ में ताकत नहीं है।

माननीय त्रिपाठी जी ने कुछ बातें कही हैं और पोलिटिकल ट्विस्ट देने की कोशिश की। मैं कहना चाहती हूं कि उस बारे मे मुकदमा चल रहा है जब फैसला होगा तो पता चल जायगा कि पोलिटिकल बातें है या कोई और बातें हैं। केस सबजुडिस है इसलिये मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं। मुझे एक बात का दुख है कि मेंहदावल में एक बी० डी० ओ० हैं उनके ट्रान्सफर के बारे में कहा गया। पता नहीं त्रिपाठी जी को क्या परेशानी है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह आपके इलेक्शन में आपके साथ साथ चलते थे। आपके इंफ्लुएंस से वह उस लोकेलिटी को तबाह कर रहे हैं। बंशीधर पांडेय ने कहा था कि वह उनको ट्रान्सफर कर देंगे, लेकिन नहीं किये गये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ट्रान्सफर होते रहते हैं। मुझे खयाल है कि वह ज्यादा एफिशियेंट है, काम अच्छा करते हैं और उनसे ब्लाक में प्रगति हुई है। मेरे विरोध में एक जनसंघी वहां है और उनको डर है कि उनके रहने से उनको नुकसान पहुंचेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हुकुम सिंह साहब ने एक दफा कहा था कि इस आदमी को न ट्रांसफर कीजिये। बहुत अच्छा है तब माननीय मुख्य मंत्री ने जवाब दिया था कि बहुत अच्छा है तो दूसरे जिले को लाभ उठाने दीजिये। इस समय दूसरी बात कह रही हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बात कड़ुवी होती है तो बुरी लगती है। ऐटा के इलेक्शन का बहुत जिक्र हुआ। बंशीधर जी ने बतला दिया है कि डेट भी डिक्लेयर हो गयी है और इलेक्शन का प्रोग्राम भी तय कर दिया गया है। मैनेजर सिंह ने बहुत सी बातें कहीं। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि हाउस में अफसरों का नाम लेकर तारीफ करना या निन्दा करना उचित नहीं है। जनरल टर्म्स में जो कुछ कहना हो कहना चाहिये। यह कहा गया कि बी० बी० लाल क्यों चले गये। वे काफी बीमार थे और यू० एस० ए० में उसका ट्रीटमेंट होना था। वह चाहते थे कि वहां उनका लड़का पढ़ता है और वह वहां जायं और इलाज करायें और जब ऐसा अफसर आ जायेगा तो बहुत अच्छा काम उसे मिल ही जायेगा।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन की बात कही गयी। नवल किशोर जी ने कहा था कि सारी जगहें आई० ए० एस० को नहीं देनी चाहिये। टेक्निकल आफिसर की भी इज्जत करनी चाहिये और उनको हेड आफ दी डिपार्टमेंट बनाना चाहिये और इसीलिये यहां टेक्निकल आदमी रखा गया, हालांकि आई० ए० एस० आफिसर्स ने काफी विरोध किया था।

जगदीश प्रसाद जी के लिये कहा गया कि क्यों पद्मश्री दिया गया। मुझे कहना पड़ता है कि उनका काम बहुत अच्छा है और उनका क्रेडिट उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, दूसरे प्रदेशों में भी है। उनका अच्छा केलिबर है, अच्छा एक्सपीरियंस उनको है।

राम सुन्दर पांडेय जी ने बहुत सी बातें कहीं और क्रोध में यह भी कहा कि ईमानदार आदमी बिना दोष के काले पानी भेज दिये जाते हैं, फांसी उनको दे दी जाती है। पता नहीं किस को कालेपानी भेजा गया, वह सिस्टम ही बदल दिया गया है ? फांसी किसे मिली मुझे नहीं मालूम।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

सुनने को तैयार हों तो प्रमाण दूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बड़े कांफिडेंट हो कर उन्होंने कहा कि फलां मिनिस्टर को निकाल देना चाहिये, लेकिन कुर्सी से हटा दिये जाने का डर है जिसकी वजह से नहीं हटाती है। कुर्सी का डर होता है तो पहले भी यही कहा जाता था कि ३ महीने से ज्यादा कृपालानी रहने वाली नहीं है, तभी न डरी, तो अब क्या डरूंगी ?

हां यह ठीक है कि एक, दो जगह चीजें खराब हैं ? करप्शन भी है मगर जो रेकार्ड आफ अचीवमेंट थर्ड प्लान का है वह कभी पहले नहीं हुआ। इस अचीवमेंट को जो काला चश्मा लगा रखेंगे, देखना नहीं चाहेंगे उनको क्या जवाब दूं। (शोर) मैंने रेकार्ड आफ अचीवमेंट के आंकड़े बताये हैं। आन दि होल डिस्कशन में भाषण जरा नरम टोन में थे। रेकार्ड आफ अचीवमेंट अगर खराब होता तो गरमी होती। मैं उन माननीय सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने डिस्कशन में भाग लिया है और मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मंत्री ने सरचार्ज लेवी और भूमि भवन कर वापस लेने के बारे में कुछ नहीं कहा। केवल मेंहदावल के बी० डी० ओ० के बारे में कहा और जितने प्वाइन्ट रेज किये उन में ७५ फीसदी का जवाब नहीं दिया। सरचार्ज लेवी और भूमि भवन-कर वापस लेने के लिये नहीं कहा इसलिये हम लोग सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं कहता हूं कि आप सब मिलकर इनको हटाइये। जब तक हरगोविन्दसिंह, होम मिनिस्टर नहीं हटेंगे तब तक इनके राज्य में कुछ होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,५५,९८,००० रुपये की मांग वर्ष, १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १०—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ९,९५,३०,५०० रुपये की मांग वर्ष १९६६—६७ के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१७ मार्च, १९६६।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३० पर)

दिनांक ३०-७-६४ के अतारांकित प्रश्न सं० २० के उत्तर में दो तालिका के सन्दर्भ में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर, आजमगढ़ तथा देवरिया जिलों में उन उद्योगों की सूची जो स्थापित हो चुके हैं, निम्नांकित है :—

जिला गाजीपुर

१—फल संरक्षण
२—जूते एवं चप्पल बनाना
३—प्लास्टिक के खिलौने
४—हैन्डलूम कपड़ा बनाना
५—हड्डी की खाद
६—साबुन बनाना
७—लौह ढलाई
८—कोल्ड स्टोरेज
९—कृषि यन्त्र
१०—खंडसारी
११—साइकिल के पुर्जे

जिला देवरिया

१—कृषि यंत्र
२—अलमूनियम के बर्तन
३—गृह निर्माण लोह सामग्री
४—चीनी मिलों के पुर्जे आदि निर्माण हेतु सहायक उद्योग
५—हस्त निर्मित कपड़ा
६—बेंत उद्योग
७—जूट की रस्सी
८—ब्रुश बनाना
९—चर्म शोधन
१०—जूते

जिला आजमगढ़

१—खंडसारी
२—कोल्ड स्टोरेज
३—टाट पट्टी और सुतली
४—कृषि यन्त्र
५—आइरन फाउन्ड्री
६—बर्फ बनाना
७—दरी एवं निवाड़
८—साबुन
९—साइकिल के पुर्जे
१०—जूते

दिनांक ३०-७-६४ वाली तालिका में उल्लिखित शेष उद्योग स्थापित न होने का कारण यह है कि उद्योगपतियों (इन्टर प्रेनियर्स) ने इनको खोलने में रुचि नहीं दिखाई।

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १६–१७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३० पर)

थानाध्यक्ष, महराजगंज, जिला आजमगढ़ द्वारा जिन व्यक्तियों के बयान लिए गए उनके नाम—

१—भोला, पुत्र सुन्दर यादव निवासी चकराम नगर, थाना महराजगंज, आजमगढ़ ।

२—सत्य नरायन तिवारी, पुत्र सम्पत्ति तिवारी, निवासी सरदहा बाजार, थाना महराजगंज, आजमगढ़ ।

३—इन्द्र सेन सिंह, पुत्र लल्लन सिंह, निवासी भीलमपुर, थाना महराजगंज, आजमगढ़ ।

४—ठाकुर राम, पुत्र अछैवर राम, निवासी परसौली, थाना बिरनो, जिला गाजीपुर ।

५—रामबली दुबे, पुत्र विन्ध्याचल दुबे, निवासी शेरपुर ।

६—श्री कृष्ण दुबे, पुत्र मिट्ठू दुबे, निवासी मउबारी थाना तरबा, जिला आजमगढ़ ।

७—वंशराज, पुत्र दल सिंगार मुराब, निवासी मेउड़िया ।

८—रघुनाथ सिंह, पुत्र दल सिंगार, नि० औसानपुर थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

९—सिधारी बरई पुत्र शिवबरन बरई, निवासी जमालपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१०—मारुफ पुत्र झिन्नू हज्जाम, निवासी जैतपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

११—बेचई राम यादव, पुत्र जीयन राम यादव, निवासी मुहब्बतपुर, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ ।

१२—सहदेव, पुत्र उमराव कान्हूं, निवासी जमीरपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१३—राम प्रसाद सिंह, पुत्र गायत्री सिंह, निवासी जमीलपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१४—राधेश्याम तिवारी, पुत्र पृथ्वीपाल तिवारी, निवासी शेरपुर मड़ई, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

सर्किल इन्स्पेक्टर, मऊ द्वारा जिन व्यक्तियों के बयान लिए गए उनके नाम

१—चन्दी सिंह, पुत्र बद्रीनाथ सिंह, निवासी रायपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

२—राम प्रसाद सिंह, पुत्र गायत्री सिंह, निवासी जमीलपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

३—बंधारी सिंह, पुत्र खुनखुन सिंह, निवासी रायपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़।

४—नम्मू सिंह, पुत्र रामारूप सिंह, निवासी जमीरपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

५—नगेसर कहार पुत्र खेलावन कहार, निवासी परशुरामपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

६—राम सबद यादव, पुत्र बट्टू यादव, निवासी जमालपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

७—मुहम्मद अतीक, पुत्र मुहम्मद मजहर फारुकी, निवासी सरायकाजी, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

८—मारुक पुत्र झिन्नू निवासी जैतपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

९—सहदेव, पुत्र उमराव, निवासी जमीरपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१०—सिधारी बरई, पुत्र शिवबरन बरई, निवासी जमालपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

११—रतन, पुत्र मंगरु, निवासी सरायकाजी, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१२—गुलाब चन्द्र, पुत्र किशोरी, निवासी जमीलपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१३—हरदेव चमार, पुत्र रघुनाथ, निवासी काजी सराय, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१४—रामसूरत सिंह, पुत्र बद्री नरायन सिंह,, निवासी जमालपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१५—शिव हरिजन, पुत्र सुखई ,निवासी सराय काजी, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१६—बाबूराम यादव, पुत्र जुगनू, निवासी जमालपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१७—रमाशंकर लाल पुत्र राज किशोर लाल, निवासी परशुरामपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

१८—रावेश्याम तिवारी पुत्र पृथ्वीलाल तिवारी, निवासी शेरपुर मड़ई, थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ ।

१९—रामलगन सिंह, पुत्र राजकुमार सिंह, निवासी भीलमपुर, थाना महराजगंज, जिला आजमगढ़ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३२ पर)

नकल रपट नं० १६ समय १०.३० बजे रो० आ० तारीख १८-६-६५, थाना तुलसीपुर, जिला गोंडा ।

इत्तला बाबत लावारिस लाश, इस समय रामप्रसाद चौकीदार, साकिन वेइली, थाना स्थानीय व हाजिरी थाना इत्तला किया कि मौजा नैकौनिया के पास रास्ते पर एक लाश पड़ी है । प्रधान के सुपुर्द करके आया हूं । लाश मर्द की है । फौती का कारण नहीं मालूम होता है । हस्ब बयान चौकीदार रपट दर्ज हुई । एच० सी० शिवपूजन पांडे बगरज लेने पंचायत नामा रवाना मौके हुआ । बिसल्द पंचायतनामा व जरूरी कागजात हमराह लिया । मौके पर जैसी सूरत होगी । कार्यवाही अमल में लाई जावेगी । का० शिवपाल सिंह हमराह लिया गया । पहरा पर दौलत चौकीदार खड़ा किया गया । चार्ज लेख व चाभी व जिम्मे का मु० राम प्रताप सिंह किया गया । द० राम प्रताप सिंह । द० है० मुं० शिवपूजन पांडेय, थाना तुलसीपुर जिला गोंडा ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३२ पर)

सूची

संख्या	तत्संबंधित समय	मूल्य प्रति टन
		रु० पैसा
१	१-१-६३ से २८-२-६३	१३० ८०
२	१-३-६३ से ३१-३-६३	१३५.५२
३	१-४-६३ से ३१-५-६३	१३४.९२
४	१-६-६३ से १९-८-६३	१३८.६७
५	२०-८-६३ से ३०-९-६३	१३९.२७
६	१-१०-६३ से ३१-१२-६३..	१३९.०७
७	१-१-६४ से ३०-६-६४	१३९.१२
८	१-७-६४ से ३०-९-६४	१४१.२२
९	१-१०-६४ से ३१-१२-६४..	१४१.८२
१०	१-१-६५ से ३१-३-६५	१४३.३७
११	१-४-६५ से ३१-५-६५	१४४.२२
१२	१-६-६५ से ३०-६-६५	१५२.५७
१३	१-७-६५ से ३०-९-६५	१५५.०२
१४	१-१०-६५ से ३१-१२-६५	१५४.२७
१५	१-१-६६ से	१७१ १२

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३५ पर)

आरोपों की सूची

१—सीमेंट, टीन, मिटटी के तेल आदि के लायसेंस व परमिट देने में सलाहकार समिति के बहुमत की उपेक्षा करके चन्द लोगों के इशारे पर दिलवाकर चोरबाजारी और पक्षपात को चर्म सीमा तक पहुंचाया और जिनको पकड़ा भी गया उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही नहीं की गई ।

२—मिट्टी मिली सीमेंट बिकने से स्लेबें तक गिर गई ।

३—मिट्टी के तेल के लायसेंसदारों से सुरक्षा कोष में भारी रकम जमा करा कर चोर-बाजारी करने की छूट दी ।

४—ग्राम समाज की भूमि भूमिहीनों को देने की ओर स्वयं ध्यान नहीं दिया और प्रार्थना-पत्र देने पर उन्होंने अथवा उनके अधीन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया । लगभग सभी गांवों की यही दशा है ।

५—नेट विमान देने का वायदा सरकार से करके रबी की बुवाई और उत्पादन बढ़ाने संबंधी कोई कार्य नहीं होने दिया और जिले का लगभग सारा स्टाफ प्लानिंग तक चन्दा वसूली में लग गया और अब भी लगा है और जिले में बने रहने के लिये नामवरी कर रहे हैं ।

६—गांवों में लेखपाल व कानूनगो एवं नायब तहसीलदार जाते हैं और गलत इन्दराज करने की धमकी देकर असहायों से भी वसूल करते हैं ।

७—कुछ प्रधानों ने गलत काम किये थे और मुअतिल थे उनसे फोटो व हार १००१ व ११०० में खरीदने को कहा और बहाल करने का वादा किया ।

८—उक्त जिलाधीश जाति पोषक भी है । यही कारण है कि माननीय राज्यपाल व मुख्य मंत्री व कमिश्नर के सर्टीफिकेट देने को ६ ब्राह्मण जिनमें दो प्रमुख व ४ बी० डी० ओ० थे चुना और प्रमुखों को कमिश्नर के तथा बी० डी० ओ० को राज्यपाल व मुख्य मंत्री के सर्टीफिकेट देने की सिफारिश करके प्रमुखों को अपमानित किया ।

९—जिले के अधिकारी और मैजिस्ट्रेट तक निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते और जिलाधीश के विपक्षियों को न्याय नहीं मिल पाता ।

१०—श्री हरि प्रसाद, अध्यक्ष, जिला परिषद् के इलेक्शन पिटीशन में उन्हें हराने के लिये सेशन जज पर भी प्रभाव डालने का प्रयास किया पर जब उन्होंने निष्पक्ष निर्णय दिया तो उनकी बिदाई के समय चाय पार्टी के लिये सोलजर बोर्ड ने नहीं दिया ।

११—खाद्य मंत्री ने ईश्वर भवन हरिहर गंज फतेहपुर के मालिक के पक्ष में रेन्ट कन्ट्रोल के अन्तर्गत फैसला १७ मई, १९६५ को दिया । पर बन्दोबस्त अधिकारी को उसी में रखने के लिये सरकार को गलत रिपोर्ट देकर सरकार के आदेश तक का पालन नहीं किया और मकान मालिक को धमकाया व उसे उसकी दरख्वास्त पर उद्योग का लोन नहीं दिया ।

१२—सोलजर बोर्ड के सेक्रेटरी ने आपके २८-१२-६४ के फतेहपुर आगमन पर कुछ पैसा खर्च किया था उसे मांगने पर उसका तबादला डी० ओ० लिखकर गैर जिले कराया और उसे समय १ हफ्ते का चार्ज छोड़ने को नहीं दिया जिससे हताश होकर उसने खुदकशी कर ली ।

१३—सिविल सर्जन ने ऐसे घातक मुआयने किये व सर्टीफिकेट दिये जिन्हें पुलिस कप्तान ने पकड़ा पर जिलाधीश ने उन्हें दबा देने को मजबूर किया और एस० पी० का तबादला करा कर सिविल सर्जन को छूट दे दी ।

१४--आठ आदमियों का प्रतिनिधि मंडल २०-११-६५ को, जो जिलाधीश के पक्ष में मिलता है, वह उनके गुट का ही होता है और उनमें से बहुत से उद्योग की भारी रकम अर्से से जिलाधीश के आश्वासन पर दबाये हुये हैं। बहुतों को दूसरे रूप से मनचाही करने की छूट है।

१५--सरकार के आदेश व जिला सलाहकार समिति के सुझाव से चीनी, सीमेन्ट व टीन के परमिट देने और सस्ते गल्ले की दुकानें व गल्ला देने की भूतपूर्व जिलाधीश महोदय की सुचारु व्यवस्था को उक्त जिलाधीश ने समाप्त करके अपनी दूषित व्यवस्था चलाई।

१६--हरिजन कल्याण के नाम पर धन का दुरुपयोग किया।

१७--जिलाधीश ने पुलिस को निरंकुश बना दिया है।

१८--परिगणित जाति के कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में अपना पूरा हिस्सा नहीं मिलता।

१९--बन्दूक लाइसेन्स देने में अनियमितता बरती जाती है।

२०--जिलाधीश के बल पर नगरपालिका फतेहपुर अछूतों की तरफ निष्पक्ष व्यवहार करती।

२१--जिलाधीश का अधिकतर समय उपन्यास लिखने में जाता है तथा उन्होंने ग्राम व न्याय पंचायतों को अपने उपन्यास खरीदने को विवश किया है।

२२--शहर में आमतौर पर होने वाली चर्चा के मुताबिक जिलाधीश ने अपने सरकारी बंगले में पैदा हुई ज्वार की चरी, शीशम के पेड़, महुआ के फल बेचे। शीशम के पेड़ों से फर्नीचर बनवाने की भी खबर है।

२३--जिलाधीश ने मुखतलिफ मौकों पर मुख्य मंत्री, सहकारिता मंत्री तथा गृह मंत्री को जिले में आमंत्रित करके उन्हें अनुचित तरीके से प्रभावित करने का प्रयत्न किया।

२४--जिलाधीश ने श्री कैथवार द्वारा मुख्य मंत्री के २८-१२-६५ को फतेहपुर के आगमन के मौके पर छपाये जाने वाले शिकायती पर्चे प्रेस में छापा मारकर गायब करवा दिये।

२५--जुडिशियल आफिसर श्री दिनेश मोहन आर्य जिलाधीश के इशारे पर कार्य करते हैं। इनके कोर्ट में अनियमितता होती है।

२६--जिलाधीश ने अपनी प्रशंसा करने के लिये फतेहपुर के अधिकतर समाचार-पत्रों के सम्पादकों को दबोच रखा है।

२७--श्री कैथवार द्वारा सिविल सर्जन व बी० डी० ओ० के विरुद्ध की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

२८--श्री के० के० मेहता, प्रधानाचार्य, लेदर ट्रेनिंग स्कूल, द्वारा किये गये गबन के मामले में जिलाधीश ने उन्हें अनुचित ढंग से बचाने की कोशिश की।

२९--जिलाधीश ने तकावी व विकास कार्यों का जमा धन अल्प बचत व सुरक्षा कोष में जमा करा दिया और अब उस धन को फिर से उन्हीं मदों में जमाकर रहे हैं।

३०--साप्ताहिक अश्रुधारा फतेहपुर व दैनिक फतेहपुर के सम्पादकों को जिलाधीश व अन्य अधिकारियों का सहयोग मिला हुआ है तथा उनको किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की जा रही है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४१ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	नाम मिल	मात्रा गन्ना जिसका सट्टा हुआ (लाख क्वीन्टल में)	मात्रा गन्ना जिसका आफर हुआ (लाख क्वींन्टल में)	पूर्ति २६-२-६६ तक (लाख क्वि० में)	प्रतिशत पूर्ति	शेष गन्ना जिसकी पूर्ति होने की आशा है (लाख क्वी० में)	तिथि मिल बन्द होने की
१	२	३	४	५	६	७	८
१	नवाबगंज	२०.२३	१६.४६	८,६२	५२ प्रतिशत	७.८४	मई का दूसरा सप्ताह
२	बलरामपुर	२०.२०	१३.६७	८.३४	६१ प्रतिशत	५.३३	अप्रैल का अन्तिम सप्ताह
३	तुलसीपुर	२१.४०	१८.६६	९,७०	५३ प्रतिशत	८.७६	मई का तृतीय सप्ताह
४	जरवल रोड जिला बहराइच ..	१६.८४	१४.८२	७.५१	२० प्रतिशत	७.३१	
५	बभनान (जिला गोन्डा) ..	१.४३	१.३१	०.८०	६१ प्रतिशत	०.५१	मई का तृतीय सप्ताह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४२ पर)

१५ दिसम्बर, १९६५ से ६ फरवरी, १९६६ तक कुम्भ मेला क्षेत्र में नकबजनी और चोरी की घटनाओं की रिपोर्ट।

क्रम-संख्या	थाने का नाम	नकबजनी	चोरी
१	संगम	०	५४
२	कोतवाली (परेड)	०	११
३	आइजट ब्रिज (झूंसी)	०	५
४	परेल	०	२१
५	अन्न क्षेत्र	२	९
६	अखाड़ा	१	३१
७	आइगट ब्रिज (दारागंज)	०	४
८	परेड	२	४
९	जी ० टी० दारागंज	—	१६
१०	सरस्वती घाट	—	४
११	अलोपी बाग	२	४
१२	कोतवाली (झूसी)	१	५
	योग ..	८	१६८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४२–८४३ पर)।

क्रम-संख्या	वर्ष	श्रेणी का नाम	उद्योग	धनराशि
१	२	३	४	५
१	१९६२–६३	.. .. श्री राम खेलावन (१)	.. सन सुतली ..	२,५००
२	,,	.. .. श्री राम किशोर लोहार	.. कृषि यंत्र ..	३,०००
३	,,	.. .. श्री राम चन्द्र उपाध्याय	.. हौजरी ..	४,०००
४	,,	.. .. श्री तुलसी प्रसाद विश्वकर्मा	.. कृषि यंत्र ..	२,०००
५	१९६३–६४	.. .. सर्व श्री राम प्रसाद सिंह	.. इंजीनियरिंग वर्कशाप ..	७,०००
६	,,	.. .. ओंमकार–नाथ सिन्हा	.. फरनीचर ..	२,०००
७	,,	.. .. राम खेलावन (२)	.. खाडसारी ..	१,०००
८	,,	.. .. बचाऊ राम	.. मोती ..	१,०००
९	,,	.. .. हरी नाथ मौर्य	.. चूना ..	१,५००
१०	१९६४–६५	.. .. दया राम दूबे	.. चूना ..	१,५००
११	,,	.. .. अब्दुल समद	.. ऊनी काती ..	३,०००
१२	,,	.. .. शीतल प्रसाद	.. ऊनी काती ..	३,०००
१३	,,	.. .. केदारनाथ लाल	.. फरनीचर ..	३,०००
१४	,,	.. .. धुर्वान राम	.. चूना ..	२,०००

अनन्य विधान सभा

क्रम-संख्या		वर्ष		श्रेणी का नाम		उद्योग		धनराशि
१		२		३		४		५
१५	,,	१९६४–६५	..	सर्वश्री हरिवंश सिंह	..	चूना	..	४,०००
१६	,,	..	..	नजीर अहमद	..	कालीन	..	५,०००
१७	,,	..	..	सुग्रेम	..	सेनेट्री	..	१,०००
१८	,,	..	..	उमाशंकर दूबे	..	कंकड़	..	५,०००
१९	,,	..	..	फूलचन्द कलवार	..	होजरी	..	२,०००
२०	,,	..	..	रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा	..	काष्ठकला	..	३,०००
२१	,,	..	..	ऊन कताई, बुनाई, सहकारी समिति लि०, मड़ियाहूं जौनपुर।		ऊन	..	१,०००
						योग	..	५७,५००

अनुप्रवेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४४ पर)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, फतेहपुर

मान्यवर,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम कोरवामजरे रानी खेड़ा थानासरैनी जिला रायबरेली का निवासी है। प्रार्थी तीन साढ़े तीन मास हुये अपने बहनोई राम औतार के यहां मय अपनी स्त्री कमला देवी के ग्राम पैगम्बरपुर रेकउहां आया हुआ था। श्रीमती कमला देवी श्री रामकृष्ण जी निवासी को खां मजरे रानी खेड़ा थाना सरैनी की पुत्री है जिन्होंने अपनी इच्छा से मुझे अपना पति और मुझ प्रार्थी ने उन्हें अपनी स्त्री बनाया है।

दिनांक ९-९-६४ ई० की बात है कि छोटे दरोगा व हथगांव तीन-चार सिपाही साथ लेकर ग्राम पैगम्बरपुर रेकउहा आये और मुझ प्रार्थी व मुझ प्रार्थी की स्त्री श्रीमती कमला देवी को चुराई पकड़ ले गये वहां पर बड़े दरोगा जी हथगांव भी थे जहां पुलिस वालों ने मुझ प्रार्थी से कहा कि इस औरत को तुम भगा लाये हो तीन सौ रुपया खर्च करो नहीं तो तुम्हारे साथ न रहने देंगे, मैंने कहा कि इसके पिता ने द्वारा पुलिस सरैनी इसी औरत के पीछे मुझ प्रार्थी पर ३६३/३६६ का मुकदमा चलाना चाहा किन्तु औरत की आयु अधिक तथा उसके राजी होने के कारण उसके बाप व पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई और विवश होकर उक्त मुकदमा में पुलिस को फाइनल रिपोर्ट लगाना पड़ी मेरे पास रुपया नहीं है और यह औरत मेरी स्त्री है तो पुलिस वालों ने रात भर हम दोनों को चु ाई में रक्खा और दूसरे दिन थाना लाकर मुझको मेरे पैर के तलवों में लाठी से मारा और उसके दूसरे दिन अकारण मेरा चालान कर दिया जेल पहुंचने पर मुझको पता लचा कि मेरा चालान धारा ६० में किया है मैं उस समय से ७-१०-६४ तक जेल में रहा ७-१०-६४ को शाम को जमानत पर छूटा हूं जेल ही में मुझको पता चला कि पुलिस वालों दे दस पन्द्रह दिन मेरी स्त्री को अपनी अधिपत्य में रक्खा यह भी ज्ञात हुआ कि दिन को किसी पंडित जी के घर जो हथगांव के निवासी हैं और पुलिस के दलाल हैं। मेरी स्त्री को भेज देते रहे और रात को पुलिस वाले मेरी स्त्री के साथ स्त्री भोग करते रहे हैं बाद को मेरी स्त्री को दुबेन के पुरवा मजरे आंबी के सदा शिव से कुछ रुपया लेकर उनको दे दिया और वे वहीं थी कि मैंने जेल से छूटने के दूसरे दिन ही दिनांक ८-१०-६४ ई० को श्रीमान् जी की सेवा में तथा श्रीमान् पुलिस कप्तान, फतेहपुर की अन्य अधिकारीगण की सेवा में द्वारा रजिस्ट्री प्रार्थना-पत्र दिया दुख की बात है कि उक्त प्रार्थनापत्र की जांच तो न हुई वरन् स्थानीय पुलिस को इन प्रार्थनापत्रों की सूचना मिल गई जिसके फल स्वरूप ज्ञात हुआ कि पुलिस वालों ने श्रीमती कमला देवी को सदा शिव के यहां से बुला कर बिल्कुल लापता कर दिया है।

प्रार्थना है कि कृपया शीघ्र इस घटना की खुली जांच किसी मजिस्ट्रेट या निष्पक्ष कमीशन द्वारा कराई जाकर पुलिस के अन्याय तानाशाही के विरुद्ध कार्यवाही करके किया जाये।

प्रार्थी,

भोलानाथ पुत्र नन्देश्वर,

निवासी कोरवा मजरे रानीखेड़ा, थाना सरैनी, जिला रायबरेली, हालमुकीम पैगम्बरपुर रेकउहा, थाना हथगांव, जिला फतेहपुर।

दिनांक २२-१०-६४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९ एल० ए०—१९६६—८६२।